रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 15, 1969 (फाल्गुन 24, 1890)

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 15, 1969 (PHALGUNA 24, 1890)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 19 फरवरी 1969 तक प्रकाशित किए गये है :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 19th February 1969 :—

अंक Issue No. 1	संख्या और तारीख No. and Date 2	द्वारा जारी किया गया Issued by 3	विषय Subject 4
1	No. F. 14/7/69-Pub-I dt. 19-2-69	Mon. of Home Affairs	Making appointments as Cabinet Minister and Minister of State.
	सं० 14/7/69—पब्लिक-I दिनांक 19-2-69	गृह मंत्रालय	मंत्रियों की नियुक्त करना ।
23	No. 36-ITC(PN)/69, dt. 18-2-69	Min. of Commerce	Import of capital goods (balancing equipment) against the U.K. Kipping Loan.
24	No. 37-ITC(PN)/69, dt. 19-2-69	Do.	Import policy for Registered Exporters for the year April/68 March /69
25	No 38-ITC (PN)/69, dt. 20-2-69	Do	Do
	No. 39-ITC(PN)/69, dt. 20-2-69	Do.	Do.
26	No. 2-ETC(PN) /69, dt 21-2-69	Do.	Export of De-oiled Groundnut cake (Extractions)

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these *Gazettes*.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1.—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	209
भाग I—खंड 2.—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	301
भाग I—खंड 3.—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	—
भाग I—खंड 4.—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	203
भाग II—खंड 1.—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2.—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3–उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	827
भाग II—खंड 3.—उप-खंड (2)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	871
भाग II—खंड 4.—रक्षा मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	101
भाग III—खंड 1.—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	253
भाग III—खंड 2.—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें ..	89
भाग III—खंड 3.—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..	39
भाग III—खंड 4.—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं ..	189
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	51
पूरक संख्या 11—	
8 मार्च 1969 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	403
15 फरवरी 1969 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बिमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	413

	Page
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders ahd Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	209
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	301
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	203
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinanaces and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	827
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii) —Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	871
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	101
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	253
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	89
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	39
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	189
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	51
SUPPLEMENT NO. 11—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 8th March 1969 ..	403
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 15th February 1969	413

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

---

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च 1969

सं० 10–प्रेज/69—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री खड़क सिंह थापा, सूबेदार,
'एफ' कम्पनी, 5वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

श्री खड़क सिंह थापा को मिजो पहाड़ियों में छिंगछिप स्थित केन्द्रीय आरक्षित पुलिस की 5वीं बटालियन की 'एफ' कम्पनी में नियुक्त किया गया था। 11 नवम्बर, 1967 को सूचना मिली कि विद्रोहियों का एक दल रलदन गांव से केन्द्रीय आरक्षित पुलिस चौकी पर आक्रमण करने के इरादे से बढ़ रहा था। श्री थापा शीघ्र ही अपने प्लाटून के साथ निकल पड़े और रलदन से छिंगछिप वाले रास्ते के दोनों ओर घात में बैठ गये। लगभग 17–20 बजे 20 सशस्त्र विद्रोही दो दलों में घात-स्थान के समीप पहुंचे। श्री थापा ने अपने हल्की मशीन गन चालक को विद्रोहियों पर गोली चलाने का आदेश दिया। विद्रोहियों ने जवाब में पुलिस दल पर भारी गोलीबारी की और हल्की मशीन गन चौकी पर धावा बोल दिया। खतरे का अनुभव करते हुए श्री थापा ने अपने आदमियों सहित विद्रोहियों पर आक्रमण कर दिया। इस मुठभेड़ में 4 विद्रोही मारे गये, कुछ हथियार एवं गोला-बारूद तथा कीमती दस्तावेज बरामद किये गये।

श्री खड़क सिंह थापा ने उत्कृष्ट सूझबूझ तथा सराहनीय व्यक्तिगत साहस का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 नवम्बर, 1967 से दिया जायेगा।

व० जे० मोर, राष्ट्रपति के उप-सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 3 मार्च 1969

संकल्प

सं० 27/3/69–स्थापना—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के 27 जून, 1968 के संकल्प संख्या 27/10/68–स्थापना (ग) में भारत सरकार संघ राज्य-क्षेत्रों और भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यमों की सेवाओं/पदों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों की भर्ती करने से सम्बन्धित विभागों द्वारा किये गये कार्यों के पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

उक्त संकल्प के अनुच्छेद 2 में दी गई समिति के सदस्यों की सूची में मद संख्या (2) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

"पेट्रोलियम तथा रसायन और समाज कल्याण मंत्री" के स्थान पर "विधि और समाज कल्याण मंत्री" प्रतिस्थापित किया जाय।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय।

उमा शंकर, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 1 मार्च 1969

नियम

सं० 8/32/68-सी० एस०-2—(1) सेवा मुक्त आपात कमीशन प्राप्त/अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए जिन्हें सशस्त्र सेना में 1 नवम्बर, 1962 के बाद कमीशन प्रदान किया गया था; तथा (2) भूतपूर्व सैनिकों के वास्ते, क्रमश: वर्ग 1 और 2 के अन्तर्गत आने वाली उनके लिए आरक्षित निम्नलिखित सेवाओं/पदों में अस्थायी रिक्तियों को भरने के लिए चयन करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा

जून, 1969 में ली जाने वाली प्रतियोगिता-परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :—

वर्ग—1

श्रेणी II सेवाएं/पद

(I) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा-ग्रेड II;

(II) भारतीय विदेश सेवा (ख)—आशुलिपिकों के उप-संवर्ग का ग्रेड-II;

(III) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा-ग्रेड II; और

(IV) भारत सरकार के कुछ ऐसे विभागों और कार्यालयों के आशुलिपिकों के पद जो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख)/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में शामिल नहीं हैं, तथा चुनाव आयोग के कार्यालय में ऐसे पद ।

वर्ग—2

श्रेणी III सेवाएं/पद

(I) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा-ग्रेड II;

(II) भारत सरकार के कुछ ऐसे विभागों और कार्यालयों के आशुलिपिकों के पद जो रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में शामिल नहीं हैं।

नियम 2 के उपबन्धों के अधीन उम्मीदवार ऊपर उल्लिखित सेवाओं/पदों में से किसी भी एक या एक से अधिक सेवाओं/पदों के लिए परीक्षा दे सकता है । वह जितनी सेवाओं/पदों के लिए परीक्षा देना चाहे उन सब का अपने आवेदन पत्र में उल्लेख कर सकता है । उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि किसी भी सेवा/पद पर जिसका उन्होंने स्पष्ट उल्लेख न किया हो, नियुक्ति के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी I :—उम्मीदवारों को चाहिए, कि वे जिन सेवाओं/पदों के लिए परीक्षा देना चाहते हैं उनका प्राथमिकता-क्रम अपने आवेदन-पत्रों में स्पष्ट लिखें । उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जितनी सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता करना चाहते हैं, उन सबका उल्लेख करें ताकि योग्यताक्रम में उनके स्थान का ध्यान रखते हुए नियुक्तियां करते समय उनकी प्राथमिकताओं पर यथोचित विचार किया जा सके ।

टिप्पणी II :—उम्मीदवार द्वारा प्रारम्भ में अपने आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट सेवाओं/पदों के प्राथमिकता-क्रम में परिवर्तन करने की किसी भी ऐसी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में 31 अगस्त, 1969 को या उससे पहले न मिल जाए ।

2. (क)—आपात कमीशन प्राप्त/अल्पसेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी केवल वर्ग I में सम्मिलित आशुलिपिकों की श्रेणी II सेवाओं/पदों में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए ही परीक्षा दे सकेंगे ।

(ख)—भूतपूर्व-सैनिक केवल वर्ग II में सम्मिलित आशुलिपिकों की श्रेणी III सेवाओं/पदों में आरक्षित रिक्तियों के लिए ही परीक्षा दे सकेंगे ।

3. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किये गए नोटिस में बता दी जाएगी ।

भारत सरकार के निश्चय के अनुसार निर्धारित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए पद आरक्षित रखे जायेंगे ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों का अर्थ है अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956, संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, और संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के साथ पठित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 में उल्लिखित कोई भी जाति या आदिम जाति ।

4. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट I में विहित विधि से किया जाएगा ।

परीक्षा की तारीखें और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

5. इन नियमों के उपबन्धों के अधीन, सभी आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी/अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी इस परीक्षा में बैठ सकेंगे, जिन्हें सशस्त्र सेना में 1 नवम्बर, 1962 के पश्चात् कमीशन प्रदान किया गया था तथा जिन्हें 1968 में अथवा 1969 में इस अधिसूचना की तारीख से पहले सेवामुक्त किया गया था अथवा उसके बाद 1969 के अन्त तक सेवा मुक्त किया जाना है ।

परन्तु वे आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी/अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी इस परीक्षा में नियम 10 के उपबन्धों के अनुसार बैठ सकेंगे, जिन्हें सशस्त्र सेना में 1 नवम्बर, 1962 के बाद कमीशन प्रदान किया गया था तथा जिन्हें 1968 से पहले सेवामुक्त किया गया ।

टिप्पणी 1 :—इन नियमों के प्रयोजन के लिए "सेवा मुक्ति" का अर्थ है :—

(I) आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में प्रावस्था-भाजित कार्यक्रम के अनुसार वास्तविक सेवा मुक्ति;

(II) अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में अपनी सेवा के कार्यकाल की समाप्ति पर वास्तविक सेवा मुक्ति;

(III) सैन्य सेवा में हुई अशक्तता या उसके परिणाम स्वरूप असमर्थता ।

उक्त सेवा मुक्ति का तात्पर्य उस सेवा मुक्ति से है जो सशस्त्र सेना से अल्प अवधि की सेवा के बाद हुई हो, न कि प्रशिक्षण के दौरान अथवा अन्त में, अथवा उसे अल्प सेवा कमीशन के दौरान अथवा उसके अन्त में जो वास्तविक सेवा में लिए जाने से पूर्व ऐसे प्रशिक्षण की अवधि को पूरा करने के लिए प्रदान किया गया हो और न ही इसमें उन अधिकारियों के मामले शामिल होंगे जिन्हें कदाचरण अथवा अदक्षता के कारण अथवा जिन्हें अपने अनुरोध पर सेवा मुक्त किया गया हो।

टिप्पणी 2 :—यदि किसी उम्मीदवार को आवेदन पत्र देने के बाद सशस्त्र सेना में स्थायी कमीशन मिल जाए या वह सशस्त्र सेना से त्याग पत्र दे दे या उसे वहां से कदाचरण, अदक्षता अथवा उसके अनुरोध पर उसे सेवामुक्त किया जाए तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी 3 :—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अधीन या सरकारी उद्योगों में नियुक्त इंजीनियर और डाक्टर इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होंगे, जिनसे अनिवार्य दायित्व योजना के अधीन एक निर्धारित न्यूनतम् अवधि के लिए सशस्त्र सेना में सेवा करने की अपेक्षा की जाती है तथा ऐसी सेवा की अवधि में सम्बन्धित नियमों के अधीन जिन्हें अल्प सेवा कमीशन प्रदान किया जाता है।

टिप्पणी 4 :—स्वयं सेवक आरक्षित दलों (वालन्टियर रिजर्व फोर्स) के अधिकारी तथा जिन्हें अस्थायी सेवा के लिए बुलाया गया हो, इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे।

6. इन नियमों के उपबन्धों के अधीन सभी भूतपूर्व सैनिक इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

टिप्पणी :—इन नियमों के प्रयोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक का अर्थ उस व्यक्ति से है, जिसने संघ की सशस्त्र सेना में किसी पद पर (चाहे पद लड़ाकू का हो या न हो) लगातार 6 महीने की अवधि की सेवा की हो तथा जिसे बरखास्तगी, या कदाचार या अदक्षता के कारण सेवामुक्ति को छोड़ अन्य कारणों से सेवामुक्त किया गया हो।

स्पष्टीकरण :—इन नियमों के प्रयोजन के लिए "संघ की सशस्त्र सेना" में भूतपूर्व भारतीय रियासतों की सशस्त्र सेना शामिल होंगी परन्तु इसमें निम्नलिखित दलों के सदस्य शामिल नहीं हैं, नामतः—

(क) आसाम राइफल्स;

(ख) लोक सहायक सेना; तथा

(ग) सामान्य रिजर्व इंजीनियर दल।

7. (1) यह आवश्यक है कि उम्मीदवार या तो :—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आ गया हो, या

(च) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, लंका और केन्या, उगाण्डा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) के इन पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजित हुआ हो।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ), (ङ) और (च) श्रेणियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा उनके नाम दिया गया पात्रता-प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

परन्तु, निम्नलिखित में से किसी श्रेणी से सम्बन्धित उम्मीदवारों के लिए पात्रता-प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा :—

(I) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजित हुए और तब से आमतौर पर भारत में ही रह रहे हैं।

(II) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजित हुए और संविधान के अनुच्छेद 6 के अधीन अपने आप को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करा चुके हैं।

(III) ऊपर की (च) श्रेणी के वे गैर-नागरिक, जो संविधान लागू होने की तारीख, अर्थात् 26 जनवरी, 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आए और तब से लगातार उस सेवा में काम कर रहे हैं। परन्तु जो सेवा भंग करके 26 जनवरी, 1950 के बाद उस सेवा में फिर आया हो या फिर आए, उसके लिए सामान्य रूप में पात्रता-प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक होगा।

इसके अलावा एक शर्त यह भी है कि उपर्युक्त (ग), (घ) और (ङ) श्रेणियों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (ख)—(आशुलिपिकों के उप-संवर्ग के ग्रेड II) में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

(2) जिस उम्मीदवार के लिए पात्रता-प्रमाण-पत्र आवश्यक है, यदि सरकार उसे आवश्यक प्रमाण-पत्र दे दे तो उसे परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है और अन्तिम रूप में उसकी नियुक्ति भी की जा सकती है।

8. (क) जो आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी/अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी उपर्युक्त नियम 5 के अधीन इस परीक्षा में बैठना चाहता हो, उसके लिए यह जरूरी है कि जिस वर्ष उसने सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश किया था या कमीशन प्राप्त किया था (जहां प्रशिक्षण की व्यवस्था केवल कमीशन के बाद थी) उस वर्ष की एक जनवरी को उसकी आयु पूरे 24 वर्ष की न हुई हो।

(ख) 24 वर्ष की आयु-सीमा में उन आपात कमीशन प्राप्त/अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए 35 वर्ष की आयु तक की छूट दे दी जाएगी जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में आशुलिपिकों (इसमें भाषा आशुलिपिक भी शामिल है)। लिपिकों/आशुटंककों के पदों पर नियमित रूप में नियुक्त किए गए थे और जिन्होंने उस वर्ष

की पहली जनवरी को जिस वर्ष) उन्होंने कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश किया था या कमीशन प्राप्त किया था (जहां कमीशन के बाद प्रशिक्षण हुआ था), आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक समेत)/लिपिक/आशुटंकक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की निरंतर सेवा कर ली थी, और उसी रूप में कार्य करते आ रहे होते यदि सशस्त्र सेना में प्रवेश न करते या जिन्होंने 1 जनवरी, 1969 को भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में नियमित रूप में नियुक्त आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक समेत)/लिपिक/ आशुटंकक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की निरंतर सेवा कर ली है तथा उसी रूप में नौकरी करते आ रहे हैं।.

परन्तु उपर्युक्त आयु सम्बन्धी छूट उन व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पहले ली गई परीक्षाओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी में आशुलिपिक के रूप में नियुक्ति किए जा चुके हैं :—

(I) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, या

(II) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा, या

(III) भारतीय विदेश सेवा (ख), या

(IV) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा।

टिप्पणी :—डाक व तार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त रेल-डाक छंटाईकारों की सेवा उपर्युक्त नियम 8(ख) के प्रयोजन के लिए लिपिक के ग्रेड में की गई सेवा मानी जाएगी।

(ग) उपर्युक्त नियम 6 के अधीन परीक्षा में प्रवेश पाने के इच्छुक किसी भी भूतपूर्व सैनिक के लिए यह आवश्यक है कि 1 जनवरी, 1969 को उसकी आयु पूरे 18 वर्ष की हो गई हो और 24 वर्ष से इतनी अधिक न हो जितनी उसकी सशस्त्र सेना में कुल सेवा में 3 वर्ष की वृद्धि कर के बने।

(घ) ऊपर के सभी मामलों में ऊपरी आयु-सीमा में निम्नलिखित रूप में अतिरिक्त छूट दी जाएगी :—

(I) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(II) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(III) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तथा पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद प्रव्रजन कर भारत आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक;

(IV) यदि उम्मीदवार संघ राज्य-क्षेत्र पांडीचेरी का निवासी हो और किसी स्तर पर उसकी शिक्षा फ्रेंच भाषा के माध्यम से हुई हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ;

(V) यदि उम्मीदवार लंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद में लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(VI) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तथा लंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति भी हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(VII) यदि उम्मीदवार संघ राज्य-क्षेत्र गोवा, दमन और दिव का निवासी हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(VIII) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व-टंगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजित हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;

(IX) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(X) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो और बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति भी हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(XI) किसी दूसरे देश से झगड़ों के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाईयों के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा-सेवा-कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष तक; और

(XII) किसी दूसरे देश से संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त ऐसे रक्षा-सेवा-कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित हों, अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(ङ) उपर्युक्त उप-पैरा (क) में निर्धारित आयु-सीमा में निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए भी छूट दी जाएगी :—

(I) यदि उम्मीदवार ने 1963 में सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश किया हो या कमीशन प्राप्त किया हो (जहां प्रशिक्षण केवल कमीशन के पश्चात् हुआ था) और वह पाकिस्तान से आया

हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;

(II) यदि उम्मीदवार ने 1963 में सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश किया हो या कमीशन प्राप्त किया हो (जहां प्रशिक्षण केवल कमीशन के पश्चात् हुआ था) और वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तथा पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक;

(III) यदि उम्मीदवार ने 1963 या 1964 या 1965 में सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश किया हो या कमीशन प्राप्त किया हो (जहां प्रशिक्षण केवल कमीशन के पश्चात् हुआ था) और वह अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह का निवासी हो तो अधिक से अधिक 4 वर्ष तक; और

(IV) यदि उम्मीदवार ने सशस्त्र सेना में 1963 या 1964 या 1965 में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश किया हो या कमीशन प्राप्त किया हो (जहां प्रशिक्षण केवल कमीशन के पश्चात् हुआ था) और वह भारत का नागरिक हो तथा लंका से आया हुआ देश-प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अलावा ऊपर निर्धारित आयु सीमाओं में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जायगी।

ध्यान दें।

(I) यदि किसी उम्मीदवार को उपर्युक्त नियम 8(ख) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने दिया गया हो और यदि वह आवेदन पत्र देने के बाद, परीक्षा में बैठने से पहले या बाद में, नौकरी से त्यागपत्र दे दे या उसके विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर ली जाएं तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है लेकिन यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद सेवा या पद से उसकी छंटनी हो जाये तो वह पात्र बना रहेगा।

(II) वह आशुलिपिक (भाषा-आशुलिपिक समेत)/लिपिक/आशुटंकक, जो सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश करते समय या कमीशन (जहां प्रशिक्षण केवल कमीशन के पश्चात् हुआ था) में प्रवेश करते समय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति पर था या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद (एक्स-कैडर पोस्ट) पर प्रतिनियुक्ति पर है, सशस्त्र सेना से सेवामुक्त होने पर यदि अन्यथा सब प्रकार से पात्र हो, तो परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा।

9. कोई भी उम्मीदवार परीक्षा में दो बार से अधिक नहीं बैठ सकेगा; यह प्रतिबन्ध सन् 1969 में हुई परीक्षा से लागू होगा।

टिप्पणी 1:—यदि कोई उम्मीदवार वास्तव में किसी एक या अधिक विषयों की परीक्षा में बैठा हो तो उसे वर्ग 1 या वर्ग 2 में सम्मिलित सभी सेवाओं/पदों के लिए, जैसी भी स्थिति हो, (नियम 2 देखिये) परीक्षा में, जिसमें आयोग द्वारा उसे बैठने की अनुमति दी गई हो, बैठा माना जाएगा।

10. इन नियमों के उपबन्धों के अधीन नियम 5 के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि उसे पहले और दूसरे अवसर के रूप में क्रमशः अपनी सेवामुक्ति वाले तथा सेवामुक्ति-वर्ष के अगले वर्ष में होने वाली परीक्षा देनी होगी।

परन्तु यदि कोई उम्मीदवार 1969 से पहले सेवामुक्त किया गया हो तो वह प्रथम अवसर के रूप में 1969 में होने वाली परीक्षा में बैठ सकेगा।

11. यह आवश्यक है कि उम्मीदवारों ने नीचे लिखी परीक्षाओं में से कोई एक पास की हो या उसके पास निम्नलिखित में से कोई एक प्रमाण-पत्र हो :

(I) भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा;

(II) किसी राज्य के शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक स्कूल कोर्स के अन्त में शालान्त (स्कूल लीविंग), माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल या ऐसे किसी और प्रमाण-पत्र के दिये जाने के लिये ली गई परीक्षा जिसे वह राज्य सरकार नौकरी में प्रवेश के लिये मैट्रिक के प्रमाण-पत्र के समकक्ष मानती हो।

(III) कैम्ब्रिज स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (सीनियर कैम्ब्रिज);

(IV) राज्य सरकारों द्वारा ली गई यूरोपीय हाई स्कूल परीक्षा;

(V) दिल्ली पोलीटैकनीक के तकनीकी हायर सैकेंडरी स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र;

(VI) किसी मान्यता-प्राप्त हायर सैकेंडरी स्कूल या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने वाले किसी मान्यता-प्राप्त स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र;

(VII) जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली की जूनियर परीक्षा, केवल जामिया के वास्तविक आवासी छात्रों के लिए;

(VIII) बंगाल (साइंस) स्कूल सर्टिफिकेट;

(IX) नेशनल काउन्सिल आफ् एजुकेशन (राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्) जादवपुर, पश्चिमी बंगाल की (शुरू से लेकर) फाइनल स्कूल स्टैंडर्ड परीक्षा;

(X) पांडीचेरी की नीचे लिखी फ्रेंच परीक्षाएं :

(I) ब्रीवे एलिमैंतेयर, (II) ब्रीवे द "एंसीमा" प्रीमियेर द लांग इंदियेन, (III) ब्रीवे दे एत्यूद्यू प्रीमीयेर सिवल, (IV) ब्रीवे द एंसीमा प्रीमीयेर सुपीरियेर दे लांग इदियेन और (V) ब्रीवे दे लांग इंदियेन (वर्नाकूलर);

(XI) इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन;

(XII) भारतीय नौसेना का हायर एजुकेशनल टैस्ट,

(XIII) एडवांस्ड क्लास (भारतीय नौसेना) परीक्षा;

(XIV) सीलोन सीनीयर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा;

(XV) ईस्ट बंगाल सैकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, ढाका द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र;

(XVI) पूर्व पाकिस्तान में कोमिला/राजशाही/खुलना स्थित सैकेंडरी एजुकेशन बोर्ड द्वारा दिये गये सैकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट;

(XVII) नेपाल सरकार की स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा;

(XVIII) एंग्लोवर्नाकूलर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (बर्मा);

(XIX) बर्मा हाई स्कूल फाइनल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट;

(XX) शिक्षा विभाग, बर्मा (युद्ध-पूर्व) की एंग्लोवर्नाकूलर हाई स्कूल परीक्षा;

(XXI) बर्मा का पोस्ट-वार स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट;

(XXII) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद की "विनीत" परीक्षा;

(XXIII) गोवा, दमन और दिव की पुर्तगाली परीक्षा "लाइ-सियूम" के पांचवें वर्ष में पास;

(XXIV) "सामान्य" स्तर पर लंका की जनरल सर्टिफिकेट आफ़ ऐजुकेशन नामक परीक्षा, यदि वह अंग्रेजी तथा गणित और सिंहली या तमिल सहित छः विषयों में पास की गई हो।

(XXV) "सामान्य" स्तर पर लंदन के एसोशियेटेड एग्जामिनेशन बोर्ड स की जनरल सर्टिफिकेट आफ़ ऐजुकेशन परीक्षा, यदि वह अंग्रेजी सहित पांच विषयों में पास की गई हो।

(XXVI) किसी राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई जूनियर/सैकेंडरी तकनीकी स्कूल परीक्षा।

टिप्पणी 1—यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा दे चुका हो, जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है, लेकिन उसके परिणाम की सूचना उसे नहीं मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन पत्र भेज सकता है। जो उम्मीदवार उक्त किसी अर्हक (क्वालिफाइंग) परीक्षा में बैठना चाहते हों, वे भी आवेदन पत्र दे सकते हैं बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के शुरू होने से पहले हो जाय। ऐसे उम्मीदवार यदि अन्य शर्तें पूरी करते हों तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जायगा, किन्तु परीक्षा में बैठने की अनुमति अन्तिम होगी और यदि वे उक्त परीक्षा पास करने का प्रमाण-पत्र जल्दी-से-जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के शुरू होने की तारीख से अधिक-से-अधिक दो महीने के अन्दर-अन्दर प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द कर दी जा सकेगी।

टिप्पणी 2—किन्हीं आपवादिक मामलों में, किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके पास पूर्वोक्त कोई उपाधि नहीं है संघ लोक सेवा आयोग अर्हता-प्राप्त उम्मीदवार मान सकता है, बशर्ते कि वह किन्हीं और संस्थाओं की ऐसी परीक्षाएं पास हों जिनका स्तर, आयोग की राय में, परीक्षा में प्रवेश के लिए न्यायोचित है।

12. (क) जिस पुरुष उम्मीदवार की एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या एक पत्नी के जीवित रहने पर भी किसी ऐसी स्थिति में विवाह करे कि वह विवाह उक्त पत्नी के जीवित रहने की अवधि में किये जाने के कारण शून्य (वायड) हो जाए तो उसे उन सेवाओं/पदों पर, जिनके लिये इस प्रतियोगिता-परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं, नियुक्ति का तब तक पात्र नहीं माना जाएगा जब तक की भारत सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं और पुरुष उम्मीदवार को इस नियम से छूट न दे दे।

(ख) जिस महिला उम्मीदवार का विवाह इस कारण शून्य (वायड) हो कि उक्त विवाह के समय उसके पति की एक जीवित पत्नी पहले से है या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी उक्त विवाह के समय एक जीवित पत्नी हो, वह उन सेवाओं/पदों पर, जिनके लिये इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां की जाती है, नियुक्ति की तब तक पात्र नहीं मानी जाएगी जब तक कि भारत सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, और उस महिला उम्मीदवार को इस नियम से छूट न दे दे।

(ग) जिस व्यक्ति ने किसी विदेशी राष्ट्रिक से विवाह किया हो वह भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(घ) जिस व्यक्ति के तीन से अधिक बच्चे हों वह भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

13. जो उम्मीदवार सशस्त्र सेना में सेवा कर रहा हो तो उसे इस परीक्षा के लिए अपना आवेदन-पत्र अपनी यूनिट के कमान-अफसर को प्रस्तुत करना होगा जो इसे संघ लोक सेवा आयोग को भेज देगा।

जो अन्य सभी उम्मीदवार सरकारी सेवा कर रहे हों, उन्हें इस परीक्षा में बैठने के लिए अपने आवेदन-पत्र अपने सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष अथवा कार्यालय के अध्यक्ष को प्रस्तुत करना आवश्यक है जो इन्हें संघ लोक सेवा आयोग को भेज देगा।

14. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिनपर नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किए जाने की सम्भावना हो।

टिप्पणी : अशक्त भूतपूर्व-रक्षा-सेवा-कार्मिकों के सम्बन्ध में रक्षा सेवा के डीमौबीलाइजेशन मैडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के लिए पर्याप्त समझा जाएगा।

15. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

16. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायेगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

17. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो वह परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

18. यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा इस बात के लिए दोषी घोषित किया जाए या कर दिया गया हो कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रमाण-पत्र आदि पेश किए हैं या ऐसे प्रमाण-पत्र पेश किये हैं जिनमें कोई हेरा-फेरी की गई है या गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए किसी और अनियमित या अनुपयुक्त तरीके से काम लिया है या परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों से काम लिया है या काम लेने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में कोई अनुचित आचरण किया है या परीक्षा भवन में उसके पास अनधिकृत कागज, पुस्तकें या टिप्पणियां इत्यादि पाई जाएं या ये उसे सुलभ हों, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रौजीक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही :

(क) उसे हमेशा के लिये या किसी विशेष अवधि के लिए

(I) आयोग उम्मीदवार के चनाव के लिए उसके द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा या इन्टरव्यू में शामिल होने से रोक सकता है, और

(II) केन्द्रीय सरकार अपने अधीन नियुक्ति होने से उसे रोक सकती है;

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी सेवा में नियुक्त हो तो उसके खिलाफ उपयुक्त नियमों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

19. परीक्षा के पश्चात्—

(क) वर्ग I में सम्मिलित सेवाओं/पदों के लिए परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल अंकों से प्रकट गुणों के आधार पर आयोग द्वारा उम्मीदवारों की क्रमबद्ध सूची बनाई जायेगी और परीक्षा के परिणामों पर नियुक्ति के लिए उसी क्रम से आयोग उन उम्मीदवारों की सिफ़ारिश करेगा।

(ख) वर्ग II में सम्मिलित सेवाओं/पदों के लिए परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिये गए कुल अंकों से प्रकट गुणों के आधार पर आयोग द्वारा उम्मीदवारों की क्रमबद्ध सूची बनाई जाएगी, और परीक्षा के परिणामों पर भरे जाने के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति के लिए उसी क्रम से आयोग उन उम्मीदवारों की सिफारिश करेगा, जिनको वह परीक्षा में उत्तीर्ण समझता है।

परन्तु अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति का जो उम्मीदवार किसी सेवा-पद के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मान के अनुसार योग्य सिद्ध न होने पर भी आयोग द्वारा उस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया जाए और इससे प्रशासनिक कुशलता में किसी प्रकार का व्याघात होने का भय न हो, तो वह उस सेवा/पद में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित खाली पदों पर नियुक्ति का हकदार होगा।

20. (क) यदि परीक्षा के परिणाम के आधार पर वर्ग I में सेवाओं/पदों के लिए सेवामुक्त आपात कमीशन प्राप्त/अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा वर्ग II में सेवाओं/पदों के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित खाली पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो न भरे गए खाली पद सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली पद्धति से भरे जायेंगे।

(ख) यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या सेवामुक्त आपात कमीशन प्राप्त/अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए आरक्षित खाली पदों की संख्या से अधिक हो जाए तो जिन जिन अधिकारियों को नियुक्त नहीं किया जाता है, उनके नाम उत्तरवर्ती वर्ष (वर्षों) में उनके लिये आरक्षित खाली पदों के कोटे में नियुक्ति के लिए प्रत्याशी-सूची (सूचियों) में रखे जायेंगे।

21. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवार द्वारा बताई गई प्राथमिकताओं का (आयोग के नोटिस का अनुच्छेद 4 तथा आवेदन-पत्र के खाना 24 को देखिए) समुचित ध्यान रखा जाएगा लेकिन किसी भी उम्मीदवार को ऐसी किसी भी सेवा/पद पर नियुक्त किया जा सकता है जो उस वर्ग में (नियम 1 देखिये) सम्मिलित है जिस वर्ग के लिये उसे परीक्षा में बैठने दिया गया था।

22. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा-फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

23. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता। इसके लिये आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करके इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।

24. जिन सेवाओं/पदों के लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है उनका संक्षिप्त ब्यौरा अनुबन्ध II में दिया गया है।

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव

परिशिष्ट I

1. प्रतियोगिता-परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(क) दो विषयों में लिखित परीक्षा, जैसा नीचे के पैरा 2 में दिया गया है, जिसके पूर्णांक 200 होंगे।

(ख) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों के लिए अंग्रेजी में आशुलिपि परीक्षाओं, जैसा नीचे के पैरा 3 में दी गयी है, पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

(एक) भूतपूर्व सैनिकों के लिए 300 अंक; और

(दो) आपातकालीन कमीशण्ड अधिकारियों/अल्प सेवा कमीशण्ड अधिकारियों के लिए 250 अंक।

(ग) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले आपातकालीन कमीशण्ड अधिकारियों/अल्प सेवा कमीशण्ड अधिकारियों के लिए सशस्त्र सेना में सेवा के रिकार्ड का मूल्यांकन जिसके पूर्णांक 50 होंगे।

2. लिखित परीक्षा के विषय तथा प्रत्येक विषय के लिए दिया गया समय तथा पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

विषय	दिया गया समय	पूर्णांक
1. अंग्रेजी . .	3 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान .	3 घंटे	100

3. (एक) उम्मीदवारों को परीक्षा के लिये अंग्रेजी के दो डिक्टेशन दिए जाएंगे, पहला 120 शब्द प्रति मिनट की गति पर, जो सात मिनट का होगा, और दूसरा 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर जो दस मिनट का होगा। उम्मीदवारों को क्रमश: 45 और 50 मिनट में इन्हें टाइप कर लेना होगा।

(दो) जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे उन्हें 100 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से ऊपर रखा जाएगा। प्रत्येक वर्ग में उम्मीदवारों को, प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए कुल अंकों से यथा प्रकाशित गुणों के परस्पर अनुक्रम में रखा जाएगा।

(तीन) उम्मीदवारों को अपने आशुलिपि नोट टाइप करने होंगे और इसके लिए उन्हें अपनी-अपनी टाइप-मशीन लानी होगी।

4. परीक्षा का पाठ्य-विवरण साथ लगी अनुसूची के अनुसार होगा और लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्र वही होंगे जो साथ-साथ होने वाली नियमित आशुलिपिक परीक्षा की योजना में इन विषयों के लिए होंगे।

5. सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही लिखे जाने चाहिए।

6. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित करेगा।

8. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आशुलिपि परीक्षा के लिये बुलाया जाएगा जो आयोग के द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किए गए न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे।

9. केवल सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

10. अस्पष्ट लिखावट के कारण, लिखित विषयों के अधिकतम अंकों में से, 5 प्रतिशत तक काट लिए जाएंगे।

11. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष लिहाज रखा जाएगा कि भाषाभिव्यक्ति आवश्यकतानुसार कम-से-कम शब्दों में, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

अनुसूची

परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण

टिप्पणी—प्रश्न-पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होता है।

अंग्रेजी :—यह प्रश्न-पत्र इस रूप में तैयार किया जाएगा जिसमें उम्मीदवारों के अंग्रेजी-व्याकरण और निबन्ध-रचना के ज्ञान की तथा अंग्रेजी भाषा को समझने और शुद्ध अंग्रेजी लिखने की उनकी योग्यता की जांच हो जाए। अंक देते समय वाक्य-विन्यास, सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा-कौशल को ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रश्न-पत्र में निबन्ध-लेखन सार-लेखन, मसौदा-लेखन, शब्दों का शुद्ध प्रयोग, आसान मुहावरों और पूर्वसर्ग (प्रीपोजीशन), कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य आदि शामिल किए जा सकते हैं।

सामान्य ज्ञान :—निम्नलिखित विषयों की थोड़ी-बहुत जानकारी : भारत का संविधान, पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत का सामान्य और आर्थिक भूगोल, सामयिक घटनाएं, सामान्य विज्ञान तथा दिन प्रतिदिन नजर आने वाली ऐसी बातें जिनकी जानकारी पढ़े-लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए। उम्मीदवारों के उत्तरों से यह प्रकट होना चाहिए कि उन्होंने प्रश्नों को अच्छी तरह समझा है। उनके उत्तरों में किसी पाठ्य पुस्तक के ब्यौरेवार ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जाती।

परिशिष्ट-II

उन सेवाओं/पदों से संबंधित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है।

क. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) सेवा

इस समय केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित दो ग्रेड हैं :—

ग्रेड I :—350-25-650 रु० (ग्रेड II से पदोन्नत व्यक्तियों को इस वेतन क्रम से कम-से-कम 400 रु० वेतन दिया जाता है।)

ग्रेड II :—210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530 रु०।

(2) सेवा के ग्रेड II में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं।

(3) परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार संबंधित व्यक्ति की उसके पद पर पुष्टि कर सकती है या यदि उसका कार्य अथवा आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक रहा तो, उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा अवधि और जितनी बढ़ाना उचित समझे बढ़ा सकती है।

(4) सेवा के ग्रेड II में भर्ती किये गये व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जाएगा। किन्तु उनकी किसी भी समय किसी भी ऐसे अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली हो सकती है।

(5) सेवा के ग्रेड II में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत किये जाने के पात्र होंगे।

(6) जिन लोगों की नियुक्ति सेवा के ग्रेड II में उनकी अपनी इच्छा के अनुसार की जाएगी, वे उस नियुक्ति के पश्चात् भारतीय विदेश सेवा (ख) के काडर में अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा योजना में शामिल किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का दावा न कर सकेंगे।

टिप्पणी : केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का पुनर्गठन किया जा रहा है।

ख. रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा

(क) जहां तक भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि का संबंध है, रेलवे मंत्रालय में नियुक्त आशुलिपिकों की सेवा की शर्तें रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना द्वारा विनियमित होती हैं जो कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना के ही अनुरूप है।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना के निम्न दो ग्रेड हैं :—

(i) आशुलिपिक ग्रेड I—350-25-650 रु०।

(ii) आशुलिपिक ग्रेड II—210-10-270-15-300-द० रो० 15-450-द० रो०-20-530 रु०।

सीधी भर्ती केवल ग्रेड II में ही की जाती है। ग्रेड I के पद ग्रेड II के आशुलिपिकों की पदोन्नति करके भरे जाते हैं। ग्रेड II के आशुलिपिकों को ग्रेड I में पदोन्नत किये जाने पर कम-से-कम 400 रु० प्रति मास वेतन दिया जाता है।

ग्रेड I के आशुलिपिकों पर समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार उनके लिये नियत कोटे में अनुभाग अधिकारियों के पदों पर पदोन्नत करने के लिये भी विचार किया जाता है।

(ग) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा रेलवे मंत्रालय तक सीमित है और उनके कर्मचारियों की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की तरह अन्य मंत्रालयों में बदली नहीं हो सकती है।

(घ) इन नियमों के अधीन रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में भर्ती हुए अधिकारी :—

(i) पेंशन सम्बन्धी लाभों के पात्र होंगे ; और

(ii) उनकी सेवा में आने की तारीख को नियुक्त रेलवे कर्मचारियों पर लागू होने वाले उस निधि के नियमों के अनुसार अन्-अंशदायी राज्य रेलवे भविष्य निधि के अभिदाता होंगे।

(ङ) रेलवे मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारी अन्य रेलवे कर्मचारियों के लिये स्वीकार्य मानों के अनुसार ही पासों और सुविधा टिकट आदेशों के हकदार होते हैं।

(च) जहां तक छुट्टी तथा सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में शामिल कर्मचारियों के साथ रेलवे के अन्य कर्मचारियों के समान ही व्यवहार किया जाता है किन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में उन पर नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियम ही लागू होंगे।

ग. भारतीय विदेश सेवा (ख)—आशुलिपिकों के उप-संवर्ग का ग्रेड II

भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक उप-संवर्ग के ग्रेड II का वेतन क्रम 210-10-270-15-300 द० रो० 15-450 द० रो० 20-530 रु० है। भारतीय विदेश सेवा (ख) के उप-संवर्ग के ग्रेड II में नियुक्त अधिकारियों पर, भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' (आर० सी० एस० पी०) नियम 1964 तथा भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियम, 1961, जैसे कि वे भारतीय विदेश सेवा 'ख' पर लागू होते हैं, तथा अन्य ऐसे नियम तथा आदेश जो भारत सरकार द्वारा उन पर लागू किए जाएं, लागू होंगे।

भारती विदेश सेवा शाखा 'ख' विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों तक ही सीमित है। इस सेवा में नियुक्त अधिकारियों की बदली आमतौर पर वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य मंत्रालयों में नहीं की जा सकती। हां, उनकी नियुक्ति विदेशों में अन्य मंत्रालयों के उपस्थिति-रजिस्टर में आनीत पदों पर की जा सकती है और अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों इत्यादि में भी उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। वे भारत में या इससे बाहर अपारिवारिक केन्द्रों सहित कहीं भी सेवा पर नियुक्त किये जा सकते हैं।

विदेश में सेवा के दौरान भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों को अपने मूल वेतन के अलावा सम्बन्धित देशों के निर्वाह खर्च को देखते हुए समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों पर विदेश भत्ता भी दिया जाता है। इसके अलावा भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियम, 1961, जैसे कि वे भारतीय विदेश सेवा (ख) की अधिकारियों पर लागू होते हैं, के अनुसार उन्हें विदेश सेवा के दौरान निम्नलिखित रियायतें भी दी जाती है :—

(i) सरकार द्वारा निर्धारित स्तर के अनुसार निःशुल्क साज-सामान-युक्त आवास।

(ii) सहायित चिकित्सा योजना के अधीन चिकित्सा सुविधाएं।

(iii) कुछ शर्तों के अधीन 8 से 18 वर्ष तक की आयु के भारत में शिक्षा पाने वाले बच्चों के लिए वर्ष में एक बार लम्बी छुट्टियों के दौरान माता-पिता से मिलने के लिये वापसी हवाई यात्रा का किराया।

(iv) समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर 5 से 18 वर्ष तक की आयु के अधिक-से-अधिक दो बच्चों के लिये शिक्षा-भत्ता।

(v) समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर और विहित नियमों के अनुसार विदेश सेवा के सम्बन्ध में सज्जा-भत्ता। जिन अधिकारियों की नियुक्ति ऐसे देशों में की जाती है जहां असामान्य रूप से ठंड पड़ता है, उन्हें सामान्य सज्जा-भत्ता के अलावा विशेष सज्जा-भत्ता भी दिया जाता है।

(vi) विहित नियमों के अनुसार अधिकारियों तथा उनके परिवार के लिये छुट्टी में घर जाने-आने का यात्रा-व्यय।

सेवा के सदस्यों पर, कुछ आशोधनों के साथ, समय-समय पर यथा-संशोधित "परिशोधित छुट्टी नियम, 1933" लागू होंगे। कुछ पड़ोसी देशों को छोड़ कर अन्य देशों में नियुक्त अधिकारी विदेश सेवा के लिए, परिशोधित छुट्टी नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य छुट्टी के 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त छुट्टी-जमा के हकदार होंगे।

भारत में रहते हुए अधिकारी अपने समान तथा उसी स्तर के अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य रियायतों के हकदार होंगे।

भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों पर समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 तथा उनके अधीन जारी किये गए आदेश लागू होते हैं।

इस सेवा में नियुक्त अधिकारियों पर समय-समय पर यथा-संशोधित उदारीकृत पेंशन नियम, 1950 के तथा उसके अधीन जारी किये गये आदेश लागू होते हैं।

घ. चुनाव आयोग, भारत

चुनाव आयोग में आशुलिपिकों के पदों का वेतन मान केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के समान ही 210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530 रु० होगा। किन्तु ये पद केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में शामिल नहीं हैं और इन पदों पर नियुक्त व्यक्ति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के काडर में सम्मिलित पदों पर नियुक्ति का कोई दावा न कर सकेंगे।

ड. पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग में वरिष्ठ आशुलिपिकों के पद 210-10-290-15-320-द० रो०-15-425 के परिशोधित वेतन मान में स्वीकृत हैं और सामान्य केन्द्रीय सेवा (श्रेणी II) (अराजपत्रित)-लिपिक-वर्गीय से सम्बन्धित है। कम-से-कम 5 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ आशुलिपिक 320-15-470-द० रो०-15-530 रु० के वेतन मान में वैयक्तिक सहायकों के पद पर नियुक्ति के पात्र होते हैं। इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को आमतौर पर विभाग के मुख्यालय स्थापना में कार्य करना होगा किन्तु उन्हें भारत में कहीं भी काम करने के लिए कहा जा सकता है।

च. सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्नलिखित दो ग्रेड हैं :—

आशुलिपिक ग्रेड I—375-20-575-25-650 रु०
(श्रेणी II—राजपत्रित)

आशुलिपिक ग्रेड II—210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530 रु०।
(श्रेणी II—अराजपत्रित)

ग्रेड I के पद ग्रेड II के आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। सीधी भर्ती केवल ग्रेड II में ही की जाती है।

2. अस्थायी आशुलिपिक ग्रेड II के रूप में सीधे भर्ती होने वाले व्यक्ति दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि में सेवा का रिकार्ड असन्तोषजनक होने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से निकाला जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान सेवा के किसी सदस्य को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं।

3. सशस्त्र सेना मुख्यालय में भर्ती किये गये आशुलिपिक ग्रेड II आमतौर पर दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सशस्त्र सेना मुख्यालय और अन्त: सेवा संगठनों के किसी एक कार्यालय में नियुक्त किये जाएंगे। किन्तु उनकी बदली दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर ऐसे नगरों में भी की जा सकेगी जहां सशस्त्र सेना मुख्यालय/अन्त: सेवा संगठनों के कार्यालय स्थित हों।

4. आशुलिपिक ग्रेड II समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार आशुलिपिक ग्रेड I के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे।

5. छुट्टी, चिकित्सा सहायता तथा सेवा की अन्य शर्तें वही है जो सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्त: सेवा संगठनों में नियुक्त अन्य लिपिक-वर्गीय कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

छ. संसदीय मामलों का विभाग

इस विभाग में आशुलिपिकों के पदों का वेतन मान 210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530 रु० है।

प्रतियोगिता परीक्षा के जरिये चुनाव द्वारा सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रखा जाएगा।

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 1969

नियम

सं० 20/1/69-ए० आई० एस० (1)—निम्नलिखित सेवाओं में रिक्तियों को भरने के लिए, अक्तूबर 1969 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता-परीक्षा के नियम, सम्बन्धित मंत्रालयों की ओर भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की सहमति से, आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे है :—

वर्ग—I

(I) भारतीय प्रशासन सेवा, और
(II) भारतीय विदेश सेवा।

वर्ग—II

(I) भारतीय पुलिस सेवा,
(II) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, क्लास-II,
(III) मणिपुर पुलिस सेवा, क्लास-II, और
(IV) त्रिपुरा पुलिस सेवा, क्लास-II।

वर्ग—III

(क) क्लास-I की सेवाएं :—
(1) केन्द्रीय सूचना सेवा, (ग्रेड-II) क्लास-I,

(2) भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा,

(3) भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा,

(4) भारतीय रक्षा लेखा सेवा,

(5) भारतीय-आय कर सेवा (क्लास-I),

(6) भारतीय डाक सेवा,

(7) भारतीय रेलवे लेखा सेवा, और

(8) भारतीय रेल *यातायात* सेवा,

(9) सैन्य भूमि तथा सैन्य छावनी सेवा, क्लास-I,

(ख) क्लास-II की सेवाएं :—

(1) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी, ग्रेड, क्लास-II,

(2) सीमा-शुल्क मूल्य निरूपक (एप्रेजर) सेवा, क्लास-II,

(3) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा, क्लास-II,

(4) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, क्लास-II,

(5) सैन्य भूमि और सैन्य छावनी सेवा, क्लास-II,

(6) मणिपुर सिविल सेवा, क्लास-II,

(7) त्रिपुरा सिविल सेवा, क्लास-II,

(8) गोआ, दमन तथा दियु सिविल सेवा, क्लास-II, तथा

(9) पांडिचेरी सिविल सेवा, क्लास-II।

(10) सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालय की सिविल सेवा, अधीक्षकों के ग्रेड श्रेणी-II।

1. उम्मीदवार उपर्युक्त सेवा वर्गों में से किसी एक से या अधिक के लिए परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता है। (देखिए नियम 4) उसे सम्बन्धित वर्ग/वर्गों के अन्तर्गत आने वाली उन सभी सेवाओं का, जिनके लिए वह विचार किए जाने का इच्छुक है, अपने आवेदन पत्र में उल्लेख कर देना चाहिए।

उम्मीदवार ऊपर दी हुई सेवाओं की किसी एक या अधिक कोटियों के लिए प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। (कृपया नियम 4 देखें)। उसे अपने प्रार्थना-पत्र में स्पष्टतया लिखना चाहिए कि वह अधिमान्यता क्रम से सेवाओं में दी हुई किसी कोटि/कोटियों के लिए विचार किए जाने के लिए इच्छुक है।

उम्मीदवार द्वारा दी गई अधिमान्यता क्रम में कोई तबदीली उस कोटि/कोटियों में जो सेवाओं के अंतर्गत आती है जिनके लिए वह प्रतियोगिता में भाग ले रहा है नहीं की जाएगी जब तक उस तबदीली के लिए परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होने के 10 दिन के अन्दर गृह मंत्रालय में उसकी याचना न आ जाए।

2. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती की जाने वाली रिक्तियों की संख्या का उल्लेख आयोग के द्वारा प्रकाशित नोटिस में किया जाएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के उम्मीदवार के लिए रिक्तियों का आरक्षण भारत सरकार के द्वारा निर्धारित विधि से किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों/आदिमजातियों से अभिप्राय निम्नांकित में उल्लिखित जातियों/आदिम जातियों में से किसी एक से है : अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956 के साथ पढ़े गए अनुसूचित जाति/आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956, संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, तथा संविधान (अनुसूचित आदिम जातियों) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967।

3. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा नियमों के परिशिष्ट II में निर्धारित विधि से लेगा।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. भारतीय प्रशासन सेवा आदि में भर्ती के लिए ली जाने वाली सम्मिलित प्रतियोगिता-परीक्षा को इन तीन वर्गों की सेवाओं को, यानी, (I) भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश सेवा, (II) भारतीय पुलिस सेवा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, मणिपुर पुलिस सेवा क्लास-II, और त्रिपुरा पुलिस सेवा, क्लास-II, और (III) केन्द्रीय सेवाएं, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा, मणिपुर सिविल सेवा, त्रिपुरा सिविल सेवा, गोवा दमन तथा दियु सिविल सेवा तथा पांडिचेरी सिविल सेवा के लिए अलग-अलग तीन परीक्षाएं समझा जाएगा।

5. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का न हो या संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन, दियू का निवासी न हो या कीन्या, उगान्डा, संयुक्त गणराज्य टेन्जानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से न आया हो तो उसे ऊपर नियम 4 में उल्लिखित तीन वर्गों में से प्रत्येक की सेवाओं के लिए प्रतियोगिता-परीक्षा में अधिक से अधिक दो बार सम्मिलित होने दिया जाएगा, परन्तु यह प्रतिबन्ध 1961 की परीक्षा से लागू है : किन्तु शर्त यह है कि निम्नांकित नियम 7(ख) के अनुसार निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों को ऊपरी आयु सीमा में मिलने वाली छूट के अंतर्गत किसी भी उम्मीदवार को सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा में दो बार से अधिक बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा यदि कोई उम्मीदवार किसी एक या अधिक वर्ग/वर्गों के लिए परीक्षा में बैठ लेता है तो उसे सम्मिलित परीक्षा में एक बार बैठा हुआ मान लिया जाएगा।

नोट :—यदि कोई उम्मीदवार किसी एक या एक से अधिक विषय/विषयों की परीक्षा देता है तो उसे उन सेवा-वर्गों की परीक्षा में बैठा हुआ मान लिया जाएगा जिनके लिए आयोग

ने उसे प्रवेश दिया था । इस नियम के उपबंध के अन्तर्गत जिस उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी उसे सम्मिलित परीक्षा में एक बार बैठा हुआ मान लिया जाएगा।

6. (I) भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो ।

(II) अन्य सेवा के उम्मीदवार को या तो

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(च) मूल रूप से ऐसा भारतीय व्यक्ति हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, लंका और पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उगांडा, तथा संयुक्त गणराज्य टेंजानिया (भूतपूर्व टेंगानिका और जंजीबार) देशों से आया हो।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ), (ङ) और (च) कोटियों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण पत्र होना चाहिए।

लेकिन नीचे लिखे उम्मीदवारों को पात्रता-प्रमाण पत्र लेना आवश्यक नहीं होगा :—

(I) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 से पहले, पाकिस्तान से भारत में आ गए हों और तब से आम तौर से भारत में ही रह रहे हों।

(II) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत में आ गए हों और जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद (आर्टिकल) 6 के अधीन स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर करा लिया हो ।

(III) ऊपर की (च) कोटि के वे गैर-नागरिक, जो संविधान, लागू होने की तारीख अर्थात् 26 जनवरी, 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आए और तब से लगातार नौकरी कर रहे हैं और जिनके सेवाकाल का क्रम नहीं टूटा है । लेकिन यदि किसी व्यक्ति के सेवाकाल का क्रम टूट गया हो और उसे 26 जनवरी, 1950 के बाद उक्त सेवा में दुबारा नियुक्त किया गया हो तो उसे भी औरों की तरह पात्रता-प्रमाण-पत्र देना होगा ।

एक और शर्त यह भी है कि उपर्युक्त (ग), (घ) और (ङ) कोटियों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जाएंगे ।

परीक्षा में उस उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिए पात्रता-प्रमाण-पत्र आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के साथ, अनन्तिम (प्रोविजनल) रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है ।

7. (क) (I) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और बाकी सभी सेवाओं के लिए सिवाय पैरा (I) में उल्लिखित भारतीय पुलिस सेवा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, मणिपुर सेवा, क्लास-II, और त्रिपुरा पुलिस सेवा, क्लास-II को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं में उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आयु 1 अगस्त 1969 को 21 वर्ष पूरी हो गई हो किन्तु 24 वर्ष की न हुई हो अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1945 से पहले और 1 अगस्त 1948 के बाद नहीं हुआ हो ।

(II) भारतीय पुलिस सेवा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, मणिपुर पुलिस सेवा, क्लास-II और त्रिपुरा पुलिस सेवा, क्लास-II के उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आयु 1 अगस्त, 1969 को पूरे 20 साल की हो गई हो किन्तु 24 साल न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1945 से पहले और 1 अगस्त 1947 के बाद न हुआ हो ।

(ख) 24 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित वर्गों के उन निर्मुक्त आपात कालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों के मामले में छूट दी जाएगी जिन्होंने सशस्त्र सेनाओं में अपने चयन के पूर्व पढ़ाई छोड़ दी थी तथा जिनके पास सशस्त्र सेनाओं से निर्मुक्त होने की तारीख को नीचे नियम 8 में दी गई शैक्षिक योग्यताएं नहीं थी । यही छूट सशस्त्र सेनाओं में उनके पूरे सेवाकाल (कमीशन पूर्व/कमीशन प्राप्ति के बाद के प्रशिक्षण में बिताई गई अवधि सहित) की सीमा तक दी जाएगी तथा सेवाकाल की गणना पूर्ण वर्ष तक की जाएगी ।

(1) सशस्त्र सेनाओं में 1 नवम्बर, 1962, के बाद कमीशन प्राप्त ऐसे आपात कालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी जिनकी आयु कमीशन-पूर्व का प्रशिक्षण प्रारम्भ करने, अथवा कमीशन पाने (जिन मामलों में केवल कमीशन प्राप्ति के बाद का प्रशिक्षण रहा हो) के वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष में 1 अगस्त को 21 वर्ष नहीं हुई थी किन्तु शर्त यह है कि प्रशिक्षण संबद्ध वर्ष की 31 जुलाई को या उससे पूर्व प्रारम्भ हुआ हो ।

(2) सशस्त्र सेनाओं में 1 नवम्बर, 1962, के बाद कमीशन प्राप्त ऐसे आपात कालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी जिनकी आयु कमीशन-पूर्व का प्रशिक्षण प्रारम्भ करने अथवा कमीशन पाने (जिन मामलों में केवल कमीशन प्राप्ति के बाद का प्रशिक्षण रहा हो) के वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष में 1 अगस्त को 20 वर्ष नहीं हुई थी किन्तु शर्त यह है कि प्रशिक्षण सम्बद्ध वर्ष के 1 अगस्त को या उसके बाद प्रारम्भ हुआ हो ।

नोट 1—इन नियमों के लिए "निर्मुक्ति" का अर्थ निम्नलिखित होगा :—

(I) आपातकालीन आयुक्त अधिकारियों के मामले में किसी क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार वास्तविक निर्मुक्ति,

(II) अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों के मामले में उनके सेवाकाल की समाप्ति पर वास्तविक निर्मुक्ति,

(III) सैन्य सेवा में हुई अथवा उसके कारण बढ़ गई विकलांगता के फलस्वरूप अपांगता,

किन्तु यह वास्तविक निर्मुक्ति सशस्त्र सेनाओं में कुछ समय तक सेवा कर लेने के बाद हुई हो, प्रशिक्षण के अन्त में उस के दौरान, अथवा वास्तविक सेवा में लिए जाने के पूर्व प्रशिक्षण काल के लिए दिए गए अल्पकालीन सेवा कमीशन के अन्त में या उसके दौरान नहीं। वास्तविक निर्मुक्ति के अन्तर्गत दुर्व्यवहार या अकुशलता के कारण या अपने स्वयं के अनुरोध पर निर्मुक्त हुए अधिकारियों के मामले भी नहीं आते।

नोट 2—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले उन इंजीनियरों और डाक्टरों को आयु सीमा में उपर्युक्त छूट नहीं दी जाएगी जिन्हें 'अनिवार्य सेवा योजना' (कम्पलसरी लायबिलिटी स्कीम) के अन्तर्गत एक निर्धारित अवधि के लिए सशस्त्र सेनाओं में सेवा करनी पड़ती है तथा जिन्हें इस प्रकार की सेवा के दौरान सम्बद्ध नियमों के अन्तर्गत अल्पकालीन सेवा कमीशन दे दिया जाता है।

नोट 3—सशस्त्र सेनाओं के वालंटियर रिजर्व फोर्सेस के अधिकारियों को, जिन्हें अस्थायी सेवा के लिए बुलाया जाता है, आयु सीमाओं में यह छूट नहीं दी जाएगी।

(ग) ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु में और छूट दी जा सकती है :—

(I) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिमजाति का हो तो अधिक-से-अधिक पांच वर्ष,

(II) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान से 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद भारत में आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष,

(III) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और वह 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष,

(IV) यदि उम्मीदवार संघराज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो तथा उसने कभी फ्रांसीसी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो तो अधिक-से अधिक तीन वर्ष,

(V) यदि उम्मीदवार अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद, श्रीलंका से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष,

(VI) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति तथा अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही अक्तूबर, 1964 से भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन, 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से वास्तविक रूप से भारतीय व्यक्ति भी हो, तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष,

(VII) यदि उम्मीदवार गोआ, दमन और दियु के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी हो, तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष,

(VIII) यदि उम्मीदवार कीनिया, उगांडा, तथा संयुक्त गणराज्य टेंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका तथा जंजीबार) से आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष,

(IX) यदि उम्मीदवार 1 जून, 1963 या उसके बाद, बर्मा से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष, और

(X) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा, से प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष।

(XI) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक जो किसी विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए, तथा

(XII) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम आठ वर्ष तक जो किसी विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हैं।

उपर्युक्त परिस्थितियों को छोड़कर निर्धारित आयु-सीमा में किसी में छूट नहीं दी जाएगी।

8. उम्मीदवार के पास परिशिष्ट 1 में उल्लिखित विद्यालयों में से किसी एक की कोई उपाधि होनी चाहिए अथवा उसके पास परिशिष्ट-क में उल्लिखित अर्हताओं में से कोई एक अर्हता होनी चाहिए।

नोट I :—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हता परीक्षा

(क्वालीफाइंग एक्जामीनेशन) में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन कर सकता है बशर्ते कि वह अर्हता परीक्षा इस परीक्षा के आरम्भ होने से पहले समाप्त हो जाए। ऐसे उम्मीदवार को, यदि वह अन्य शर्तें पूरी करता हो, तो इस परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की ऐसी अनुमति अनन्तिम मानी जाएगी और यदि वह अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी-से-जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के प्रारम्भ होने की तारीख से अधिक-से-अधिक दो महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं करता, तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है।

नोट-II—विशेष परिस्थितियों में, संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो बशर्ते कि उस उम्मीदवार ने अन्य संस्थाओं द्वारा संचलित कोई ऐसी परीक्षाएं पास की हों जिनके स्तर को देखते हुए आयोग उसको परीक्षा में प्रवेश देना उचित समझे।

नोट-III—यदि कोई उम्मीदवार अन्यथा परीक्षा में प्रवेश का पात्र हो किन्तु उसने ऐसी विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधि ली हो जो परिशिष्ट 1 में सम्मिलित न हो तो वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और आयोग, यदि उचित समझे तो, उसे परीक्षा में प्रवेश दे सकता है।

9. यदि किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार की नियुक्ति वर्ग I (भारतीय प्रशासन सेवा या भारतीय विदेश सेवा) की किसी सेवा में हो जाती है तो वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा।

यदि किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार की नियुक्ति नीचे स्तम्भ (II) में उल्लिखित किसी सेवा में हो जाती है तो वह केवल उन्हीं सेवाओं के लिए इस परीक्षा में बैठने का पात्र होगा जो उक्त सेवा के सामने नीचे स्तम्भ (III) में उल्लिखित है :—

क्रम सं०	जिस सेवा में नियुक्ति हुई	जिन सेवाओं के लिए परीक्षा में बैठने का पात्र है
1	2	3
1.	भारतीय पुलिस सेवा	(I) वर्ग I (भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश सेवा)। (II) वर्ग III में, केन्द्रीय सेवाएं, क्लास-I,
2.	केन्द्रीय सेवाएं, क्लास I,	(I) वर्ग I (भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश सेवा)। (II) वर्ग II में भारतीय पुलिस सेवा।
3.	केन्द्रीय सेवाएं, क्लास II दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिविल सेवा मणिपुर, सिविल सेवा, क्लास II त्रिपुरा, सिविल सेवा, क्लास II गोआ, दमन तथा दियु, सिविल सेवा, क्लास II, तथा पांडिचेरी सिविल सेवा क्लास II दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुलिस सेवा मणिपुर पुलिस सेवा, क्लास II और त्रिपुरा पुलिस सेवा, क्लास II.	(I) वर्ग I (भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश सेवा) (II) वर्ग II में भारतीय पुलिस सेवा। (III) वर्ग III में केन्द्रीय सेवाएं क्लास-I

10. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के परिशिष्ट I में निर्धारित फीस अवश्य देनी होगी।

11. जो उम्मीदवार स्थायी या अस्थाई रूप में पहले से ही सरकारी सेवा करता हो, उसे इस परीक्षा में बैठने से पहले अपने विभाग के अध्यक्ष की अनुमति अवश्य लेनी होगी।

12. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

13. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायगा, जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश-प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) नहीं होगा।

14. यदि कोई उम्मीदवार किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए पैरवी करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

15. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग ने किसी दूसरे व्यक्ति से परीक्षा दिलवाने अथवा जाली या फेर-बदल किए हुए प्रमाण-पत्र पेश करने अथवा गलत या झूठा तथ्य प्रस्तुत करने अथवा किसी तथ्य को छिपाने या परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित उपाय अपनाने, परीक्षा भवन में कोई अनुचित उपाय अपनाने या अपनाने की चेष्टा करने अथवा परीक्षा भवन में किसी तरह का अनुचित आचरण करने के फलस्वरूप अपराधी घोषित किया है तो उसके विरुद्ध दाण्डिक अभियोजन के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है :—

(क) सदा के लिए अथवा किसी विशेष अवधि के लिए परीक्षा वारित किया जाना;

(I) आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से।

(II) केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकार के अन्तर्गत नौकरियों के लिए।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकार की सेवा में हो तो उचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाई की जा सकती है।

16. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अर्हताअंक (Qualifying Marks) प्राप्त कर लेगा जितने आयोग अपने निर्णय से निश्चित करे, तो उसे आयोग व्यक्तित्व परीक्षा (Personality Test) के इंटरव्यू के लिए बुलाएगा।

17. परीक्षा के बाद, आयोग उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम से उनकी सूची बनायेगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जितने लोगों को आयोग परीक्षा के आधार पर योग्य समझेगा, उनकी इन रिक्तियों पर नियुक्ति करने के लिए सिफारिश की जाएगी। यह भर्ती आरक्षित रूप में न होकर इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर होगी।

लेकिन शर्त यह है कि आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के किसी ऐसे उम्मीदवार को, जो किसी सेवा के लिए आयोग द्वारा निर्धारित स्तर के अनुसार योग्य सिद्ध न हो प्रशासन की कुशलता को ध्यान में रखते हुए उस सेवा पर नियुक्ति के लिए उपर्युक्त घाषित कर दे तो उसकी उस सेवा में यथास्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए आयोग सिफारिश करेगा।

18. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा। आयोग परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

19. उम्मीदवार ने अपना आवेदन-पत्र देते समय अपना जो अधिमान-क्रम बताया होगा, उस पर उचित रूप से विचार किया जाएगा परन्तु भारत सरकार को उसे ऐसी कोई भी सेवा सौंपने का अधिकार है जिसके लिए वह उम्मीदवार हो।

लेकिन शर्त यह है कि यदि किसी उम्मीदवार को किसी पिछली परीक्षा के आधार पर वर्ग I (भा० प्र० से० अथवा भा० वि० से०) के अन्तर्गत आने वाली किसी सेवा में नियुक्त किया गया है, इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी अन्य सेवा में उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

एक अन्य शर्त यह है कि यदि किसी उम्मीदवार को किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर नीचे के कालम (II) में उल्लिखित किसी एक सेवा में नियुक्त किया गया है तो इस परीक्षा परिणाम के आधार पर उसकी नियुक्ति केवल उन्हीं सेवाओं में की जा सकेगी, जो उक्त सेवा के सामने कालम (III) में दी गई है:—

क्रम सं०	सेवा जिसमें नियुक्ति की गई	सेवा जिसमें नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा
1	2	3
1.	भारतीय पुलिस सेवा	(I) वर्ग I (भा० प्र० से० तथा भा० वि० से०) (II) वर्ग III में दी गई क्लास I की केन्द्रीय सेवाएं।
2.	केन्द्रीय सेवाएं, क्लास I,	(I) वर्ग I (भा० प्र० से० तथा भा० वि० से०), (II) वर्ग II में दी गई भारतीय पुलिस सेवा।
3.	केन्द्रीय सेवाएं, क्लास II दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा, मणिपुर सिविल सेवा, क्लास II, त्रिपुरा सिविल सेवा, क्लास II, गोवा, दमन तथा दियु सिविल सेवा, क्लास II, तथा पांडिचेरी सिविल सेवा क्लास II दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, मणिपुर सिविल सेवा, क्लास II, और त्रिपुरा पुलिस सेवा, क्लास II	(I) वर्ग I (भा० प्र० से० तथा भा० वि० से०), (II) वर्ग II में दी गई भारतीय पुलिस सेवा। (III) वर्ग III में दी गई क्लास I की केन्द्रीय सेवाएं।

20. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इसमे नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है।

21. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्ट से स्वस्थ होना चाहिए, और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नही होना चाहिए जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक न निभा सके। यदि सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित डाक्टरी परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवार की डाक्टरी परीक्षा करवाई जा सकती है।

नोट:—बाद में निराश न होना पड़े इसलिये उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवाले: नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके लिए स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, इसके ब्यौरे इन नियमों के परिशिष्ट 4 में दिए गए हैं।

रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग सैनिकों को सेवा(ओं) की आवश्यकताओं के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जाएगी।

22.(क) जिस पुरुष उम्मीदवार की एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या जो एक पत्नी के जीवित रहने पर भी किसी ऐसी स्थिति में विवाह करले कि वह विवाह उक्त पत्नी के जीवित रहने की अवधि में किए जाने के कारण अवैध (वायड) हो जाए तो उसे उन सेवाओं में नियुक्ति का जिनके लिए इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर, नियुक्तियाँ की जाती हैं, तब तक पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि भारत सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है और पुरुष उम्मीदवार को इस नियम से छूट न दी जाए।

(ख) जिस महिला उम्मीदवार का विवाह इस कारण अवैध (वायड) हो कि उक्त विवाह के समय उसके पति की जीवित पत्नी पहले से है या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी उक्त विवाह के समय एक जीवित पत्नी हो, वह उन सेवाओं में नियुक्ति की, जिनके लिए इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं तब तक पात्र नहीं मानी जाएगी जब तक कि भारत सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, और उस महिला उम्मीदवार को इस नियम से छूट न दे दी जाए।

23. भारत सरकार को इस बात की स्वतन्त्रता होगी कि वह किसी महिला उम्मीदवार को जो विवाहित है भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा, में नियुक्ति न करे अथवा नियुक्ति के बाद अगर वह विवाह कर ले तो उससे त्याग-पत्र मांग ले, यदि ऐसा करना सेवा की कुशलता बनाए रखने की दृष्टि से आवश्यक हो।

24. भारतीय विदेश सेवा के लिए तो कोई महिला उम्मीदवार तभी पात्र हो सकती है जबकि वह अविवाहित हो अथवा विधवा हो और उस पर कोई भार (इन्कम्बरन्स) न हो। यदि कोई महिला उम्मीदवार चुनी गई तो उसे इस स्पष्ट शर्त पर नियुक्त किया जाएगा।

25. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेना में भर्ती होने से पहले ही हिन्दी का कुछ ज्ञान होना उन विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाद देनी पड़ती है।

26. इस परीक्षा के आधार पर जिन सेवाओं में भर्ती की जानी है उनके संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट III में दिए गए हैं।

अ० ना० बटब्याल, अवरसचिव

परिशिष्ट I

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची

(नियम 8 के अनुसार)

भारतीय विश्वविद्यालय

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधानमण्डल के अधिनियम से निगमित किया गया हो और अन्य शिक्षा संस्थान जो संसद् के अधिनियम से स्थापित किया गया हो। अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय मान लिये जाने की घोषणा हो चुकी है।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय।

मांडले विश्वविद्यालय।

इंगलैण्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय

बर्मिंघम, ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज, डरहम, लीड्स, लिवरपूल, लंदन, मैंचेस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग, शफील्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय।

स्काटलैण्ड के विश्वविद्यालय

एडरडीन, एडिनबरा, ग्लास्गो और सैंट एन्ड्र्यूज विश्वविद्यालय।

आयरलैण्ड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज)

नेशनल यूनिवर्सिटी, डबलिन।

क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट।

पाकिस्तान के विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय

ढाका विश्वविद्यालय

सिंध विश्वविद्यालय

राजशाही विश्वविद्यालय

नेपाल का विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडू।

परिशिष्ट I—क

भारत सरकार ने निम्नलिखित योग्यताओं को उनमें से प्रत्येक के सामने लिखी डिग्रियों के समकक्ष मान्यता प्रदान की है:—

परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए अनुमोदित योग्यताओं की सूची

(नियम 8 के अनुसार)

1. फ्रांसीसी परीक्षा (Propedentique)

2. उच्च ग्राम शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् (नेशनल कौंसिल आफ रूरल हायर एज्यूकेशन) से ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा।

3. विश्वभारती विश्वविद्यालय का उच्च ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा।

4. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (आल इंडिया कौंसिल फार टक्निकल एज्यूकेशन) से वाणिज्य में डिप्लोमा।

5. अखिल भारतीय-तकनीकी शिक्षा परिषद् से सिविल, यांत्रिक या बिजली इंजीनियर में डिप्लोमा।

6. श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र पांडिचेरी का "उच्च पाठ्यक्रम" यदि "पूर्ण छात्र" (फुल स्टूडेन्ट) के रूप में यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

7. भारतीय खान विद्यालय, धनबाद, के खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा।

8. मानविकी और प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में उपाधि-पत्र यू० एस० एस० आर० में उच्च मौखिक स्थापना से अनुप्रमाणित उपाधि-गृहण बिना प्रथम वैज्ञानिक शोध प्रबन्ध का पक्ष लिये हुए परन्तु राज्य की परीक्षाएं पास की हों।

परिशिष्ट II

खण्ड I

लिखित परीक्षा की रूपरेखा

लिखित परीक्षा के विषय :—

(क) लिखित परीक्षा

(i) तीन अनिवार्य विषय (सभी सेवाओं के लिए) निबन्ध, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, प्रत्येक विषय के पूर्णांक 150 होंगे। [नीचे खण्ड-II का उपखण्ड (अ) देखें]

(ii) निम्नलिखित खण्ड-ii के उप-खण्ड (ब) में दिए गए ऐच्छिक विषयों में से चुने गए विषय। सेवा श्रेणी-ii को छोड़ (नियम 1 और 4 देखें) शेष सभी सेवाओं के उम्मीदवार, उस उप-खण्ड के उपबन्ध के अधीन, कुल 600 अंकों तक के ऐच्छिक विषय ले सकते हैं।

भारतीय पुलिस सेवा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा श्रेणी-ii के लिए उम्मीदवार कुल 400 अंकों तक के ऐच्छिक विषय से सकते हैं। इन प्रश्न-पत्रों का स्तर किसी भारतीय विश्वविद्यालय को आनर्ज डिग्री की परीक्षा के स्तर के लगभग होगा; और

(iii) निम्नलिखित खण्ड-ii के उपखण्ड (स) में दिए गए अतिरिक्त विषयों में से चुने गए विषय। उस उप-खण्ड के उपबन्ध के अधीन उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा (श्रेणी-I) के लिये कुल 400 अंकों तक के अतिरिक्त विषय ले सकते हैं। इन प्रश्न-पत्रों का स्तर ऐच्छिक विषय के लिए उप-खण्ड (क-v) में विहित स्तर से ऊंचा होगा।

(ख) ऐसे उम्मीदवार जो आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षा के साक्षात्कार के लिय [इस परिशिष्ट की सूची के भाग (ग) के अनसार] बलाए जायेंगे, उसके लिए नीचे लिखे नम्बर होंगे :—

श्रेणी-I

	पूर्णांक
भारतीय प्रशासनिक सेवा . .	300
भारतीय विदेश सेवा . . .	400

श्रेणी II और III

सभी सेवाएं	200

खण्ड II

(अ) अनिवार्य-विषय

[देखिये ऊपर खंड (i) का उपखण्ड (क-i)]

	पूर्णांक
(1) निबन्ध . . .	150
(2) सामान्य अंग्रजी . . .	150
(3) सामान्य ज्ञान . . .	150

टिप्पणी :—ऊपर लिखे विषयों का पाठ्य विवरण इस परिशिष्ट की अनसूची के भाग 'क' में दिया गया है।

(ब) ऐच्छिक विषय

[देखिये ऊपर खण्ड (i) का (उपखण्ड) क-ii)]

सेवा श्रेणी III (नियम 1 और 4 देखें) के उम्मीदवार निम्न-लिखित विषयों में से किन्हीं दो विषयों को और अन्य सभी सेवाओं के उम्मीदवार किन्हीं विषयों को चुन सकते हैं :—

(1) शुद्ध गणित . . .	200
(2) अनुप्रयुक्त गणित . .	200
(3) सांख्यिकी . . .	200
(4) भौतकी . . .	200
(5) रसायन . . .	200
(6) वनस्पति-विज्ञान . .	200
(7) प्राणि-विज्ञान . . .	200
(8) भू-विज्ञान . . .	200
(9) भूगोल . . .	200
(10) अंग्रेजी साहित्य . .	200
(11) नीचे दी हुई में से एक :— आसामी, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़ कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलगु और उर्दू	200
*(12) निम्नलिखित में से एक :— अरबी, चीनी, फांसीसी, जर्मन, लैटिन पाली, फ़ारसी, रूसी, संस्कृति और स्पेनी	200
(13) भारतीय इतिहास . .	200
(14) ब्रिटिश इतिहास . .	200
(15) यूरोपीय इतिहास . .	200
(16) विश्व इतिहास	200
(17) सामान्य अर्थशास्त्र . .	200
(18) राजनीति-विज्ञान . .	200
(19) दर्शन-शास्त्र . . .	200
(20) मनोविज्ञान . .	200
(21) विधि . . .	200
(22) लोक अन्तर्राष्ट्रीय विधि . .	200
(23) वाणिज्य विधि . .	200
(24) अनुप्रयुक्त यांत्रिकी . .	200
(25) समाज शास्त्र . .	200

शर्त यह है कि विशेष ऐच्छिक विषयों पर निम्नलिखित पाबंदियां लागू होंगी :—

(i) किसी भी सेवा के लिए 1, 2 और 3 विषयों में से दो से अधिक विषय नहीं चुने जा सकते ।

(ii) भारतीय विदेश सेवा के अतिरिक्त अन्य सेवाओं के उम्मीदवार ऊपर मद 12 के अन्तर्गत दी गई भाषाओं में से एक से अधिक न चुने । केवल भारतीय विदेश सेवा के लिए उम्मीदवारों को इन भाषाओं में से कोई दो को चुनने की अनुमति है, लेकिन किसी भी उम्मीदवार को पाली और संस्कृत दोनों चुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(iii) किसी भी सेवा के लिए इतिहास के विषयों 13, 14 15 और 16 में से अधिक नहीं चुने जा सकते । लेकिन किसी भी उम्मीदवार को विश्व इतिहास और यूरोपीय इतिहास दोनों चुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(iv) संख्या 19 और 20 में उल्लिखित विषयों में से एक सेवा के लिये केवल एक ही विषय लिया जा सकता है ।

(v) किसी भी सेवा के लिए विधि के विषयों 21, 22 और 23 में से दो से ज्यादा नहीं चुने जा सकते ।

(vi) सेवा श्रेणी-II के लिए 24 विषय न चुना जाय ।

*'लेटिन' आकर 'स्पनिश' विषय 1970 और उसके बाद होने वाली परीक्षा योजना में से हटा दिए जाएंगे ।

टिप्पणी :—ऊपर लिखे विषयों का पाठ्य-विवरण इस परिशिष्ट के अनसूची के भाग 'ख' में दिया गया है ।

(ग) अतिरिक्त विषय [देखिए ऊपर खण्ड-I का उपखण्ड (क) iii]

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (श्रेणी-I) की प्रतियोगिता में बैठने वाले उम्मीदवार को निम्नलिखित विषयों में से कोई दो विषय भी अवश्य लेने होंगे :—

			पूर्णांक
(1)	(अ)	उच्च गणित	200
		अथवा	
	(ब)	उच्च अनुप्रयुक्त गणित	200
(2)		उच्च भौतिकी	200
(3)		उच्च रसायन	200
(4)		उच्च वनस्पति-विज्ञान	200
(5)		उच्च प्राणि-विज्ञान	200
(6)		उच्च-भू-विज्ञान	200
(7)		उच्च भूगोल	200
(8)		अंग्रेजी साहित्य (1798-1935)	200
(9)	(अ)	भारतीय इतिहास-I (चंद्रगुप्त मौर्य से हर्ष तक)	200
		अथवा	
	(ब)	भारतीय इतिहास-II महान् मुगल सम्राट (1526-1707)	200
	(स)	भारतीय इतिहास-III (1772 से 1950 तक)	200
		अथवा	
	(द)	यूरोपीय इतिहास (1871 से 1945)	200
(10)	(अ)	उच्चतर अर्थशास्त्र	200
		अथवा	
	(ब)	उच्चतर भारतीय अर्थशास्त्र	20
(11)	(अ)	हाब्ज से आज तक का राजनीतिक सिद्धान्त	200
		अथवा	
	(ब)	राजनीतिक संगठन और लोग प्रशासन	200
		अथवा	
	(ग)	अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	200
(12)	(अ)	उच्चतर तत्वमीमांसा जिसमें ज्ञान-मीमांसा भी शामिल है	200
		अथवा	
	(ब)	उच्चतर मनोविज्ञान जिसमें प्रयोगिक मनोविज्ञान भी शामिल है	200
(13)	(अ)	भारत की संविधान विधि	200
		अथवा	
	(ब)	विधि-शास्त्र	200
(14)	(अ)	अरबी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्ययुगीन सभ्यता (570–1650 ईस्वी) अथवा	200
	(ब)	फारसी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्य-युगीन सभ्यता (570 ईस्वी—1650 ईस्वी)	200
		अथवा	
	(स)	प्राचीन भारतीय सभ्यता और दर्शन-शास्त्र	200
(15)		मानव-विज्ञान	200
(16)		उच्चतर समाज-विज्ञान	200

विशिष्ट अतिरिक्त विषयों के बारे में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू माने जायेंगे :—

(1) किसी भी उम्मीदवार को भारतीय इतिहास। (9)(क) तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता और दर्शन [14(ग)] दोनों ही विषयों को एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) किसी भी उम्मीदवार को यूरोपीय इतिहास [9(ङ)] तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध [11(ग)] दोनों विषयों को एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी :—ऊपर दिए गए विषयों का पाठ्य-विवरण इस परिशिष्ट की अनुसूचित के भाग 'ग' में दिया गया है।

खण्ड III

सामान्य

1. (क) ऊपर के खण्ड II के उपखण्ड (क) की मदों में क्रमशः (1) और (3) के अनुसार 'निबंध' तथा 'सामान्य ज्ञान' के प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भाषा में दिए जा सकते हैं, अर्थात् असमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू तथा उर्दू। अंग्रेजी के अतिरिक्त विकल्प रूप से किसी अन्य भाषा में उत्तर देने वाले उम्मीदवारों को वही भाषा दोनों पत्रों के लिए चुनी होगी। विकल्प सम्पूर्ण पत्र के लिए लागू होगा न कि उसके किसी अंश के लिए।

(ख) ऊपर के खण्ड II के उपखण्ड (ख) की मदों (11) तथा (12) के अनुसार भाषाओं के प्रश्न पत्रों को छोड़ कर अन्य सभी विषयों के प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाने चाहिए। जब तक कि प्रश्न पत्र में अन्यथा विशिष्ट रूप से दूसरी भाषा में लिखना अपेक्षित न हो, उन भाषाओं के प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में अथवा संबंधित भाषा में दिए जा सकते हैं।

टिप्पणी I—ऊपर दिए पैरा 1(क) में अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भाषा में प्रश्न पत्र(ओं) के उत्तर देने के इच्छुक उम्मीदवार को आवेदन-पत्र के कालम 32 में संबंधित भाषा का नाम संबंधित प्रश्न पत्र (प्रश्न पत्रों) के सामने देना चाहिए। यदि दिए हुए कालमों में एक या दोनों प्रश्न पत्रों के संबंध में कोई अंदराज नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि प्रश्न पत्र/प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाएंगे। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम समझा जाएगा, और परिवर्तन अथवा परिवर्धन के लिए कोई अनुरोध नहीं माना जाएगा।

टिप्पणी II—ऊपर दिए पैरा 1(क) में संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई किसी भाषा में विकल्प रूप से प्रश्न पत्र (प्रश्न पत्रों) के उत्तर देने वाले उम्मीदवार अपने उत्तर क्रमशः निम्नलिखित लिपि में देंगे :—

भाषा	लिपि
1. असमिया	असमिया
2. बंगला	बंगला
3. गुजराती	गुजराती
4. हिन्दी	देवनागरी
5. कन्नड़	कन्नड़
6. कश्मीरी	फारसी
7. मलयालम	मलयालम
8. मराठी	देवनागरी
9. उड़िया	उड़िया
10. पंजाबी	गुरूमुखी
11. संस्कृत	देवनागरी
12. सिंधी	देवनागरी अथवा अरबी
13. तमिल	तमिल
14. तेलुगु	तेलुगु
15. उर्दू	फारसी

2. उम्मीदवारों को प्रश्न का उत्तर अपने हाथ से लिखना होगा। उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. उपरोक्त धारा II की उप-धारा (क), (ख) और (ग) में दिये पत्रों के उत्तर के लिये 3 घंटे का समय दिया जाएगा।

4. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक नम्बर (क्वालिफाईंग मार्कस) निर्धारित कर सकता है।

5. भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा के लिये केवल उन्हीं उम्मीदवारों के दो अतिरिक्त प्रश्न-पत्रों को जांचा और अंकित किया जाएगा जो लिखित परीक्षा के अन्य सभी विषयों में एक निश्चित अल्पाधिकतम स्तर प्राप्त करेंगे जैसा कि आयोग द्वारा अपने निर्णय से निर्धारित किया जाएगा।

6. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो उसे अन्यथा मिलने वाले कुल नम्बरों में से कुछ नम्बर काट लिये जायेंगे।

7. अनावश्यक ज्ञान के लिए नंबर नहीं दिये जायेंगे।

8. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि अभिव्यक्ति कम-से-कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग और ठीक-ठीक की गई है।

9. उम्मीदवारों से तौल और माप की मिट्रिक प्रणाली की जानकारी की आशा की जाती है। प्रश्नों के उत्तर में जहां कहीं ऐसा आवश्यक हो, तौल और माप की मीट्रिक प्रणाली का ही उपयोग किया जाए।

अनुसूची

भाग—क

[परिशिष्ट II की धारा II की उपधारा (क) के अनुसार]

1. **निबंध**—उम्मीदवारों से अंग्रजी में एक निबंध लिखने की अपेक्षा की जाएगी। चुनाव के लिए कई विषय दिए जाएंगे। उनसे आशा की जाएगी कि वे निबंध के विषय की परिधि में ही

अपने विचारों को क्रम से व्यवस्थित करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावपूर्ण और ठीक-ठीक भावाभिव्यक्ति को प्रश्रय दिया जाएगा।

2. **सामान्य अंग्रेजी**—प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनसे उम्मीदवारों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा शब्दों के सुन्दर उपयोग की सामर्थ्य का पता चले। कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी रखे जाएंगे जिससे उनकी तर्कशक्ति, उनकी निहितार्थ को ग्रहण कर सकने की सामर्थ्य तथा महत्वपूर्ण और कम महत्व वाले कार्य में अंतर समझ सकने की योग्यता की परीक्षा हो सके। जैसा कि आमतौर पर होता है संक्षेप सार-लेखन के लिए लेखांग दिए जाएंगे। संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए श्रेय दिया जाएगा।

3. **सामान्य ज्ञान**—सामयिक, घटनाओं के, और ऐसी बातें जो प्रतिदिन देखते और अनुभव करते हैं, उसके वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान सहित जिसकी किसी ऐसी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्न पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए। इस प्रश्न पत्र में महात्मा गांधी के उपदेशों से संबंधित प्रश्न भी होंगे।

भाग—ख

[परिशिष्ट II के भाग II के उप-भाग (ख) के अनुसार]

1. शुद्ध गणित :—सम्मिलित विषय होंगे (1) बीजगणित, (2) अनन्त अनुक्रम और श्रेणियों, (3) त्रिकोणमिति, (4) समीकरण के सिद्धांत, (5) दो या तीन परिमापों के विश्लेषणात्मक रेखा गणित, विश्लेषण और (7) अवकल समीकरण।

(1) **बीजगणित** :—समुच्चयों, संघ प्रतिच्छेदन, गुणों के अंतर और कोटिपूरक। वेन आरेखों। धनात्मक पूर्ण संख्याओं के गुण। वास्तविक संख्या और दशमलव द्वारा उनका निरूपण। सम्मिश्र संख्या। आरगां आरेख। कार्तीय गुणनफल, सम्बन्ध, मानचित्रण। मानचित्रण के रूप में कार्य। तुल्यता संबंध। वर्गों, वर्गों की एकैक समाकारिता। उपवर्गों, प्रासामान्य उपवर्गों। लगरेंज का प्रमेय। फों बेनिअस प्रमेह।

रिंगों और फील्डों की परिभाषाएं और उदाहरण। शून्य और होमोरफिज्मों के विभाजक। वेक्टर स्थानों।

सारणिकों (जोड़, घटाना, गुणा और मैट्रिक्स का प्रतिलोमन। रेखिक समघात और असमघात समीकरण। केले-हैमिल्टन प्रमेय)।

असमताएं। समांतर और गुणनेन्तर माध्यों (कोची, स्वंवार्ज, होल्डर और मिनकोस्की की असमताएं।

(2) **अनन्त अनुक्रम और श्रेणियों** :—धारणा की सीमा। अनंत श्रेणियां। अभिसारी, अपसारी और दौलनी श्रेणियां। कौची के अभिसरणों का सिद्धांत। तुलना और अनुपात के परीक्षण। गौस की जांच। निरपेक्ष अभिसरण और श्रेणियों का उपविन्यास।

(3) **त्रिकोणमिति** :—परिमेय सूची और उसके अनुप्रयोग के लिए डिमोवाहर का प्रमेय। प्रतिलोम तृतीय और अतिपरवलयिक फलन। त्रिकोणमिति श्रेणियों के प्रसार और संकलन। अनंत गुणनफलों के संबंध में साइन और को-साइन के लिए व्यंजक।

(4) **समीकरण के सिद्धांत** :—बहुपद समीकरणों के सामान्य गुण। समीकरणों के रूपांतरण। घनाकृति और चतुर्धातों के मूलों की प्रकृति। घनाकृति का गार्डन का हल। संकल्प के चतुर्धात को वर्ग भिन्नों में। मूलों के स्थान और न्यूटन का विभाजकों का ढंग।

(5) **दो और तीन धातों की विश्लेषिक रेखागणित** :—सरल रेखा, रेखाओं का जोड़ा, वृत्त, वृत्तों की प्रणाली, दीर्घ वृत्त। पैराबोला, हाइपरबोला, दूसरी श्रेणी के समीकरण का स्तर फाम में घटाना।

मैदानों, सरल रेखाओं, गोला, कोन, शांकवक्रों और उनके स्पर्श रेखा और प्रसामान्य गुणों। (वेक्टर तरीकों की सिफारिश की जाती है)।

(6) **विश्लेषण** : धारणा की सीमा। सांतत्य, व्युत्पत्ति, एक वास्तविक अंतर के कार्य का अवकलन। सांतत्य कार्यों के गुण। असांतत्य के गुण। समांतर मान प्रमेयों। अपरिमित फार्मों का मुल्यांकन। लागरेंज और कोची के सारण फार्मों के साथ टेलर और मेक्लौरिन के प्रमेय। एक अंतर के कार्य के न्यूनतम और अधिकतम। समतलवक्रों, विचित्र बिन्दु वक्रता, वक्र अनुरेखण। आवरणों। आंशिक विभेदन। एक से अधिक वास्तविक अंतर के काम का अवकलन।

समाकलन के स्तर तरीके। सांतत्य कार्य की स्पष्ट समकालन-रीमैन की परिभाषा। समाकलन गणित के मूल प्रमेय। समाकलन गणित की प्रथम समांतर मान प्रमेय। चापकलन, क्षेत्रकलन, परिक्रमण ठोसों के आयतनों और आधारों और उनके प्रयोगों।

(7) **अवकल समीकरणों** :—साधारण अवकल समीकरण का बनना। क्रम और मात्रा। रेखागणित संबंधी डी वाई एफ (एक्स, वाई) के लिए प्रेमेय के पास जाने का प्रदर्शन। प्रथम क्रम रेखाकार और बिना-रेखाकार समीकरण। विचित्र बिन्दुओं। विचित्र हलों। रेखाकार अवकल समीकरणों और उन के विशेष गुणों। रेखाकार अवकल समीकरण लगातार गुणांकों के साथ, कौची-यूलर प्रकार के समीकरणों। यथार्थ अवकल समीकरणों और समाकलन-गुणक को प्रवेश कराने वाले समीकरणों, द्वितीय क्रम के समीकरणों। परतंत्रचरों और स्वतंत्रचरों का बदलना। हल जब कि एक समाकल ज्ञात हो। प्राचलों का विचरण।

2. **अनुप्रयुक्त गणित** : इसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जायेंगे :—

(1) वेक्टर विश्लेषण
(2) स्थिति विज्ञान
(3) गति-विज्ञान तथा
(4) द्रवस्थैतिकी।

1. **वेक्टर विश्लेषण** :—वेक्टर बीजगणित। अदिशचर (scalar variable) के वेक्टर फलन का अवकलन। ग्रेडिएण्ट कार्तीय में अपसरण तथा कर्ल बेलनाकार तथा गोलीय निर्देशांक तथा उनकी प्राकृतिक व्याख्याएं उच्चतर घात व्युत्पन्न। वेक्टर सर्वसमिकाएं तथा वेक्टर समीकरण। गाउस तथा स्ट्रोक प्रमेय।

(2) **स्थैतिकी** :—न्यूटन की यांत्रिकी के मूल नियम। विभीय प्रमेय। समतलीय स्थैतिकी। कण-निकाय में संतुलन। कार्य तथा

स्थितिज ऊर्जा। द्रव्यमान केन्द्र तथा गुरुत्व केन्द्र। घर्षण। सामान्य कैटिनरी। कल्पित कार्य का सिद्धांत। संतुलन का स्थायित्व। तीन विमाओं में बल-संतुलन। शलाकाओं में आकर्षण तथा स्थितिज ऊर्जा आयताकार तथा वृत्ताकार पट्टक, गोलीय कोश, गोल। समस्थितिज पृष्ठ तथा उनके गुण। स्थितिजों के गुण। ग्रीन का समान स्तर। लॉपले तथा पोइशन के समीकरण।

(3) **गति-विज्ञान** :—**वेग वेक्टर। आपेक्षिक वेग। त्वरण। कोणीय वेग। स्वतंत्रता की कोटि तथा प्रतिबंध। सरल रैखात्मक** गति। सरल आवर्त गति। स्थान में गति। प्रक्षेप्यों। प्रतिबंधित गति। कार्य तथा ऊर्जा आवेगी बलों के अधीन गति। कैप्लर के नियम। केन्द्रीय बलों के अधीन कक्षाएं। परिवर्ती द्रव्यमान की गति। प्रतिरोध के अधीन गति। जड़त्व के आघूर्णों और गुणनफलों। परिमित और आवेगी बलों के अधीन दृढ़पिंड की दो विमीय गतियां। पिंड लोलक।

(4) **द्रवस्थैतिकी** :—भारी तरलों की दाब दी गई पद्धति के बलों के अधीन तरलों का संतुलन। दाब का केन्द्र। वक्र पृष्ठों पर प्रणोद। प्लवमान पिंड का संतुलन। स्थायित्व का संतुलन। गैसों की दाब तथा वायु मंडल से संबंधित समस्याएं।

3. सांख्यिकी

प्रायिकता :—प्रायिकता की चिर सम्मत और सांख्यकीय परिभाषाएं। उदाहरणों के साथ प्रायिकता पर सरल प्रमेय। प्रतिबंधी प्रायिकता और सांख्यकीय स्वतंत्रता। बेय का प्रमेय। संयोगिक विचरणों—असतत और संतत विचरों में प्रायिकता वितरणों। गणितीय प्रत्याशाएं। टेकेबाइचेफ की असमती। वृहत संख्याओं का सप्ताह नियम। केन्द्रीय सीमा प्रमेय का सरल फर्म।

II. **सांख्यिकी तरीके** :—संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन और विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी आंकड़ों का आरेखी निरूपण।

सांख्यिकी जा संख्या की धारणा, और आवृत्ति वक्र। केन्द्रीय प्रवृत्ति और विक्षेपण के माप। आघूर्णों और संचयी। वैषम्य और कुकुदता। आघूर्णो—जनक फलन।

स्तर प्रायिकता बंटनों का अध्ययन—द्विपद, विष, हाइ-परज्या-मैट्रिक, प्रसामान्य, ऋण-द्विपद, आयताकार और लाग प्रसामान्य बंटनों। पियर सोनियन वक्रों की पद्धति का सामान्य विवरण।

द्विचर बंटन द्विचर प्रसामान्य बंटन के सामान्य गुणों साहचर्य और आसंग के माप। दो या अधिक चरों से सम्बन्धित सहसंबंध और एकघात समाश्रयण। सहसंबंध अनुपात। अंतर्वर्ग सहसंबंध, कोटि सहसंबंध। अरेखीय समाश्रयण। विश्लेषण।

स्वतंत्र हस्तवक्रों के तरीकों द्वारा वक्र-आसंजन गतिमान माध्यों, वर्ग माध्यों, न्यूनतम वर्गों और आघूर्णों। लांबिक बहुपदों और उन के प्रयोगों।

III प्रतिदर्शी बंटन और सांख्यिकीय अनुमान

आदृच्छिक प्रतिदर्श, सांख्यिक, प्रतिचयन बंटन और मानक-त्रुटि की धारणाएं।

स्वतंत्र प्रसामान्य विचरों के माध्य के प्रतिदर्शी बंटन का व्युत्पन्न, एक्स^2 (x^2)। टी (t) और एफ (F) सांख्यिक, उनके गुणों और प्रयोगों। प्रतिदर्श माध्यों के प्रतिदर्शी बंटनों का व्युत्पन्न, प्रसरणों और सहसबंध गुणांक द्विचर प्रसामान्य जनसंख्या से। व्युत्पन्न (बड़े प्रतिदर्शों में) और पियरसानियन एक्स^2 (x^2) के प्रयोगों।

आकलन का सिद्धांत :—अच्छे आकलन की आवश्यकताएं—अनभिनतता, संगति, दक्षता तथा पर्याप्तता। आकलनों के प्रसरण का क्रैमर—राज निम्नपरिबंध। सर्वोत्तम एकघात अनभिनत आकलनों।

आकलन के तरीके—आघूर्णों के तरीकों के सामान्य विवरणों, अधिकतम संभाविता का तरीका, न्यूनतम वर्गों के तरीके और अधिकतम संभावित आगणकों के (बिना प्रमाण के) न्यूनतम गुणों का तरीका। विश्वास्यता अंतरालों का सिद्धांत—विश्वास्यता सीमाएं अस्तमन की सरल समस्याएं।

परिकल्पनाओं की जांच का **सिद्धांत**—सरल और संयुक्त परिकल्पनाएं। सांख्यिकीय जांचों और संशय-क्षेत्रों। दो प्रकार की त्रुटियों, सार्थकता का स्तर और परीक्षण की क्षमता।

सरल परिकल्पना से एक परिमापी से संबंधित के लिए अनु-कूलतम संशय-क्षेत्रों। प्रसामान्य जन संख्या से सम्बन्धित सरल परिकल्पनाओं के लिए इस प्रकार के क्षेत्रों की रचना।

संभावित अनुपात परीक्षणों। माध्य संबंधी परीक्षणों, प्रसरण सहसंबंध तथा एकचर और द्विचर प्रसामान्य जासंख्याओं में सहसंबंध तथा समाश्रयण गुणांकों सरल अपरिमापीय परीक्षणों—चिन्ह, रन, माध्यिम, कोटि और आदृच्छि की करण परीक्षणों।

सरल वैकल्पिक (बिना व्युत्पन्न) के विरुद्ध सरल परिकल्पनाओं का अनुक्रमिक परीक्षण।

IV: प्रतिदर्शी तकनीकें

प्रतिदर्शों प्रति पूर्ण गणना प्रतिदर्शों के सिद्धांत। फ्रेमों और प्रतिदर्शों एक कें। प्रतिदर्शों और अप्रतिदर्शी त्रुटियां। क्रमबद्ध प्रतिचयन। बहुक्रम और बहुफला प्रतिचयन। आकलन के अनुपात और समाश्रयण तरीके। भारत में अभी हाल ही में बड़े पैमाने पर किये गए सर्वेक्षणों के संदर्भ में प्रतिदर्श सर्वेक्षणों की अभिकल्पना।

V. प्रयोगों के अभिकल्प

कोशों में निरीक्षणों के लिये विचरों का रूपान्तरण। प्रयोगात्मक अभिकल्पों के सिद्धांत। पूर्णत: आदृच्छीकृत, यादृच्छीकृत खण्ड तथा लातीनी वर्गाकार अभिकल्प। अप्राप्त भूखण्ड तकनीक, 2S[S=2(1)5],3^2&3^3 3 तथा 3 अभिकल्पों के बीच भ्रम पर पुणनखण्डात्मक प्रयोग। खण्डित भूखण्ड अभिकल्प। संतुलित अपूर्ण अपूर्ण अभिकल्प तथा सरल जालक।

4. भौतिकी

पदार्थ और यांत्रिकी के सामान्य गुण—एकक तथा आयाम। परिभ्रमण गति तथा जड़ता बिम्बभिषा। स्वाकृति तथा

अभ्याकर्षण, ग्रहीय गति। अभ्यास्थजल तथा आयास सहसंबंध, प्रत्यास्थ आपरिवर्तक तथा उनके पारस्परिक संबंध। तल-आतति, केशालत्व। असंपीड्य द्रवों का प्रवहण। तरल तथा वाति द्रव्यों की आलगत्व।

ध्वनि—कलोत्पादित आवेपन तथा प्रतिस्वन। तरंग गति। आवेपनांक परिवर्तन। दोरक तथा वायुस्तम्भ-आवेपन। बारंबारता-मापन, ध्वनि का प्रवग तथा चुम्बकत्व। स्वर-ग्राम। प्रशाल-ध्वनि-विज्ञान। पार स्वानिकी।

ऊष्मा तथा ऊष्मा-प्रवैगिकी—वातियों का गतिवाद/ब्राउन का गतिवाद। वान डेर वील का स्थिति का समीकार। तापमान की माप, आपेक्षिक ऊष्मा तथा संवाही ऊष्मा। जूल-थामसन वातियों का प्रभाव तथा तरलन। ऊष्म प्रवैगिकी के नियम। ऊष्म यंत्र। कालकाय-विकिरण।

प्रकाश—रेखिकीय काशिकी तथा साधारण काशिक संहिति। दूरेक्ष तथा अण्वीक्ष। चाक्षुष प्रतिबिम्ब में दोष तथा उनका सुधार प्रकाश का तरंग सिद्धान्त। प्रकाश। प्रवेग की माप। प्रकाश में बाधक, व्याभंग तथा अभिस्पंदन। साधारण मिथोघट्ट-मरंगावलीक्षा के तत्व। रमन प्रभाव।

विद्युत् तथा चुम्बकत्व

साधारण मामलों में क्षेत्र तथा शवम की गणना। गौस का प्रमेय। विद्युन्मान। पदार्थ के विद्युतीय तथा चुम्बकीय गुण और उनकी माप। विद्युत् प्रवाह के कारण चुम्बकीय क्षेत्र। ध्रुवाहमान। विद्युत् के वेग तथा मात्रा की माप। शक्ममान। रोध, प्रेरोचता तथा धारता; तथा उनका मापन। तामविद्युत्। आवर्ती विद्युद्वाह के तत्व। विद्युज्जनित्रा तथा विद्युद्वाहित्र। विद्यदंशम। विद्युच्चुम्बिक तरंगें। नमोवाणी कपाद दीप तथा उनके द्वारा वितत् तरंगों की साधारण प्रयुक्ति, पारंषण तथा आदान। दूरवीक्षण।

आधुनिक भौतिकी के तत्व—विद्युदणु, प्राणु तथा क्लीबाणु के प्राथमिक तत्व। क्रिया-ऊर्जाणु-स्थिरांक। परमाणु का ग्रहवत् परमाणु सिद्धान्त। क्ष-रश्मियों तथा उनके गुण। तेजोद्विरेता के तत्व तथा आकार एवं अवर्ण रश्मियों के गुण। परमाणुओं की व्याप्टि। सापेक्षता, पुंज तथा ऊर्जा के विशेष सिद्धान्त के तत्व। विखण्डन तथा यंत्र। ब्राह्माण्ड रश्मियां।

5. **रसायन**

अकार्बनिक रसायन—परमाणु की संरचना। रेडियोरगमिटवता समस्थानिक। तत्वों का कृत्रिम तत्वांतरण। नाभिकीय विखंडन। रासायनिक बंधों की प्रकृति। वायुमंडल की अक्रिय गैसें। अपेक्षाकृत अधिक सामान्य और उपयोगी तत्वों तथा उनके यौगिकों का रसायन। दुर्लभ मृदा तत्व। हाइड्राइड, आक्साइड, आक्सी अम्ल। पर-अम्ल और पर-लवण तथा कार्बाइड। आकार्बनिक संकर। रासायनिक विश्लेषण के मूलभूत सिद्धान्त।

कार्बनिक रसायन—पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पाद। ऐलिफ़टिक यौगिकों के निम्नलिखित वर्गों का रसायन: संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐल्कोहार, ईथर, ऐल्डिहाइड, कीटोन, मोनो और डाई-कार्बाक्सीलिक अम्ल, ईस्टर, प्रतिस्थापित कार्बोक्सीलिक अम्ल, थायो, नाइट्रो और सायनों यौगिक। ऐमीन, यूरिया और यूरीआइड, कार्ब-धात्विक यौगिक, मोनोसेकेराइड (संरचना सहित), कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन (सामान्य परिचय)। सरल एलिचक्रीय यौगिक। विकृति सिद्धान्त।

ऐरोमेटिक—बेंजीन, नैफ्थेलीन और ऐन्थ्रासीन तथा उनके मुख्य व्युत्पन्न, कोलतार, आसवन, फ़िनोल, ऐरोमैटिक ऐल्कोहाल, ऐल्डिहाइड, कीटोन। ऐरोमटिक अम्ल और हाइड्राक्सी अम्ल। त्रिविमविन्यासी बाधा। एरिल-ऐमीन, डाइएजो, ऐज़ो और हाइड्रज़ो यौगिक। क्विनोन। विषम-चक्रीय यौगिक। पाईरोल, पिरिडीन, क्विनोलीन, इन्डोल और नील। ऐज़ो, ट्राइफेनिल मेथेन और थ्थेलीन रंजक।

सरल आपाविक पुनर्विन्यास, समावयता, त्रिविम समावयवता और चलावयतवता। बहुलकीकरण।

भौतिकी रसायन—अणुगति सिद्धान्त गैसों के गुणधर्म, अवस्था-समीकरण, (वान-डेर-वाल का, डाइटेरिसाइ)। क्रान्तिक अवस्था, गैसों का द्रवण। रासायनिक संघटन के सापेक्ष द्रवों के भौतिक गुणधर्म। पारंभिक क्रिस्टलिकी।

ऊष्मागतिकी का पहला और दूसरा नियम और इन नियमों का सरल भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों में अनुप्रयोग। रासायनिक साम्य और द्रव्य-अनुपाती क्रिया का नियम। ला-शाते लिए का नियम। प्रावस्था-नियम और उसका एक-घटक तंत्रों तथा लोह-कार्बन तंत्र में अनुप्रयोग।

अभिक्रिया की दर और कोटि। प्रथम और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। श्रृंखला अभिक्रियाएं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। उत्प्रेरण। अधिशोषण।

विद्युत्-अपघटनी वियोजन। आयनिक साम्य। अम्ल-क्षारक साम्य और सूचक। विद्यु-अपघटनी चालकता और उसके अनुप्रयोग। इलेक्ट्रोड-विभव। सैल का विद्युत्वाहक बल। विद्युत्-वाहक बल के माप और उनके अनुप्रयोग।

6. **वनस्पति-विज्ञान**

क्रिप्टोगैम (बैक्टीरिया और वाइरस सहित) तथा फैनेरोगैम, विशेषकर भारतीय क्रिप्टोगैम और फैनेरगैम, के विभिन्न समूहों और उपसमूहों अथवा कुलों और उपकुलों के महत्वपूर्ण निरूपकों के रूप, संरचना, प्रकृति, आर्थिक महत्व, जीवनवृत्त और परस्पर संबंध।

पादप-फिज़ियोलोजी के मूल सिद्धान्त और प्रक्रम।

भारत में मिलने वाले सस्य-पौधों के महत्वपूर्ण रोगों का सामान्य ज्ञान और उन रोगों का नियंत्रण तथा उन्मूलन।

परिस्थितिकी और पादन भूगोल, विशेषत: भारतीय वनस्पति-समूह और भारत के वानस्पतिक क्षेत्रों, से संबंधित मूलभूत तथ्य।

विकास, कोशिका-विज्ञान और आनुवंशिकी और पादप-प्रजनन का मूल ज्ञान।

मानव कल्याण के लिए और विशेषकर खाद्यान्नों, दालों, फलों, शर्कराओं, स्टार्चों, तेल-बीजों, मसालों, पेयों, तन्तुओं लकड़ियों, रबर औषधियों और संगध तेलों जैसे वनस्पति-उत्पादों में पौधों, विशेषत: पुष्पी पौधों, के आर्थिक उपयोग।

वनस्पति विज्ञान से संबंधित ज्ञान के विकास का सामान्य परिचय।

7. प्राणिविज्ञान

अकार्डेटों और कार्डेटों, विशेषकर भारतीय अकार्डेटों और कार्डेटों, का वर्गीकरण, जीव-परिस्थितिकी, आकारिकी, जीवनवृत और संबंध।

अध्यावरण, अत:कंकाल, चलन, भरण, रुधिर, परिसंचरण, श्वसन, आस्मो-रेग्युलेशन, तंत्रिका-तंत्र, ग्रहियों और पुनरुत्पादन की क्रियात्मक आकारिकी (रूप, संरचना और कार्य)। कशेरुकी भ्रूण विज्ञान के तत्व।

विकास:—प्रमाण, वाद और उनकी आधुनिक व्याख्याएं। मेन्डेलीय आनुवांशिकता, म्यूटेशन। प्राणी-कोशिका की संरचना। कोशिका-विज्ञान और आनुवंशिकी के मूलभूत सिद्धान्त। अनुकूलन और वितरण।

8. भूविज्ञान

भौतिक, भूविज्ञान और भूआकृति विज्ञान:—पृथ्वी का उद्भव, संरचना, गर्भ तथा आयु। भू-अभिनति और पहाड़। समस्थिति। महाद्वीपों और महासागरों का उद्भव। महाद्वीपीय विस्थापन। भूकंप-विज्ञान। ज्वालामुखी-विज्ञान। पृष्ठ एजेन्सियों की भूवैज्ञानिक क्रिया।

संरचना तथा क्षेत्र भू-विज्ञान:—आग्नेय अवसादी और कायांतरित शैलों की सामान्य संरचनाएं। वलन, भ्रंश, विषम विन्यासों, संधियों और क्षेपों का अध्ययन। भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और भूमापन की विधियों की प्रारम्भिक जानकारी।

क्रिस्टल-विज्ञान और खनिज-विज्ञान—क्रिस्टल रूप और नमिति के तत्व, क्रिस्टल-विज्ञान के नियम, क्रिस्टल तंत्र और वर्ग, क्रिस्टल प्रकृति, यमनलन। विविध प्रक्षेप। खनिजों की भौतिक, रासायनिक और प्रकाशित गुणधर्म। अधिक महत्वपूर्ण शैलकर तथा आर्थिक खनिजों का इनके रासायनिक और भौतिक गुण-धर्मों, क्रिस्टल संरचनात्मक और प्रकाशित लक्षणों, परिवर्तनों, प्राप्ति और व्यावसायिक उपयोगों के संबंध में अध्ययन।

स्तरित शैल-विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान—स्तरित शैल-विज्ञान के नियम। भारतीय स्तरित शैल-विज्ञान। भूवैज्ञानिक अभिलेखों के अश्म-वैज्ञानिक और कालानुक्रम प्रविभाग। जीवाश्म-प्रकृति और परिरक्षण का ढंग; जैव विकास पर प्रभाव। अकशेरुकी तथा पादप जीवाश्म।

आर्थिक भूविज्ञान—अयस्क उत्पत्ति के सिद्धान्त, वर्गीकरण, भूविज्ञान, प्राप्ति, भारत के प्रमुख धात्विक और अधात्विक खनिजों के क्षेत्र तथा स्रोत। भारत में खनिज उद्योग। भूभौतिकीय पूर्वेक्षण और अयस्क-प्रसाधन के नियम।

शैल-विज्ञान—अग्नेय, आवसादी और कायांतरित शैलों का उद्भव, रचना, संरचना और वर्गीकरण। सामान्य भारतीय शैल प्रकारों का अध्ययन।

9. भूगोल

संसार, विशेषत: भारत, का प्राकृतिक और मानव भूगोल। प्राकृतिक भूगोल के नियम, जिस में स्थलमंडल, जलमंडल और वायु-मंडल का विस्तृत अध्ययन करना शामिल है। चक्र संकल्पनाओं समस्थिति, पर्वत विरचन के प्रक्रमों, मौसम घटनाओं, महासागर-जल की बहिस्तलीय और अधस्तलीय गति, आदि के संबंध में आधुनिक विचारों का ज्ञान भी हो।

मानव भूगोल के नियम, जिसमें संस्कृति, प्रजाति, धर्म आदि के आधार पर जिन-वितरण, वातावरण और जीवन-प्रणाली, जन-संख्या उपनति, जनसंख्या की आवाजाही का विस्तृत अध्ययन करना भी शामिल है।

उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि उन्हें भारत के प्राकृतिक, मानव और आर्थिक भूगोल का विस्तृत ज्ञान हो।

10. अंग्रेजी साहित्य

उम्मीदवारों से आशा की जाएगी, कि उन्हें चौसर से लेकर महारानी विक्टोरिया के शासन के अन्त तक अंग्रेजी साहित्य के इतिहास का सामान्य ज्ञान हो तथा निम्नलिखित रचनाओं की कृतियों का विशेष ज्ञान हो:—

शेक्सपीयर, मिल्टन, ड्राइडन, जानसन, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, डिकन्स, टेनिसन, आर्नल्ड तथा हार्डी।

स्वयं पुस्तकें पढ़ने का प्रमाण अपेक्षित होगा।

प्रश्न पत्र इस प्रकार से बनाए जायेंगे, जिससे उम्मीदवारों की आलोचनात्मक योग्यता की जांच की जा सके।

11. **असमी, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगू और उर्दू**:—उम्मीदवारों से यह प्रत्याशा की जाएगी कि वे भाषा के ज्ञान और उसके साहित्य को दर्शा सकें। जिन कृतियों से वे संबंध रखते हैं उन में से जो सर्वोत्तम समझी जाती हैं उनका उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान होना अनिवार्य है, यद्यपि प्रश्न कम आवश्यक कृत्यों पर भी तैयार किए जा सकते हैं। उन से यह भी प्रत्याशा की जाएगी कि ऐतिहासिक, तथा सांस्कृति बौद्धिक तथा कलात्मक आंदोलनों की पृष्ठ भूमि का ऐसा ज्ञान रखते हों तथा भाषा-विषयक विकासों का जिस से उन को साहित्य के समझने में सहायता मिलेगी। प्रश्न साहित्यिक इतिहास और भाषा के ऊपर तैयार किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को अनुवाद। व्याख्या करना होगी तथा परिच्छेदों पर टिप्पणी के लिए कहा जा सकता है।

टिप्पणी:—मद (11) के अधीन दिए गए विषयों में से किसी विषय को लेने वाले उम्मीदवार को संबंधित भाषा में कुछ अथवा सभी प्रश्नों के उत्तर देने अपेक्षित होंगे। इन भाषाओं के लिए प्रयोग की जाने वाली लिपियां निम्नलिखित हैं:—

भाषा	लिपि
1. असमीया	असमीया
2. बंगला	बंगला
3. गुजराती	गुजराती
4. हिन्दी	देवनागरी
5. कन्नड़	कन्नड़
6. कश्मीरी	फारसी
7. मलयालम	मलयालम
8. मराठी	देवनागरी

भाषा	लिपि
9. उड़िया	उड़िया
10. पंजाबी	गुरुमुखी
11. सिंधी	देवनागरी अथवा अरबी
12. तमिल	तमिल
13. तेलुगू	तेलुगू
14. उर्दू	फारसी

12. **अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, जर्मन, लातीनी, पाली, फारसी, रूसी, संस्कृति और स्पेनिश** :—उम्मीदवारों को प्रमुख परिनिष्ठित साहित्यकारों का ज्ञान होना अपेक्षित है और उनमें उस भाषा में रचना करने और उससे अनुवाद करने की योग्यता होनी चाहिए।

टिप्पणी—अरबी, फारसी और संस्कृत लेने वाले उम्मीदवारों से कुछ प्रश्नों के उत्तर, यथास्थिति, अरबी, फारसी या संस्कृत में देने की अपेक्षा की जा सकती है। संस्कृति में लिखे जाने के लिए उत्तर देवनागरी लिपि में लिखे जाने चाहिएं।

13. **भारतीय इतिहास**

चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से लेकर भारतीय गणतंत्र की स्थापना तक।

प्रश्न पत्र में राजनीतिक, संविधानिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास पर भी प्रश्न होंगे।

14. **ब्रिटिश इतिहास**

अध्ययनाधीन अवधि 1485 से 1945 तक होगी। प्रश्न पत्र में राजनीतिक, संविधानिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास पर भी प्रश्न होंगे।

15. **यूरोप का इतिहास**

अध्यनाधीन अवधि सन् 1789 से 1945 तक होगी।

प्रश्न पत्र में राजनीतिक, राजमयिक आर्थिक और सांस्कृतिक विकास पर प्रश्न शामिल होंगे।

16. **विश्व इतिहास**—1789 से 1945 तक।

उम्मीदवारों से आशा की जायेगी कि उन्हें विश्व के राजनीतिक और आर्थिक विकास विशेषतः यूरोप, अमरीका, सुदूरपूर्व मध्यपूर्व तथा अफ्रीकी महाद्वीप के बारे में गहन ज्ञान हो। सार्वभौमिक महत्व की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर विशेष बल दिया जायेगा।

उम्मीदवारों से यह भी आशा की जायेगी कि उन्हें विज्ञान, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में प्रदर्शित सम्पूर्ण सभ्यता के योगदान में प्रतिबिंबित सांस्कृतिक विकास का ज्ञान हो।

17. **सामान्य अर्थशास्त्र**

उम्मीदवारों से आशा की जायेगी कि उन्हें निम्नलिखित विषयों का सामान्य ज्ञान हो—

(क) आर्थिक विश्लेषण के सिद्धान्त, तथा

(ख) आर्थिक मन्तव्यों का इतिहास।

उनमें अपने सैद्धान्तिक ज्ञान को वर्तमान भारतीय आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग करने की अयोग्यता होनी चाहिए।

18. **राजनीतिक विज्ञान**—उम्मीदवार से राजनीतिक सिद्धान्त और उसके इतिहास का ज्ञान अपेक्षित है। राजनीतिक सिद्धान्त का तात्पर्य केवल विधान-सिद्धान्त से ही नहीं है अपितु सामान्य राज्य सिद्धान्त से भी है। संविधानिक रूपों (प्रतिनिधि सरकार, संघवाद आदि) और केन्द्रीय तथा स्थानीय लोक प्रशासन संबंधी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। उम्मीदवारों को वर्तमान संस्थाओं की उत्पत्ति और विकास का ज्ञान भी होना चाहिए।

19. **दर्शन शास्त्र**—उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि उन्हें निम्नलिखित के विशेष संदर्भ सहित पूर्व और पश्चिम के नीति शास्त्र के इतिहास और सिद्धान्त की जानकारी होगी। नैतिक स्तर और उसके अनुप्रयोग की समस्याएं, नैतिक निश्चय, नियतवाद और स्वतन्त्र इच्छाशक्ति, नैतिक व्यवस्था और प्रगति, व्यक्ति, समाज और राज्य के बीच संबंध अपराध, और दंड के सिद्धात तथा नीतिशास्त्र का धर्म से संबंध।

उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे निम्नलिखित के विशेष संदर्भ सहित पश्चिमी दर्शनशास्त्र के इतिहास की जानकारी रखगें। दर्शनशास्त्र की प्रकृति और उसका विज्ञान तथा धर्म से संबंध, पदार्थ एवं आत्मा, स्थान एवं समय, कारणता एवं विकास तथा मूल्य एवं ईश्वर के सिद्धांत और ईश्वर, आत्म एवं मुक्ति, एवं कारणता, विकास एवं प्रतीति के सिद्धांतों के विशेष संदर्भ सहित भारतीय दर्शन (धर्मनिष्ठ और धर्म विरोधी प्रणालियों सहित) का इतिहास।

20. **मनोविज्ञान**—

मनोविज्ञान: उसका स्वभाव, क्षेत्र एवं अध्ययन की विधियां, मनोविज्ञान में प्रायोगिक विधियां।

मानवीय विकास के कारक—आनुवंशिक की एवं परिवेश। अभिप्रेरणा भावनाए एवं संवेग, उनका स्वभाव एवं विकास, संवेगों के सिद्धांत, चरत्र का विकास।

संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, संवेदन, प्रत्यक्ष ज्ञान, अधिगम, स्मरण शक्ति तथा विस्मरण, और मनन।

प्रज्ञा एवं योग्यताएं—संकल्पना और माप, व्यक्तित्व-स्वभाव, निर्धारक तत्व, सिद्धांत, और मूल्यांकन।

दलगत प्रक्रियाएं एवं दलगत प्रभाव, समूहगत व्यवहार, नेतृत्व एवं मनोबल, अभिवृत्ति एवं अपकृति, सामाजिक-परिवर्तन।

अपसामान्यता की संकल्पना, मनःस्ताप और मनोविक्षिप्ति विकारों के मुख्य रूपों की पहिचान एवं कारण, सामाजिक विकृति विज्ञान और बाल-अपराध—कारण और उपाय, चिकित्सा विधियों के मुख्य रूप।

21. **विधि**—भारत गणतन्त्र और यूनाइटेड किंगडम की संविधानिक विधि। विधिशास्त्र, दुष्कृति-टार्ट्स) भारतीय संविदा विधि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता।

22. लोक अन्तर्राष्ट्रीय विधि

अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति और स्रोत। अंतर्राष्ट्रीय विधि का इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय विधि का संप्रदाय, अंतर्राष्ट्रीय विधि और देश विधि।

अंतर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्तियों के रूप में राज्य। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का अधिग्रहण और हानि। राज्य मान्यता। राज्य उत्तराधिकार।

राज्य के अधिकार और कर्त्तव्य। समानता का सिद्धांत। राज्यों का क्षेत्राधिकार।

संधियां

अंतर्राष्ट्रीय संसर्ग के एजेंट। राजनयिक एजेंटों के विशेषाधिकार और उन्मुक्ति व्यक्ति और अंतर्राष्ट्रीय विधि। अन्य देशीय निवासी। राष्ट्रिकता। देशीकरण। राष्ट्रहीनता। प्रत्यर्पण। युद्ध-अपराधी।

अंतर्राष्ट्रीय विवादों को तय करने का ढंग।

युद्ध। घोषण। प्रभाव।

स्थल-जल और वायु-युद्ध के नियम।

आत्म रक्षा के लिए युद्ध: सामूहिक सुरक्षा। क्षेत्रीय समझौते। युद्ध को अवैध घोषित करना। युद्धकारी दखल के नियम।

युद्धकारिता और राज्य प्रतिरोध।

युद्ध के ढंग। युद्ध-कैदी। निरीक्षण और तलाशी का अधिकार।

नौजितमाल न्यायालय।

नाकाबंदी और विनिषिद्ध।

तटस्थता और तटस्थीकरण। युद्ध में तटस्थ देशों के अधिकार और कर्त्तव्य। अतटस्थ सेवा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अधीन तटस्थता।

संयुक्त राष्ट्र का चार्टर और राष्ट्रसंघ का प्रतिज्ञापत्र संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग। विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन।

उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दिए गए फैसलों सहित मामलों की जानकारी दे सकेंगे।

23. वाणिज्यक विधि —निम्नलिखित विषयों में संबंधित विधि के मुख्य सिद्धांत—

करार
संविदा
उपनिधान
गिरवी
माल बिक्री
एजेंसी
भागिता
क्षतिपूर्ति और गारंटी।
परक्राम्य लिखत
कम्पनी-विधि और कम्पनियों का परिसमापन।
जीवन, अग्नि, समुद्री बीमा।
सामान्य वाहक और भूमि, जल और वायु मार्ग से माल-परिवहन।
दिवाला।

24. प्रयुक्त यांत्रिकी

निर्माण

छत्तकैंची के सन्निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर विचार। इस्पात और इमारती लकड़ी। छत्तकचियों के प्रतिफल का विभिन्न पद्धतियों से निर्धारण। अचल भार और वायु दाब क्षेम और कार्इकारी प्रतिबल के घटक।

छत्तकैंचियों का डिजाइन—विभिन्न प्रकार की छत्तकैंचियों और छतछादन, कालरबीम और अधगोल कैंचियां। स्तम्भों के डिजायन में यूलर, गोरडन, रेंकिन, फिड्लर, जान्सन और सरल रेखा के सूत्रों का उपयोग, स्तम्भों का बहुकावकारक, विभिन्न सूत्रों से प्राप्त स्तम्भों की तुलनात्मक सामर्थ्य को दर्शाने वाले वक्र। कांटों के आकार का चयन। इस्पाती कार्य की परिसज्जा जोड़, एडबेयरिंगों का डिजायन, सिरों को जमाने के सहारे देने की पद्धतियां।

संरचनाओं के डिजाइन में प्रतिफल के वृत्तों और दीर्घवृत्तों तथा क्लेयप्रान प्रमेय का अनुप्रयोग।

ढले लोहे और इस्पात के स्तम्भ—इस्पाती स्तम्भों के साथ प्लेज और बेव कनेक्शन: टोपियां, आधार स्तम्भों की तिर्यक तान।

नींव—सुरक्षित दाब, स्तम्भों की नींव। पटिया नींव, बाहुधरन नींव, झंझरीदार नींव। कूप। स्थूणा।

पुश्ता दीवार और मिट्टी के बन्ध—रेंकिन सिद्धांत, वेज सिद्धांत, विकंर और ढलाई की ग्राफीय रचनाएं, संशोधनों सहित। चिनाई में विभिन्न प्रकार की पुश्ता दीवारों का डिजाइन।

ऊंची चिनाई और इस्पाती चिमनियां—सिद्धांत और डिजाइन।

इस्पाती और पक्के जलाशयों का डिजाइन—वायु दाब के विचार से।

ढांचेदार संरचनाओं के विक्षेप और अतिरिक्तांगी ढांचों में प्रतिबल आदि का अवधारण।

कैंचियों, आबद्ध धरनों और तीन पिनी परवलयिक, अर्ध-दीर्घवृत्ताकार तथा अर्ध-वृत्ताकार डाटों पर समान रूप से वितरित और अनियमित भार के वकन घूर्णन और कर्तन के प्रभाव-आरेख।

गुम्बद डिजाइन के सामान्य सिद्धांत।

निर्माण डिजाइन के सिद्धांत, निर्माणों पर भार का विचार, इस्पात, कर्म, गर्डर आदि।

पुल

ऊपरी ढांचे का डिजाइन। चरमारों और वायु दाबों के कारण हुए वंकन घूर्णन का ग्राफीय और वैश्लेषिक पद्धतियों से निर्धारण। पक्के पुलों और पुलियों का डिजाइन।

प्लेट वेब गर्डर। प्रतिबलों का विश्लेषण।

वारेन और जालदार गर्डर।

तीनपिनी, डाट, दोपिनी और दृढ़ डाट।

झूला, बाहुधरन और नलिकाकार पुलों के डिज़ाइन पर सामान्य विचार इस्पाती डाटदार पुल।

झूलना पुल

प्रबलित कंक्रीट

कर्तन, बंध और विकर्ण तनाव, इसका स्वरूप, प्रबलन का मूल्यांकन और स्थान।

सरल और दोहरी प्रबलित धरन और अनुकालंब धरन का डिज़ाइन।

प्रबलित कंक्रीट स्तम्भों और स्थूनाओं का सिद्धांत और डिज़ाइन।

पटिया नीवों का डिज़ाइन।

सरल बाहुधरन और पुश्तेदार धारक दीवारों का डिज़ाइन।

प्रबलित कंक्रीट कांटों के लिए तुल्य जड़ता-घूर्ण।

प्रत्यास्थ विक्षेप का सिद्धांत और प्रबलित कंक्रीट डाटों में प्रतिबलों के अन्वेषण की रूप रेखा।

सामान्य

प्रतिबल विश्लेषण, विकृति प्रत्यास्थता सीमा और चरम सामर्थ्य का विश्लेषण। प्रत्यास्थ स्थिरांकों में परस्पर संबंध। किसी सरचना अवयव में कार्यकारी प्रतिबलों के लिए लानहार्ट-बेरोध सूत्र और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र का अवधारण। प्रतिदलों की पुनरावृत्ति। अचल भारों के लिए वंकन घूर्णन और कर्तन-बल के आरेख ढांचों में प्रतिबलों का ग्राफीय अवधारण वायुदाब का प्रभाव, कांटों की पद्धति। वकन (M/I-F/Y-E/R) के कारण धरन की अनुप्रस्थ काट में प्रतिबल, मिश्रित और संयुग्मित प्रतिबल। मिट्टी के दाब का रेंकीन सिद्धांत, नीवों की गहराई खसकों की सामर्थ्य झझरीदार नीव, मिट्टी के दाब का कूलाम सिद्धांत रेबान के कारण परिवर्तन।

चलभारों के लिए वंकण घूर्णन कर्तन बल के आरेख। समान और समान रूप से बदलते हुए प्रतिबल का विश्लेषण धरनों के वंकन का प्रत्यास्थता-सिद्धांत, धरनों में वंकन और कर्तन प्रतिबल, काट का मापांक और तुल्य क्षेत्र। उत्केंद्र भारता के कारण जोड़ में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिबल। बांधों और चिमनियों में प्रतिबल। ब्लाक की स्थिरता, कार्य संरचनाएं। वाष्पित्र खोलों में प्रतिबलों और रिवेटदार जोड़ों का डिजाइन: थाम के संबंध में आयलर का सिद्धांत, रैंकिन, गार्डर और अन्य सिद्धांत के कारण परिवर्तन। ऐंठन, संयुक्त ऐंठन और वंकन विक्षप। आबद्ध धरने, अनेकालंब धरने और त्रिपूर्ण प्रमेय। डाटों का प्रत्यास्थता-सिद्धांत, पक्की डाटे।

25. समाज शास्त्र

समाज-शास्त्र का स्वरूप तथा विषय क्षेत्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ उसका संबंध, समाज, उसका स्वरूप तथा गठन; व्यक्ति और समाज; सामाजिक अन्योन्यक्रिया; समूह; समूह व्यवहार; संस्कृति; संस्कृति और व्यक्तित्व; भीड़ व्यवहार; नेतृत्व; समाजीकरण; सामाजिक परिवर्तन और आयोजन; नगरीकरण तथा नगरवाद; ग्रामीण समुदाय; सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत; संस्थाएं और समितियां-परिवार और सगोत्रता; सामाजिक स्तरीकरण—जाति और वर्ग; सामाजिक मान्यताएं—परंपराएं, रूढ़ियां और लोकाचार; धर्म; सामाजिक नियंत्रण; सामाजिक विगठन समाज और समंजन; मानवीय परिस्थिति शास्त्र और जनसंख्या—जनसंख्या की वृद्धि और जनसंख्या नियंत्रण।

उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे तथ्यों द्वारा सिद्धांतों का निरुपण करें तथा सिद्धातों की सहायता से समस्याओं का विश्लेका निरुपण करें तथा सिथातों की सहायता से समस्याओं का विश्लेषण करें। उनसे भारतीय समस्याओं की विशेष जानकारी उपेक्षित होगी।

भाग—ग

परिशिष्ट के भाग II के उप भाग (ग) के अनुसार

1. (क) **उच्चतर विशुद्ध गणित**—

इसमें ये विषय शामिल होंगे।

(1) आधुनिक बीज गणित तथा स्थपन विज्ञान।

(2) वास्तविक चरों के फलनों का विश्लेषण।

(3) सम्मिश्र चरों के फलन।

(4) ज्यामिति तथा

(5) अवकल समीकरण।

(1) **आधुनिक बीजगणित**: समूहों, जयसमूहों, प्रसामान्य उपसमूहों। खण्ड समूहों। समरूपता तथा एकक समाकारिता। एकैक समाकारिता पर प्रमेय। क्रमयय समूहों। रूपांतरण के समूहों। स्वसभाकृतिकता के समूहों। आंतरिक स्वसमाकृतिकता। प्रसामान्य-कर्त्ता, केन्द्र तथा दिक् परिवतक। कैले ओर सीलो के प्रमेय। परिमितीय जनक आवेली गुणों के लिए वियोजन प्रमेय। निश्चरों। प्रसामान्य श्रेणी, संयोजक श्रेणी, जार्डन—होल्डर प्रमेय। रिंग। पूर्णाकाय डोमेन। विभाजन रिंग। क्षेत्रों। आदर्श, प्रधान, प्रारंभिक तथा मैक्सिमल आदर्श, आदर्श के धनराशि तथा गुणनफल। भागफल रिंग। रिंगों, के लिए एकैक समाकारिता प्रमेय। पर्णाकीय डोमेन के भागलों का क्षेत्र। यी विलडी डोमेन। मुख्य आदर्श डोमन। अद्वितीय गुणनखण्डन डोमेन। विक् परिवर्तित रिंग के ऊपर बहुपद रिंग। अद्वितीय गुणनखण्डन डोमेन से बहुपद गांणांकों सहित। नियोथस्मिन रिंग। वेक्टर स्थानों। वेक्टर स्थान का आधार। विभा। लांबिकता। आदेशगुणनफल। आर्थानिर्मल आधार।

क्षेत्र विस्तार। विभाजकफील्ड। पृथक होने योग्य और पृथक न होने ओग्य विस्तार। परिमित विस्तारों का गेलोइस का प्रमेय। करणी द्वारा समीकरणों के हलका अनुप्रयोग। परिमित क्षेत्र।

स्थान वैज्ञानिक स्थान। मानचित्रों तथा आस-पड़ोस, बंद-समुच्चय, स्वोंतर समुच्चय स्थान, वैज्ञानिक स्थान के लिए आधार उपस्थान, भागफल स्थान। स्थान विज्ञान तथा स्थान विज्ञानों के सामर्थ्य की परिभाषा के विभिन्न तरीके। मैट्रिक स्थान, यविलडी स्थान तथा मैट्रिक स्थानों के अन्य उदाहरण। दो स्थान वैज्ञानिक स्थानों के संयोजन कार्तीय गुणनफल, स्थानीय संयोजन। पथ के अनुसार संयोजन। संहृति स्थान, संहृति स्थानों के गुणनफल, स्थानीय संहित स्थानों। पार्थक्य-अभिगृहीत। होज़डोर्फ, प्रसामान्य तथा नियमित स्थान।

(2) **वास्तविक चरों के फलनों का विश्लेषण :**

वास्तविक संख्याओं का डेकेकाइंड का प्रमेय। परिबंध और सीमाएं। अनुक्रमों। संतत तथा एक समान संतत। अवकलनीयता। अस्पष्ट फलनों। फलनों के अधिकतम और न्यूनतम। रीमेन समाकलन। माध्यमान प्रमेयों। अनुचित पूर्णकीयों (रेखा, समतल तथा गुणांक पूर्णाकीयों। रेखा, समतल तथा गुणांक पूर्णाकीय ग्रीन और स्टको के प्रमेय।

एक समान अभिसारी श्रेणियों के एक समान अभिसरण की श्रेणियों और गुण। अपरिमित गुणनफलों का अभिसरण। समुच्चय के फलनों के आर्थोनामीलटी तथा सम्पूर्णता। फूरिये श्रेणियां तथा फूरिये प्रमेय। वायरस्ट्रास सन्निकटन प्रमेय। लबेस्गू का माप। प्रतिबंधित फलनों के मापीय फलन तथा लेबेस्ग्यू पूर्णाकीय।

(3) **मिश्रितचर के फलन** : गाउस के समतल और रीमेन के गोला पर संमिश्र संख्याओं का निरूपणा। द्विचरएकधाती रूपांतरणों विश्लेषिक फलनों। कौची का प्रमेय तथा उसका विलोभ। कौची का पूर्णाकीय सूत्र। टेलर तथा लोरेंट की श्रेणियां। वियोऊवाइल का प्रमेय। विचिलताएं। शून्यों / आवेशेषां का प्रमेय तथा पूर्णकीयों के मूल्योकन के लिए इस का अनुप्रयोग। बीजगणित का मूल प्रमेय तथा बीजगणित के समीकरणों के मूल। अनुकोण निरूपण। विश्लेषिक संतत। मिटेगलेयर का प्रमेय। वाइरेस्ट्रास का गुणनखण्ड का प्रमेय। अधिकतम मापांक सिद्धांत। हैडामार्ड का त्रिवृतिय प्रमेय।

(4) **ज्यामित** : समतल परिच्छेदों तथा द्विघातियों की जनक रेखाएं द्विघाती पृष्ठ तथा इसका विश्लेषण। संतामि द्विघाती। द्विघाती की रेन्सिलों का प्रारंभिक प्रमेय। सोला में वर्क। वक्रता तथा ऐंठन। फ्रेमेट के सूत्र। आवरण। विकास योग्य समतल। विकासयोग्य वक्र से संगुणित। रेखज पृष्ठ। पृठों की वक्रता। वक्रता की रेखाएं, संयुग्मी रेखाएं। उपगामी रेखाएं। अल्पांतरी।

(5) अवकल समीकरण

सामघरणप्रवध अवकल समीकरण : पिकार्ड का अस्तित्व प्रमेय। प्रारंभिक तथा सीमांत प्रतिबंध। चरगुणांकों के साथ रेखाकार अवकल समीकरण। श्रेणियों मे समाकलन, बेसिल तथा लेगेन्डर फलन। संपूर्ण तथा युगपत् अवकल समीकरण।

आंशिक अवकल समीकरण

आंशिक अवकल समीकरणों की बनावट। आंशिक अवकल समीकरणों के पूर्णाकीय के प्रकार। प्रथम क्रम के आंशिक अवकल समीकरण। चारपिट का तरीका। अचर गुणकों के साथ औघिक अवकल समीकरण। मांगे का तरीका। द्वितीय क्रम के औघिक अवकल समीकरणों का वर्गीकरण। आप्लेस समीकरण तथा इसकी सीमांतमान समस्याएं। तरंग समीकरण तथा ऊष्माचालन के समीकरण का हल।

1. (ख) उच्चतर अनुपयुक्त **गणित**—

शामिल विषय ये होंगे :—

(1) गति-विज्ञान

(2) द्रवगति विज्ञान

(3) प्रत्यास्थता

(4) विद्युत तथा चुंबकत्व

(5) आपेक्षिकता का विशेष प्रमेय।

(1) **गति-विज्ञान** : कण तथा ऊर्जा। भुगतिमान से संबंधित गति। फौकाल्ट का लोलक। जनक निर्देशांक। होलोनोमिक तथा अहोलोनोमिक प्रणालियां। छोटे-दोलन। यूलर के ज्यामितीय तथा गतिक समीकरण। लूट्टू की गति। न्यूनतम कर्मका हैमिल्टन का सिद्धांत। हैमिल्टन के विहित समीकरण तथा उनके समाकल निशचर। संस्पर्श रूपांतरण।

(2) **द्रवगति विज्ञान**

सामान्य : सांतत्य का समीकरण, संवेग तथा ऊर्जा।

इनविसिड प्रवाह प्रमेय : द्विविभगति। प्रवाही गति। स्रोत तथा अभिगम। प्रतिबिम्ब के तरीके तथा इनके अनुप्रयोग। तरल में बेलन तथा गोला की गति। भ्रमिलगति। तरंगें।

विस्कोस प्रवाह प्रमेय :— प्रतिबल तथा विकृति विश्लेषण। नेवियर-स्ट स्टोकेल समीकरण। भ्रमिलता। अर्जा-क्षय। समानांतर पट्टिकाओं के बीच प्रवाह। नली में होकर प्रवाह। गोला के पार धामी प्रवाह गति। सीमांत स्तर संकल्पना-द्विविम प्रवाहों के लिए सीमांतस्तर। पट्टिका के साथ सीमांतस्तर। समरूपता हल। संवर्ग तथा ऊर्जा समाकल। करमत तथा पोहलहौसेन का तरीका।

(3) **प्रत्यास्थता** : कार्तीय टेन्सर। प्रतिबल तथा विकृति विश्लेषण कार्य तथा ऊर्जा। सेंट वेनेन्ट का सिद्धांत। दंड और पट्टिकाओं को मोड़ना। एठन।

(4) **विद्युत तथा चुम्बकत्व** स्थिर वैद्युत। चालक तथा संधारित्र चालकों की प्रणालियों। परावैद्युत। संकल्पनाओं के तरीके तथा इनके अनुप्रयोग। जालों में विद्युत धाराओं के प्रवाह चुंबकत्व। चुंबकत्व वैद्युत। प्रेरण। प्रत्यावर्ती धाराएं। मैक्सवल के समीकरण। दोलनी परिपथ।

(5) **आपेक्षिकता का विशेष प्रमेय** : गलीलियन सिद्धांत। माइकल्सन-मोरलेय प्रयोग। आपेक्षिकता के प्रमेय के सिद्धांत। लोरेंज रूपांतरण तथा इस के परपद। मैक्सवेल के समीकरणों के लोरेंज निश्चर। निवार्त का विद्युत गार्तक। द्रव्य तथा ऊर्जा।

2. **उच्च भौतिकी**

द्रव्य और ध्वनि के सामान्य गुण धर्म—विरूपणेय पिंडों की यांत्रिकी। कुंडलिनी कमानी केशिका घटनाएं। श्यानता। ध्वनिक मापन पराश्रव्यिकी।

ऊष्मा और ऊष्मागतिकी—ब्राउनी गति। गैसों का अणुगति सिद्धान्त। निम्न दाब पर गैसों में मिलने वाली अभिगमन-घटनाएं। ऊष्मागतिक कार्य और उनके अनुप्रयोग। घनाकृतियों और गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। निम्न तापमान लाना और उन्हें मापना। विकिरण और ऊर्जा वितरण का प्लैंक नियम।

प्रकाश-विज्ञान—समाक्ष समभित प्रकाशित तंत्रों का सिद्धांत। प्रायोगिक स्पेक्ट्रम-विज्ञान। विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत। प्रकाश प्रकीर्णन। रामन-प्रभाव। विवर्तन। ध्रुवण।

विद्युत और चुम्बकत्व—गाउस-प्रमेय। विद्युतमापी। चुम्बकीय शैथिल्य। स्थायी चुम्बकों का सिद्धांत। वैद्युत राशियों का मापन। प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत। साइक्लोट्रान और उच्च वोल्टता के उत्पादन की अन्य विधियां। बेतार तरंगों का प्रेषण और अभिग्रहण। टेलीविजन।

आधुनिकता भौतिक—आपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत। प्रकाश और द्रव्यों की द्वैत प्रकृति। श्रोडिंजर समीकरण और साधारण मामलों में उसके हल। हाइड्रोजन और हीलियम स्पक्ट्रा जीमन और स्टार्क प्रभाव। पोली नियम और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। एक्स किरण और एक्स-किरण स्पैक्ट्रम-विज्ञान। कॉम्पटन प्रभाव। धातुओं में चालन। अतिचालकता। तापायनिकी। तापीय आयनन। परमाणु नाभिकों के गुणधर्म। द्रव्यमान स्पक्ट्रम-विज्ञान। मूल-कण और उनके गुणधर्म। नाभिकीय अभिक्रियाएं। अंतरिक्ष-किरणें। नाभिकीय विखंडन और संलयन।

3. उच्च रसायन

अकार्बनिक रसायन—परमाणु-संरचना। रेडियोऐक्टिवता, प्राकृतिक एवं कृत्रिम। नाभिकों का विखण्डन तथा संलयन। समस्थानिक। रेडियोऐक्टिवसूचक। रेडियोऐक्टिव श्रेणियां। परायुरेनियम तत्व। तत्वों और उनके मुख्य यौगिकों, विशषत: Be, W, TI, V, MO, HF, ZV तथा दुर्लभ मृदा तत्वों और उनके मुख्य यौगिकों, का रसायन।

उपसहसंयोगिता-यौगिक। अंतराअवाशी तथा अतत्वयोगमितीय यौगिक। मुक्त मूलक। विश्लेषण की पगत भौतिक-रासायनिक विधियां।

कार्बनिक रसायन—अनुवाद तथा हाइड्रोजनबन्ध विरचन सहित कार्बनिक रसायन के सिद्धांत। महत्वपूर्ण कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। समनुरूपण सहित विन्यास-रसायन।

विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के वर्गों, विशेषत: निम्नलिखित वर्गों का रसायन : बहु-शर्कराइड, टर्पीन, प्राकृतिक रंजक द्रव्य एलेकेलाइड, विटामिन, महत्वपूर्ण हार्मोन, मलेरिया रोधक, क्लोरीन कीट-नाशी, मुख्य पतिजैविक, तथा संश्लिष्ट बहुलक।

भौतिक-रसायन—अणु-गतिक सिद्धान्त, ऊष्मागति की विज्ञान के तीन नियम तथा भौतिक रसायनकि प्रकर्मों में उनका अनुप्रयोग आणविक संरचना से संबंधित तथा उसका स्पष्टीकरण करने वाले भौतिक-रासायनिक गुणधर्म। क्वान्टम-सिद्धांत तथा रसायन में इसका अनुप्रयोग।

रासायनिक तथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि तथा बलागतिकी। उत्प्रेरण। अधिलोषण। पृष्ठ-रसायन। कोलायड। विद्युत-रसायन।

4. उच्च वनस्पति-शास्त्र

उम्मीदवारों को भारतीय वनस्पति समूह पर विशेष ध्यान देते हुए, वर्तमान और विलुप्त दोनों प्रकार के वनस्पति-जगत् के मुख्य समूहों (अर्थात् शैवाल, कवक, ब्रयोफाइटा, टेरिडो-फाइटा, जिम्नोस्पर्म और ऐंजिओस्पम) का उच्च ज्ञान होना चाहिए।

शरीर—पादप ऊतकों का उद्भव, स्वरूप और विकार और पारिस्थितिक तथा कायिकीय दृष्टि से उनका वितरण।

पारिस्थिति की—भारत की वनस्पति के मुख्य प्रकार, उनका वितरण और वनस्पतिक अध्ययन का महत्व।

कायिकी—पादम कार्य के महत्वपूर्ण कायिकीय प्रक्रम का उच्च ज्ञान।

पादम रोग विज्ञान—जीवाणु, कवक, विषाणु, द्वारा होने वाले महत्वपूर्ण पादम रोगों तथा कायिकी रोगों और उनके नियंत्रण की विधियों का उच्च ज्ञान।

आर्थिक वनस्पति विज्ञान-भारत के आर्थिक दृष्टि से महत्व पूर्ण पौधों का अध्ययन और उनका वितरण।

सामान्य जीव विज्ञान—।वभिन्नता, आनुवंशिकता क्रम विकास, कोषिका—विज्ञान तथा आनुवंशिकी के मूलतत्वों और आधुनिक विकास एवं पादम प्रजनन के सिद्धान्तों का ज्ञान।

5. उच्च प्राणिविज्ञान

आकार्डेटों और कार्डटों, विशेषकर भारतीय प्राणि समूहों, का वर्गीकरण, जीवपरिस्थिति की, आकारिकी, जीवनवृत्त तथा संबंध।

अंग-तंत्र का क्रियात्मक आकृतिविज्ञान (रूप, संरचना तथा कार्य)। कशेरुकी भ्रूणविज्ञान की रूपरेखा।

प्राणियों का वर्गीकरण व्यक्तिवृत्त, अनुकली समाभिरूपता तथा विषाभिरूपता, पशु-परिस्थिति की, प्रवास तथा रंजन।

विकास : प्रमाण, वाद और उनकी आधुनिक व्याख्याएं। अनुकूलन, अंतरिक्ष में प्राणियों का वितरण।

कोशिका, कोशिका-विज्ञान, आनुवंशिकी, लिंग-निधारण तथा अंत:स्राव-विज्ञान के ज्ञान में नवीन प्रगतियां।

भौतिक, रसायनिक तथा जैविक कारकों के समिश्र के रूप में वातावरण तथा व्यक्ति, जनसंख्या और समुदाय के रूप में जीवों की आधुनिक संकल्पना।

निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबन्ध: प्रोटोजोआ तथा रोग, कीट तथा मानव, परजीवी, विज्ञान, अलवण जल तथा समुद्री जीव विज्ञान, सरोवर-विज्ञान तथा मत्स्य-जीवविज्ञान, ज्ञान तथा सभ्यता के लिए महान जीव-वैज्ञानिकों का योगदान

6. उच्चभूविज्ञान

सामान्य भूविज्ञान—भूविज्ञान का इतिहास तथा विकास इसकी विभिन्न शाखाएं तथा विज्ञान की अन्य शाखाओं से इसका संबंध। पृथ्वी का उद्भव, विकास, संरचना, रचना, गर्भ तथा आयु। भूआकृति-विज्ञान, रेडियोएक्टिवता तथा भूविज्ञान, भूकंप, विज्ञान, ज्वालामुखी-विज्ञान, भू-अभिनतियों, समस्थितियों में उसका अनुप्रयोग। महाद्वीपों तथा महासागर द्रोणियों का विकास। पृष्ठ एजेन्सियों और अंत: भूमिका एजेंसियों की भूवैज्ञानिक क्रिया महाद्वीपीय विस्थापन।

संरचना तथा क्षेत्रभूविज्ञान-पटल विरूपण—शैल विरूपण, पर्वतों का उद्भव, स्थल-आकृति तथा खनन सम्बन्धी संरचनाएं।

भारत का विवर्तनिक इतिहास । भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं भूमापन की विधियां ।

स्तरित शैल-विज्ञान तथा जीवाश्म-विज्ञान—स्तरित शैल-विज्ञान के नियम तथा सह सम्बन्ध । भारतिय स्तरित शैल विज्ञान का विस्तृत अध्ययन तथा विश्व स्तरित शैल विज्ञान की रूपरेखा । विभिन्न कालों में पृथ्वी, समुद्र, प्राणी समूहों तथा वनस्पति समूहों का विभाजन । जैव-विकास के सिद्धान्त । जीवाश्म—उनका महत्व । प्रतिरूपी इन्डैक्स जीवाश्म तथा सह सम्बन्ध, भारत के विशेष संदर्भ में अकशेरूकी का विस्तृत अध्ययन । और भूवैज्ञानिक इतिहास ।

क्रिस्टल विज्ञान तथा खनिज-विज्ञान—क्रिस्टल-आकारिकी, क्रिस्टल-विज्ञान के नियम, क्रिस्टल तंत्र तथा वर्ग, प्रकृति यमलन । क्रिस्टलों का कोणामापी तथा ऐक्स-किरण अध्ययन । परमाणु-संरचना । शैल कर तथा आर्थिक खनिजों का, भारत में उनके अस्तित्व के विशेष संदर्भ में विस्तृत अध्ययन ।

शैल विज्ञान—आग्नेय अवसादी तथा कायान्तरित शैलों का उद्भव और विकास, संरचना, खनिज घटक, गठन तथा वर्गीकरण । कायांतरण सहित शैलजनन । शैल रसायन । उल्का पिण्डों का अध्ययन । मुख्य भारतीय शैल प्रकारें ।

आर्थिक भूविज्ञान—अयस्क-उत्पत्ति, आर्थिक खनिजों का वर्गीकरण तथा अयस्क-स्थान निर्धारण । भारत के विशेष संदर्भ में आर्थिक खनिज निक्षेपों का भूविज्ञान । खनिज उद्योगों का स्थान-निर्धारण । गुणधर्मों का मूल्यांकन, खनिज-अर्थशास्त्र, खनिजों का संरक्षण तथा उपयोग । राष्ट्रीय खनिज नीति स्ट्रैटेजिक खनिज भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय तथा भूरासायनिक पूर्वेक्षण तकनीकें तथा उनके अनुप्रयोग । खनन, प्रतिचयन, अमस्कप्रसाधन तथा अयस्क सज्जीकरण की मुख्य विधियां । भूमि तथा भौम जल । सामान्य इंजीनीयरी समस्याओं में भूविज्ञान का अनुप्रयोग ।

7. उच्च भूगोल

पर्चे के दो भाग होंगे :—पहले भाग के अंतर्गत भारत के विशेष संदर्भ में भौतिक, मानव तथा आर्थिक भूगोल का प्रगत अध्ययन होगा ।

दूसरे भाग में निम्नलिखित विशेष विषयों का प्रगत अध्ययन शामिल होगा और उम्मीदवार से आशा की जाती है कि उसे कम-से-कम दो विषयों का ज्ञान होगा :—

भूआकृति विज्ञान । जलवायु विज्ञान (मौसम के पूर्वानुमान तथा विश्लेषण की नई विधियों सहित) । मानचित्रकला (समकोणीय गोलीय त्रिकोण के हल, थियोडोलाइट के उपयोग, तियर्क विमध्य जाल जैसे प्रगत प्रक्षेप, आदि सहित) । ऐतिहासिक भूगोल । राजनैतिक भूगोल । भौगोलिक विचार तथा खोजों का इतिहास ।

8. अंग्रेजी साहित्य

प्रश्न पत्र अंग्रेजी साहित्य (1798-1935) के अध्ययन पर आधारित होगा, जिसमें निम्नलिखित रचनाकारों का विशेषाध्ययन अपेक्षित होगा :—

वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शैली, कीट्स, लैम्ब, जैन औस्टिन, कारलाइल, रस्किन, थैकरे, राबर्ट ब्राऊनिंग, जार्ज इलियट, जी० एम० हौपकिन्स, शां, डब्ल्यू० बी० यीट्स, गाल्सवर्दी, जे० एम० सिंज, ई० एम० फ़ोर्स्टर तथा टी० एस० इलियट ।

स्वयं पुस्तकें पढ़ने का प्रमाण अपेक्षित होगा ।

प्रश्न पत्र इस प्रकार के बनाए जायेंगे जिनसे इन अवधि की प्रमुख साहित्यिक धाराओं का ज्ञान ही नहीं, अपितु उनके आलोचनात्मक मूल्यांकन की जांच भी की जा सके । इसमें उस अवधि की सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित प्रश्न भी शामिल किये जा सकते हैं ।

9. (क) भारतीय इतिहास—(चन्द्रगुप्त मौर्य से हर्ष तक)

मौर्यवंश—साम्राज्य का अभ्युदय तथा दृढ़ीकरण । प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था । साम्राज्य का पतन ।

मगध का पतन

शुंग तथा कण्व वंश—चोल, चेर तथा पाण्ड्य ।

पश्चिम से सम्पर्क उत्तर भारत-भारत यूनान ।

दक्षिण-भारत-रोमन व्यापार ।

मध्य एशिया तथा भारत ।

शक वंश । कुशान वंश ।

शतवानक वंश ।

एशियाई देशों से भारत का सम्पर्क—बौद्ध मत का प्रसार ।

गुप्त साम्राज्य

भारतीय शास्त्रीय संस्कृति का निर्माण । भारत के और, समुद्रपारिय सम्पर्क । गुप्त वंश का पतन । हूण जाति ।

उत्तर भारत में बदली हुई अर्थ व्यवस्थाएं तथा राजनीति पर उनका प्रभाव ।

वाकटक तथा चालोक्य वंशों का अभ्युदय ।

पल्लवों का अभ्युदय । हर्षवर्धन ।

हर्षवर्धन

9. (ख) भारतीय इतिहास (मुगल साम्राज्य 1526-1707 राजनीति इतिहास—

भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, इसका दृढ़ीकरण तथा विस्तार । सूर राज्यान्तराल । मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष । अकबर, जहांगीर और शाहजहां । मुगलों के फारस तथा मध्य एशिया से सम्बन्ध । प्रशासनिक पद्धति का विकास । मुगल दरबार में यूरोप के लोग, प्रारम्भिक पुर्तगाली, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी बस्तियां । पतन का प्रारम्भ । औरंगजेब, उसके युद्ध तथा नीतियां ।

सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन—

सांस्कृतिक जीवन तथा कला का विकास, वास्तुकला तथा साहित्य ।

धार्मिक आन्दोलन : भक्ति आन्दोलन, सूफीमत, दीने-इलाही । मुगल बादशाहों की धार्मिक नीति ।

आर्थिक जीवन, कृषि, जीवन । भूधारण पद्धतियां । उद्योग । वाणिज्य तथा व्यवसाय । आयात तथा निर्यात । परिवहन व्यवस्था । भारत का ऐश्वर्य ।

सामाजिक जीवन : दरबारी जीवन । नागरिक जीवन, ग्रामीण जीवन । वेशभूषा । रीति-रिवाज, खाद्य तथा पेय, मनोरंजन तथा मेले, त्यौहार, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति ।

9. (ग) भारतीय इतिहास III (1772 से 1950)

बंगाल तथा दक्षिण भारत में ब्रिटिश सत्ता का सुदृढ़ीकरण भारत में ब्रिटिश सत्ता का विकास । ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा ब्रिटिश राज्य । सिविल सर्विस, न्याय पद्धति, पुलिस तथा सेना का विकास । नई भूमिकर पद्धति तथा भूधारण पद्धति का विकास । ब्रिटिश व्यवसाय नीति । भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव । 1857 का विद्रोह । भारतीय राज्यों के साथ सम्बन्ध विदेश नीति, तथा ब्रह्मा व अफ़गानिस्तान के साथ सम्बन्ध । आधुनिक उद्योग तथा संचार साधनों का विकास । आधुनिक शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास ।

भारतीय पुनः जागृति—राजा राम मोहन राय, ब्रह्मसमाज और विद्यासागर, आर्य समाज, थियोसोफिस्ट, रामकृष्ण तथा विवेकानन्द, सैयद अहमद खां सामाजिक सुधार आधुनिक भारतीय साहित्य का विकास ।

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का अभ्युदय: इण्डियन नेशनल कांग्रेस (1885 से 1905) दादाभाई नारोजी, राणाडे, गोखले, उग्र राष्ट्रवाद का विकास, विभाजन विरोधी आन्दोलन, स्वदेशी तथा बायकाट आन्दोलन, तिलक व अरविन्द घोष, होमरूल लीग तथा लखनऊ समझौता ।

सांविधानिक विकास—1861 तथा 1892 के अधिनियम, मिन्टो मार्ले सुधार, मौंट फोर्ड सुधार, 1935 का अधिनियम ।

महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश तथा स्वतन्त्रता संग्राम । सत्ता-हस्तान्तरण : क्रिप्स मिशन, कैबीनेट मिशन, स्वतन्त्रता अधिनियम तथा विभाजन । 1950 का संविधान । स्वतन्त्र भारत : विदेश नीति, तटस्थता, धर्मनिरपेक्षता का योजना ।

9. (घ) **ब्रिटिश संविधान का इतिहास** (1601 से 1950 तक) ।

ताज बनाम संसद—

जेम्स तथा संसद के बीच सम्बन्ध । अधिकारयाचिका । चार्ल्स तथा परमाधिकार बनाम सामान्य कानून । (गृह युद्ध)

संविधान प्रवर्तक—

लांग संसद् की सरकार । लिट्स संसद । प्रोटैक्टोरेट । पुनःस्थापन । ग्लोरियस रिवोल्यूशन । बिल आफ एहंयूस) ।

ताज, कार्यपालिका तथा संसद ।

राजा तथा उसके मंत्री । ताज का प्रभावाधिकार । मन्त्रिमंडल तथा संसद् : 1936 का राजतन्त्रीय आपातकाल ।

संसद का सुधार

सुधार अधिनियम तथा हाउस आफ कामन्स । हाउस आफ कामन्स तथा हाउस आफ लार्डस । हाउस आफ लार्ड्स का सुधार ।

कामनवेल्थ (राष्ट्रमण्डल)

कामनवेल्थ का उद्गम तथा विकास । वेस्टमिस्टर का परिनियम । कामनवेल्थ सहयोग का कार्यन्वयन । कामनवेल्थ में ताज की स्थिति ।

9. (ङ) **यूरोपीय इतिहास** (1871-1945)

यूरोप का औद्योगिक विकास — राष्ट्रवाद तथा लोक तांत्रिक और समाजवादी आंदोलनों का विकास ।

जर्मन साम्राज्य, "तृतीय फ्रांसीसी गणराज्य", हैब्सबर्ग राजवंश राजतंत्री रूस । संधियों और मैत्रियों की नीति ।

पूर्व संबंधी (ईस्टर्न) प्रश्न ।

साम्राज्यवाद का उत्थान तथा निकट पूर्व , मध्यपूर्व अफ्रीका और सुदूर पूर्व में यूरोप के साम्राज्यवादी हित ।

प्रथम विश्व युद्ध का उद्गम तथा परिणाम ।

रूस की क्रान्ति तथा उसके परिणाम ।

वर्साइ समझौता, राष्ट्र संघ (लीग आफ़ नेशंज), विश्व व्यापी निरस्त्रीकरण के प्रयत्न सुरक्षा की खोज, फासिज्म तथा नाजिज्म का उदय और उसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम ।

द्वितीय विश्व युद्ध ।

10. (क) **उच्च अर्थशास्त्र**

आर्थिक विश्लेषण के कृत्य ।

मूल्य का सिद्धान्त । खपत और मांग का सिद्धान्त । उत्पादन का संगठन । एकाधिकार का सिद्धान्त । एकाधिकार का नियन्त्रण ।

वितरण का सिद्धान्त । किराया । पूंजी का सिद्धान्त । धन तथा ब्याज का सिद्धान्त । बचत तथा विनियोजन । बैंकिंग तथा उधार सम्बन्धी नियम । मजदूरी तथा नियोजन सम्बन्धी सिद्धान्त । सामूहिक सौदाबाजी तथा औद्योगिक शान्ति ।

राष्ट्रीय आय । आर्थिक प्रगति तथा वितरणात्मक न्याय ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त । विदेशमुद्रा । अदायिगियों का शेष ।

व्यापारिक चक्र तथा उनका नियन्त्रण । सरकार का आर्थिक योग । आर्थिक कल्याण । लोक (हित) के साधन मूल्यांकन तथा नियमन ।

10. (ख) **उच्च भारतीय अर्थशास्त्र**—

युद्धकालीन तथा युद्धोत्तर अवधि में आर्थिक विकास । प्राकृतिक साधन सामाजिक संस्थाएं । कृषि उत्पादन तथा वित्त । अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादन का मूल्य निर्धारण तथा वितरण । भूमि सुधार । किसी विकासमयी अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योगों का स्थान । आधुनिक संगठित उद्योग का विकास । लोक कम्पनियों का नियमन । औद्योगिक सम्बन्ध तथा श्रम (दल) की समस्याएं । समिश्रित अर्थ व्यवस्था । सावजनिक क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र तथा दक्षता । भारतीय पूंजी तथा प्रन्यय पद्धति । रिजर्व बैंक का योगदान । जनसंख्या, समस्याएं तथा जनसंख्या सम्बन्धी नीति । बेरोजगारी तथा अपूर्ण रोजगारी । भारतीय राष्ट्रीय आय का निर्धारण । विदेशी व्यापार का नियमन । अदायगियों का शेष । भारतीय करारोपण

पद्धति । संघीय वित्त । आर्थिक विकास के लिए योजना । क्रमबद्ध योजनाओं का आकार तथा ढांचा । स्रोत तथा कार्यान्विय की समस्याएं ।

11. (क) हाब्स से लेकर आज तक के राजनीतिक सिद्धांत

ठेका (कान्ट्रैक्ट) तथा प्राकृतिक अधिकारो के सिद्धान्त-हाब्स, लोक, रूस्सो । प्रभुता के मन्तव्य का विकास । इतिहासकार-वीको, मौन्टैस्क तथा बर्क । उपयोगितावादी । विकासवादी । आदर्शवादी-कान्ट,हेगल, ग्रीन, ब्राडले तथा बोसंक्वे । रूढ़िवाद तथा उदारवाद । मार्क्सवाद तथा समाजवाद व साम्यवाद की धाराएं । बहुलवाद । फासिज्म । मनोविज्ञान का प्रभवि क्षेत्र । पूर्वी देशो में बीसवी शताब्दी की विचारधाराएं ।

11. (ख) राजनीतिक संगठन तथा लोक प्रशासन

राजनीतिक संस्थाएं—आधुनिक राष्ट्रों का विकास संसदीय तथा राष्ट्रपति सहित सरकारें । एक सत्ता तथा संघीय सरकारें । विधानांग कार्यपालिका तथा न्यायपालिका । प्रतिनिधित्व के प्रचार साम्यवादी तथा एक सत्ताधारी सरकारें ।

लोक प्रशासन—आधुनिक सरकार में लोक प्रशासन । नीति-निर्धारण तथा उच्चतर नियन्त्रण-न्यायपालिका तथा कार्यपालिका । संगठन, प्रबंध, प्रकार तथा माध्यम । नियामक आयोग तथा लोक निगम । कर्मचारी वर्ग प्रशासन-सिविल सेवा तथा इसकी समस्याएं । बजट तथा वित्तीय प्रशासन । प्रशासनिक अधिकार । न्यायालयों द्वारा नियन्त्रण । लोक सेवाएं तथा जनता ।

11. (ग) अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

भाग 1

राष्ट्रीय शक्ति के आधार और सीमाएं

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति सिद्धान्त तथा नैतिकता का स्थान ।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्थान ।

विदेश नीति के निर्धारण में राष्ट्रीय हित का योग ।

शक्ति संतुलन का सिद्धान्त ।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का स्वरूप और उनके कार्य ।

संयुक्त राष्ट्र संघ, उद्देश्य, संरचना और कार्य प्रणाली ।

भाग 2

प्रथम विश्व युद्ध के मूल कारण तथा शांति "समझौते" का स्वरूप ।

राष्ट्र संघ (लीग आफ़ नेशंज) तथा दोनों युद्धों के बीच के वर्षों में सामूहिक सुरक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए किए गए प्रयत्न ।

द्वितीय विश्व युद्ध के मूल कारण ।

परमाणु युग तथा परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सके प्रभाव ।

"शीत युद्ध" तथा विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव ।

नए राष्ट्रों का अभ्युदय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रतिमान में परिवर्तन ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, भारत तथा निम्नलिखित में से किसी एक देश की विदेश नीति.—

ग्रेट ब्रिटेन, जापान, जर्मनी तथा फ्रांस ।

12. (क) उच्च अमूर्त विषय विज्ञान (शासनशास्त्र रहित)

उम्मीदवारो से यह आशा की जाएगी कि वे कान्ट से लेकर आज तक के प्रमुख दार्शनिकों (नामत: कान्ट, हीगल, ब्राडले, रायस, क्रोचे, मूर, रसल, जेम्स, शिल्लर ड्यूई, बर्गसन, एलैक्साण्डर, व्हाईटहेड, विटगनस्टाईन, अयर हार्यडग्गर तथा मार्सेल) ।

निम्नलिखित विषयों में से किसी पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

ज्ञान के स्रोत, तत्व, भिन्न-भिन्न रूप । उसकी सीमाएं मापदण्ड तथा समाजविज्ञान ।

सत्य, मिथ्या, मूल ।

वास्तविकता के सिद्धान्त । वास्तविकता । जीवन और श्री अस्तित्व । एकत्ववाद, द्वैतवाद, बहुलवाद, प्रकृतिवाद, अनीश्वरवाद, ईस्वरवाद, मोक्षवाद और रहस्यवाद । हेगलोत्तर आदर्शवाद । नवीन यथार्थवाद । मौलिकवाद अनुभूतिवाद । उपयोगितावाद ।

उपकरणवाद । मानववाद-प्रकृतिवादी और धार्मिक ।

तार्किक प्रत्यक्षवाद । अस्तित्ववाद—अनीश्वरवादी और ईश्वरवादी । आगमन की समस्याएं, प्राकृतिक नियम, सापेक्षवाद, ईश्वर और अनिश्चयवाद के सम्बन्ध मे दर्शन के क्षेत्र में नवीन विचारधाराएं ।

12. (ख) उच्च मनोविज्ञान प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सहित

मनोविज्ञान की विषय-वस्तु, क्षेत्र और पद्धतियां, अन्य विज्ञानों से इसका संबन्ध ।

आनुवंशिकता और परिवेश संबंधी विवाद-मानव के विकास पर इन दोनों के सापेक्षिक प्रभाव संबंधी प्रयोगात्मक अध्ययन ।

अभिप्रेरणा एवं संवेग की समस्याएं । कुंठा और विग्रह; विग्रहों के प्रकार । आत्मरक्षातंत्र—अभिव्यंजक गतिविधियों से संबंधित अध्ययन; मनोधारानुक्रिया (P. G. R.), असत्य परिचयन ।

संवेदन और अनुभूति—मनोवैज्ञानिक पद्धतियां, देश-प्रत्यक्ष ज्ञान, शाश्वत, संगठन के कारक; गत्यात्मक, व्यक्तित्व तथा सामाजिक कारकों का योग; अंतर्वैयक्तिक अनुभूति ।

अधिगम, स्मृति, विस्मरण और चिंतन के अध्ययन की प्रायोगिक पद्धतियां—अधिगम और सिद्धान्त—अर्थ का स्वभाव ।

व्यक्तित्व मनोविज्ञान—निर्धारक तत्व, गुण, किस्म, परिमाप, और सिद्धांत, व्यक्तित्व का मूल्यांकन—व्यक्तित्व के आचरणमूलक माप-क्रम निर्धारण-मान, नाम-निर्देशक. तकनीकें, प्रश्नावलियां तथा तालिकाएं, अभिवृत्ति-मान, प्रक्षेपीय परीक्षण ।

व्यक्तिगत भेद—प्रज्ञा और अभिवृत्तियों का स्वभाव ऐवं माप। परीक्षण विन्यास-इकाई विश्लेषण। परीक्षण मान और मानक-मापों की विश्वसनीयता और वैधता-कारक विश्लेषण-सिद्धान्त।

मनोविज्ञान के मत और संहतियां—मनोविज्ञान के परंपरावादी मत और मुख्य समकालीन संहतियां, फ्रायडवादी, नव फ्रायडवादी, नव-आचरणवादी, पूर्णाकार (गेस्टाल्ट) और प्रयोग-क्षेत्रीय सिद्धांत।

13. (क) भारत की संविधान विधि

ऐतिहासिक पृष्ठिभूमि—भारत के संविधान का विकास जिसमें 1861 के इंडियन काउंसिल ऐक्ट से 1950 तक के भारतीय संविधान में प्रतिनिधि तथा उत्तरदायी सरकार के विकास का विशेष रूप से प्रश्न होंगे। सामान्य तत्व : कल्याणकारी राज्य का आदर्श, भारतीय संविधान का प्राकथन तथा राज्य की नीति के मार्ग दर्शन सिद्धान्त, केन्द्रवर्ती तथा संघात्मक शासन पद्धतियों की मान्यताएं, मंत्रिमंडलीय पद्धति, विधिनियम की यथावत पद्धति, न्यायिक पुनरेक्षण, संवैधानिक प्रथाएं, भारतीय संविधान के प्रमुख तत्वों का संयुक्तगण राज्य, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया के संविधानों से तुलना। अधिकारों का विभाजन अधिकारों के पार्थक्य का सिद्धांत।

विधानांग—

विधायी अधिकार, विधानांग के विशेषाधिकार, विधायी अधिकारों का प्रत्यायोजन।

(ख) विधिशास्त्र

विधिशास्त्र—परिभाषा तथा क्षेत्र, विधिशास्त्र के विभिन्न मतवाद। विधिनियम, विधिनियम तथा आदर्श; विधि नियमों का विकास प्राकृतिक नियम राज्य के विधिनियम; विधिनियम की अनुलंघीनीयता का सिद्धान्त; विधिनियम की समाजकतावादी सिद्धांत; विधिनियम के प्रकार; सिविल विधिनियम; दण्ड विधिनियम; स्थायी तथा प्रक्रिया संबंधी विधिनियम व्यक्तिगत विधिनियम तथा सामाजिक विधिनियम; अंतर्राष्ट्रिय विधिनियम; विधिनियम तथा न्याय; विधिनियम तथा समानता; विधिनियम के अनुसार न्याय; न्याय-प्रशासन प्रभुत के बारे में मान्यताएं तथा सिद्धांत।

प्रथा, न्यायिक पूर्व निर्णय, विधान संहिताकरण विधि के तत्व न्यायिक मान्यताओं का विश्लेषण तथा वर्गीकरण; व्यक्तित्व; अधिकार कर्तव्य, स्वतन्त्रता, शक्ति, उन्मुक्ति; अयोग्यता, स्तर, कब्जा, स्वामित्व; पट्टा, न्यास, सुविधाधिकार सुरक्षा हानि, उत्तरदायित्व, दायित्व; अधिनियम, नीयत, उद्देश्य, लापरवाही; स्वत्व, चिरभोगाधिकार, उत्तराधिकार तथा वसीयतें। विधिनियम संबंधी मान्यताओं का विकास : संविदा का विकास, जिम्मा, अपराध, सम्पति तथा वसीयत, न्यायिक विचाराधारा में वर्तमान विचारधारा।

14. (क) अरबी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्ययुगीन सभ्यता (570 ई० 1650 ई०)

इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवारों के भूगोल, इतिहास और सामाजिक राजनीतिक तथा धार्मिक क्रम-विकास और प्रगति विषयक ज्ञान की जांच की जायेगी।

(ख) फारसी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्ययुगीन सभ्यता (570 ई० 1650 ई०)

इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवारों के भूगोल, इतिहास और सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक क्रम-विकास और प्रगति विषयक ज्ञान की जांच की जायेगी।

(ग) प्राचीन भारतीय सभ्यता और दर्शन शास्त्र

2000 ई० पू० से 1200 ई० तक भारतीय सभ्यता, दर्शन और विचारा धारा का इतिहास।

टिप्पण—इस प्रश्नपत्र में उम्मीदवारों के भूगोल, इतिहास और सामाजिक राजनीतिक तथा धार्मिक क्रम-विकास और प्रगति विषयक ज्ञान की परीक्षा की जायगी। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जिनमें पुरातत्व संबंधी खोजों की जानकारी अपेक्षित हो।

15. मानव विज्ञान

(क) **भौतिक मानव विज्ञान**—इसकी परिभाषा और क्षेत्र। भौतिक मानव-विज्ञान का अन्य विज्ञानों से संबंध। मानवजाति का क्रम विकास, वानरगणों में मानव का स्थान—उसका पैरेनिथैकस से लगाकर आस्ट्रा लाइथैकस तक प्रीब्यू मैन तथा प्रोटोलूमैन जातियों से संबंध-पैलैआन्थ्रामिक मानव-पिथहेन्थ्रोपस। सिनैन्थ्रोपस तथा नीऐंडर्थल। नीन्थ्रोपिक। मानव—क्रोमैगनन, ग्रिमाल्डी तथा चान्सेलेड-होमसेपिअन्स।

मानव में जातिगत अन्तर तथा जातीय वर्गीकरण-शरीर रचना सम्बन्धी, रक्त वर्गीय तथा आनुवंशिक। जातियों के निर्माण में आनुवंशिकता तथा परिवेश का प्रभाव। मानव की उत्पत्ति के सिद्धान्त—मेंडेलियन नियम जैसे कि वे मानव पर लागू होते हैं।

मानव का शरीर विज्ञान—आहार-पोषण, अन्त; प्रजमन तथा वर्ण-संकरीकरण के प्रभाव पाषाण काल से सिंधुघाटी सभ्यता तथा मध्य और दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृतियों तक भारत में मानव के प्रसार का इतिहास। जातीय वर्ग और भारत में उनका वितरण।

(ख) **सामाजिक (सांस्कृतिक) मानव विज्ञान**—क्षेत्र तथा कार्य। समाज शास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान तथा पुरातत्वशास्त्र से संबंध। सांस्कृतिक, मानव-विज्ञान के विभिन्न मत—विकासवादी, ऐतिहासिक, कार्यात्मक और सांस्कृतिक। मानव समाज का गठन तथा विकास।

आर्थिक संगठन—प्रारम्भिक शिकार तथा खाद्य-संग्रह की अवस्था, पशु-पालन, कृषि, परवर्ती कृषि, सघन कृषि, औजारों का प्रयोग।

राजनैतिक संगठन—दल, जनजातियां तथा दुहरा संगठन, जनजाति-परिषदें, मुखियों के कार्य।

सामाजिक संगठन;—विवाह तथा पारिवारिक रचना के प्रकार, मातृसत्ताक, पितृसत्ताक, बहुपतित्व, पतित्व, बहिजातीय विवाह तथा संगोत्रविवाह, स्त्रियों की स्थिति, दायित्व तथा तलाक।

आद्य धर्म—टोटमपाद, निषेध, गर्भाधात के अधिकार, नर-हत्या तथा नर-बलि।

कला, संगीत, लोक नृत्य तथा खेलकूद । दलगत संबंध, विवाह निर्णय, न्याय तथा दण्ड-संबंधी मान्यताएं ।

बौद्धिक विकास का स्तर, विशष रुचियां और योग्यताएं, आदि मानव के आचरण और प्रान्तपालों के केन्द्रीयतावाद की पृष्ठ भूमि में भावात्मक आवश्यकताएं ।

व्यक्तित्व का निर्माण तथा व्यक्तित्व और आदिम समाज में उसके योगदान का विकास ।

आदिम जातियों का संस्कार तथा सम्पर्क का उन पर प्रभाव बस्तियों का उजड़ना और उसके कारण । आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक कुण्ठन । अमरीका, अफ्रीका तथा ओशियाना में आदिम जनजातियों का ह्रास । भारतीय जनजातियों में जनसंख्या का ह्रास तथा उसको रोकने के उपाय ।

(ग) जातित्व के आधार पर भारतीय जनजातियों में से किसी एक का गहन अध्ययन

1. भारत की उत्तर-पूर्वी सीमान्त वासी आदिम जनजातियां ।
2. नागा पहाड़ियों—तैवान सांग क्षेत्र की जनजातियां ।
3. आसाम की स्वायत्ता प्राप्त जनजातियां—खासिया, गारो, मिकिर तथा लुशाई ।
4. छोटा नागपुर तथा मध्य भारत की आष्टिक जनजातियां ।
5. दक्षिण भारत की, नीलगिरि पर्वत निवासी जनजातियों सहित, जनजातियां ।
6. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां ।

टिप्पणी—उम्मीदवारों को भाग (ग) तथा (क) अथवा (ख) में से पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देना होगा ।

16. उच्च समाजशास्त्र

समाज शास्त्रीय गवेषणा का स्वरूप, समाजशास्त्र और विज्ञान; समाज और व्यक्ति; मानस समूह—उनकी प्रकृति, प्रकार, रचना और कार्य; परिवार और सगोत्रता; संस्कृति और सांस्कृतिक लक्षण; संस्कृति और व्यक्तित्व; समाज में संस्कृति की भूमिका; समाजीकरण और सामाजिक विचलन; समाज व्यवस्था; सामाजिक स्तरीकरण—जाति और वर्ग; संस्थाएं और समितियां; सामाजिक प्रक्रियाएं; सामाजिक नियंत्रण—लोकमत, धर्म, धर्म और नैतिकता, कानून और शिक्षा; सामाजिक परिवर्तन; सामाजिक विकास; संस्कृति-करण; सामाजिक एकीकरण ।

भीड़, लोकमत, प्रचार, संपर्क और नेतृत्व ।

भारतीय सामाजिक पद्धतियों की सामाजिक सत्कपनाएं; भारतीय सामाजिक चिंतन का विकास (मनु, बुद्ध और गांधी के विशेष संदर्भ सहित) ।

सामाजिक सिद्धांतों की नवीनतम प्रवृत्तियां; रचनामूलक-कार्यमूलक उपागम; ऐतिहासिक उपागम, तुलनात्मक उपागम ।

प्रयुक्त समाजशास्त्र—समाजशास्त्र, सामाजिक नीति और सामाजिक आयोजन; सामाजिक जनांकिकी विकासशील समाजों में आर्थिक विकास के सामाजिक पक्ष; सामुदायिक विकास । सामाजिक अनुसंधान का रीतिविधान; सामाजिक अनुसंधान तथा समाज कल्याण ।

उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाएगी कि वे तथ्यों द्वारा सिद्धांतों का निरूपण करें तथा सिद्धांतों की सहायता से समस्याओं का विश्लेषण करें । उनसे भारतीय समस्याओं की विशेष जानकारी अपेक्षित होगी ।

खण्ड (घ)

[परिशिष्ट 2 की धारा 1 की उप धारा (ख) के अनुसार]

व्यक्तित्व परीक्षा—एक बोर्ड उम्मीदवार का इंटरव्यू लेगा । इस बोर्ड के सामने उम्मीदवार के कैरियर का वृत्त होगा । उससे सामान्य रुचि की बातों पर प्रश्न पूछे जायेंगे । यह इंटरव्यू इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षणों का बोर्ड यह जान सके कि जिस सेवा या सेवाओं के लिये उम्मीदवारों ने आवेदन-पत्र दिया है, उसके/उनके लिये वह व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं । यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जाचने के अभिप्राय से की जाती है । मोटेतौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों का, अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्यांकन करना है । इसमें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहण-शक्ति, स्पष्ट और तर्कसंगत प्रतिपादन करने की शक्ति, सन्तुलित निर्णय की शक्ति, रुचि की विविधता और गहराई, नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी आदि की भी जांच की जाती है ।

2. इंटरव्यू में पूरी तरह से प्रति परीक्षा (Cross Examination) की प्रणाली नहीं अपनाई जाती । उसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से उम्मीदवार के मानसिक गुणों का उद्घाटन करने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु यह वार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है ।

3. व्यक्तित्व परीक्षा उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की जांच करने के प्रयोजन से नहीं की जाती, क्योंकि इसकी जांच तो लिखित प्रश्न पत्रों में पहले ही हो जाती है । उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही समझ-बूझ के साथ रुचि न लें, परन्तु वे उन घटनाओं में भी, जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही हैं, तथा आधुनिक विचारधाराओं में और उन नई खोजों में भी रुचि ले जो कि एक सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा उत्पन्न करती है ।

परिशिष्ट III

इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त ब्यौरा —

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा—(क) नियुक्तियां परख पर की जाएंगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीदवार को परख की अवधि म, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित

रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य-कुशल होने की सभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति कसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी, ऊपर खण्ड (ख) और (ग) के अन्तर्गत, सकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत, भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती है।

(च) वेतनमान—

जूनियर—रु० 400–400–500–40–700–कु०रो०–30–1000 (18 वर्ष)।

सीनियर—

(i) समय-मान–रु० 900 (छठे या पहले)–50–1000–60–1600–50–1800 (22 वर्ष)।

(ii) सलेक्शन ग्रेड—1800–100–2000।

इनके अतिरिक्त अधिसमय-मान पद भी होते हैं जिनका वेतन रु० 2150/– से रु० 3500/– तक होता है और जिन पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है।

महंगाई भत्ता समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मिलेगा।

परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर समय में प्रारम्भ होगी और उन्हें परख पर बताई गई अवधि को समय-मान में वेतन-वृद्धि छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी।

(छ) **भविष्य निधि**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं।

(ज) छुट्टी—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं।

(झ) **डाक्टरी परिचर्या**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा (डाक्टरी परिचर्या) नियमावली, 1954 के अन्तर्गत अनुमत्य डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं पाने का हक है।

(ञ) **सेवा निवृत्त लाभ**—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-व-सेवा-निवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 द्वारा शासित होते हैं।

2. **भारतीय विदेश सेवा**—(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि आम तौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सफल उम्मीदवारों को भारत में लगभग 21 मास तक प्रशिक्षण लेना होगा। इसके बाद उन्हें तृतीय सचिव या उप-कोंसुल बनाकर उन भारतीय मिशनों में भेज दिया जाएगा। जिनकी भाषाएं उनके लिए अनिवार्य भाषाओं के रूप में नियत की गई हों। प्रशिक्षण की अवधि में परखाधीन अधिकारियों को एक या अधिक विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी, इसके बाद ही वे सेवा में पक्के हो सकेंगे।

(ख) सरकार के लिए संतोषजनक रूप से परख-अवधि के समाप्त होने और निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर ही परखाधीन अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का किया जाएगा। परन्तु यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे सेवा-मुक्त कर सकती है या परख अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है या यदि उसका कोई मूल पद (सब्स्टेंटिव पोस्ट) हो तो उस पर वापस भेज सकती है।

(ग) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके विदेश सेवा के लिए उपयुक्त होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है या यदि उसका कोई मूल पद हो तो उसे उस पर वापस भेज सकती है।

(घ) वेतन-मान—

जूनियर—रु० 400–400–500–40–700–कु० रो०–30–1000।

सीनियर—रु० 900-(छठे वर्ष या पहले) —50–1000–60–1600–50–1800।

इनके अतिरिक्त अधिसमय-मान पद भी होते हैं जिनका वेतन रु० 1800/- से रु० 3500/- तक होता है और जिन पर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है।

(ङ) परख अवधि में परखाधीन अधिकारी को इस प्रकार वेतन मिलेगा :—

पहले वर्ष—रु० 400 प्रति मास।

दूसरे वर्ष—रु० 400 प्रति मास।

तीसरे वर्ष—रु० 500 प्रति मास।

टिप्पणी 1.—परखाधीन अधिकारी को परख पर बिताई गई अवधि, समय-मान, में वेतन वृद्धि, छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी।

टिप्पणी 2.—परखाधीन अधिकारी को परख-अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जब कि वह निर्धारित परिक्षाएं (यदि कोई हों) पास कर लेगा और सरकार को संतोषप्रद प्रगति करके दिखाएगा। विभागीय परीक्षाएं पास करके अग्रिम वेतन-वृद्धियां भी अर्जित की जा सकती हैं।

टिप्पणी 3.—परिवीक्षाधीन के तौर पर नियुक्ति से पूर्व सावधि पद के अतिरिक्त मूल रूप से स्थायी पद पर रहने वाले

सरकारी कर्मचारी का वेतन एफ० आर० 22-बी(1) के अधीन दिया जाएगा।

(च) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(छ) विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को उनकी हैसियत (Status) के अनुसार विदेश-भत्ते मिलेंगे जिससे कि वे नौकर-चाकरों और जीवन-निर्वाह के बढ़े हुए खर्च को पूरा कर सकें और आतिथ्य (इन्टरटैनमैन्ट) संबंधी अपनी विशेष जिम्मेदारियों को भी निभा सकें। इसके अतिरिक्त, विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को निम्नलिखित रिआयतें भी मिलेंगी :—

(i) हैसियत के अनुसार मुफ्त सुसज्जित मकान।

(ii) सहायता प्राप्त डाक्टरी परिचर्या योजना (Assisted Medical Attendance Scheme) के अन्तर्गत डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं।

(iii) भारत आने के लिए वापसी हवाई यात्रा का किराया, जो अधिक से अधिक दो बार और विशेष आपाती स्थितियों (emergencies) में ही दिया जाएगा, जैसे—भारत में स्थित किसी निकटतम संबंधी की मृत्यु या सख्त बीमारी अथवा पुत्री का विवाह।

(iv) भारत में पढ़ने वाले 8 से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए वर्ष में एक बार वापसी हवाई यात्रा का किराया, ताकि वे लम्बी छुट्टियों में माता-पिता से मिल सकें। परन्तु इस रियायत पर कुछ शर्तें लागू होंगी।

(v) 5 से 18 वर्ष तक की आयु वाले अधिक से अधिक दो बच्चों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर, शिक्षा-भत्ता।

(vi) विदेश में प्रशिक्षण के लिए जाते समय और सेवा में पक्का होने पर सज्जा-भत्ता (Out fit Allowance) अधिकारी के सेवा काल की विभिन्न अवस्थाओं में भी निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाता है। साधारण सज्जा-भत्ते के अतिरिक्त, विशेष सज्जा-भत्ता भी उन अधिकारियों को दिया जा सकता है जिन्हें असाधारण रूप से कठोर जलवायु वाले देशों में तैनात किया जाए।

(vii) विदेश में कम से कम दो वर्ष सेवा करने के बाद, अधिकारियों, उनके परिवारों और नौकरों के लिए छुट्टी पर घर जाने का किराया।

(ज) समय-समय पर संशोधित पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली, 1933 कुछ तरमीमों के साथ, इस सेवा के सदस्यों पर लागू होगी। विदेश में की गई सेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को, भारतीय विदेश सेवा (PLCA) नियमावली, 1961 के अन्तर्गत अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी, जो पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली के अन्तर्गत मिलने वाली छुट्टी के 50 प्रतिशत तक होंगी।

(झ) **भविष्य निधि**—भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960 द्वारा शासित होते हैं।

(ञ) **सेवानिवृत्ति लाभ**—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी उदारीकृत (Liberalised) पेंशन नियमावली, 1950 द्वारा शासित होते हैं।

(ट) भारत में रहते समय, अधिकारियों को वे ही रियायतें मिलेंगी जो उनके समकक्ष या समान हैसियत (Status) वाले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है।

3. **भारतीय पुलिस सेवा**—(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा। सफल उम्मीदवारों को परख की अवधि में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख)
(ग) } जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड (ख)
(घ) (ग) और (घ) में दिया गया है।

(ङ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत, भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(च) **वेतन मान** :—

जूनियर—रु० 400—400—450—30—600—35—670—कु० रो०—35—950 (18 वर्ष)।

सीनियर—रु० 740 (छठे वर्ष या पहले)—40—1100—50/2—1250—50—1300 (22 वर्ष)

सलेक्शन ग्रेड—रु० 1400

पुलिस उप महा निरीक्षक—रु० 1600—100—1800।

पुलिस कमिश्नर, कलकत्ता और बम्बई—रु० 1800—100—2000।

पुलिस महा निरीक्षक—रु० 2500—125/2—2750।

निदेशक, खुफिया ब्यूरो—रु० 3000।

महंगाई भत्ता समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मिलेगा।

(छ)
(ज) } जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड (छ)
(झ) (ज), (झ) और (ञ) में दिया गया है।
(ञ)

4. **दिल्ली हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, श्रेणी 2**

(क) नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी जो सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती हैं। परख पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अपनी परख-अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में पक्का कर दिया जाएगा। यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा के अधिकारी को दिल्ली-प्रशासन, हिमाचल प्रदेश या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की सरकार के अन्तर्गत सेवा करनी होगी। उससे भारत सरकार के किसी पुलिस-खुफिया विभाग में भी सेवा ली जा सकती है।

(ङ) **वेतनमान** :—

ग्रेड I (सिलैक्सन ग्रेड)—1000 रु० स्थिर।

ग्रेड II—समय मान—350-25-500-30-590-द०अ०-30-800 रु०।

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किया जाने वाला व्यक्ति ग्रेड II का न्यूनतम वेतन मान प्राप्त करना शुरू करेगा।

भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अनुसार सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों पर पदोन्नति के हकदार होंगे।

(च) सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हक होगा।

(छ) महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन के अतिरिक्त, इस सेवा के अधिकारियों को, प्रतिकर (नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहन-सहन के बढ़े खर्च को पूरा करने के लिये अन्य भत्ते दिये जायेंगे, यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिये ऐसे स्थानों पर भेजा जायेगा और उन स्थानों के लिये ये भत्ते अनुमत्य होंगे।

(ज) इस सेवा के अधिकारी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियमावली, 1965 और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा बनाये जाने वाले अन्य विनिमय लागू होंगे। जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिये गये आदेशों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले तदनुरूप (corresponding) अधिकारियों पर लागू होते हैं।

5. मणिपुर पुलिस सेवा, क्लास II

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जायेंगी तथा परिवीक्षा की अवधि समक्ष प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा। परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रगट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की सम्भावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जायेगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में स्थायी कर दिया जायेगा। यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा।

(ङ) वेतन मान—रु० 300-25-450-द०रो०-30-600-द० रो०-30-900।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरती किये गये व्यक्ति का वेतन इस सेवा के वेतनमान के न्यूनतम से प्रारम्भ होगा।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर मणिपुर पुलिस सेवा नियमावली, 1965 तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिये बनाये गये अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किये गये आदेश लागू होंगे।

6. त्रिपुरा पुलिस सेवा, क्लास II

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जायेंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहें तो बढ़ा भी सकेगा। परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की सम्भावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जायेगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में स्थायी कर दिया जायेगा। यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है, अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा।

(ङ) **वेतन-मान**—रु० 300–30–510–द० रो०–30–750–द० रो०–30–900।

प्रतियोगता परीक्षा के आधार पर भरती किये गये व्यक्ति का वेतन इस सेवा के वेतनमान के न्यूनतम से प्रारंभ होगा।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर त्रिपुरा पुलिस सेवा नियमावली, 1967, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिये बनाये गये अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किये गये आदेश लागू होंगे।

7. केन्द्रीय सूचना सेवा ग्रेड II (श्रेणी 1)—

(क) केन्द्रीय सूचना सेवा के पद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम-संगठनों (Media Organisation) में भारत भर में है। इन पदों के लिये पत्रकारिता और ऐसी ही अन्य व्यावसायिक योग्यता तथा किसी समाचार-पत्र या समाचार-एजेन्सी या प्रकाशन संस्था के कार्य का अनुभव होना जरूरी है। यह सेवा पहली मार्च, 1960 को बनाई गई थी।

(ख) इस सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं :—

ग्रेड (1)	वेतनमान (2)
श्रेणी 1	
स्लैक्शन ग्रेड	रु० 2500 (नियत)
सीनियर प्रशासनिक ग्रेड	
(सीनियर मान)	रु० 1800–100-2000
(जूनियर मान)	रु० 1600-100-1800
जूनियर प्रशासनिक ग्रेड	
(सीनियर मान)	रु० 1300-60-1600
(जूनियर मान)	रु० 1100-50-1400
ग्रेड I	रु० 700-40-1100-50/2-1250।
ग्रेड II	रु० 400-400-450-30-600-35-670 कु० रो०-35-950।
श्रेणी 2 (राजपत्रित)	
ग्रेड III	रु० 350-25-500-30-590-कु०रो०-30-800
श्रेणी 2 (राजपत्रित)	
ग्रेड IV	रु० 270-10-290-15-410-कु० रो०-15-485।

(ग) सेवा के निम्नलिखित ग्रेडों में सीधी भर्ती नीचे स्पष्ट की की गई प्रतिशतता के अनुसार की जाती है :—

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (कनिष्ठ वेतनक्रम)		12½%
ग्रेड I		25%
ग्रेड II	स्थायी पदों का	50%
ग्रेड IV		100%

ग्रेड III की रिक्तियां निम्नलिखित आधार पर बराबर के अनुपात में चयन द्वारा भरी जाती हैं :—

(i) विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश, और

(ii) ग्रेड IV की किसी ड्यूटी पोस्ट अथवा अन्य किसी उच्चतर पद में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाले अधिकारियों की विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा।

ग्रड II की 50% स्थायी तथा समस्त अस्थायी रिक्तियां, ग्रेड I की 75% रिक्तियों और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (कनिष्ठ वेतनक्रम) की 87½% रिक्तियां तुरन्त नीचे के ग्रेड में ड्यूटी पोस्टों पर नियुक्त अधिकारियों में से चयन द्वारा पदोन्नति के आधार पर भरी जाती हैं।

सिलैक्शन ग्रेड, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वरिष्ठ वेतनक्रम), तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (कनिष्ठ वेतनक्रम) और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वरिष्ठ वेतन क्रम) की रिक्तियां सम्बन्धित ग्रेड से तुरन्त नीचे के ग्रेड में ड्यूटी पोस्टों पर नियुक्त अधिकारियों में से चयन द्वारा भरी जाती हैं। यदि ऐसी पदोन्नति के लिये कोई उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं होता तो सलैक्शन ग्रेड तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड की ऐसी रिक्तियों में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियुक्ति की जायेगी। कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वरिष्ठ वेतनक्रम) की रिक्तियां उक्त ग्रेड के कनिष्ठ वेतन क्रम में ड्यूटी पोस्टों पर नियुक्त अधिकारियों में से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर भरी जायेंगी।

सरकार किसी भी ग्रेड में उस ग्रेड की संख्या के अधिक से अधिक 10% तक संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, ऐसी निश्चित की गई अवधि के लिये जो 5 वर्ष से अधिक न होगी, राज्यों के प्रकार संगठनों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भर सकती है। पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या निर्धारित करते समय इस प्रकार भरे गये पदों को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) (i) ग्रेड II में सीधी भर्ती किये गये उम्मीदवार दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा काल में उन्हें भारतीय लोक संचार संस्थान (इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मास कम्युनिकेशन) किसी समाचार-पत्र अथवा समाचार एजेंसी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एककों में और राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण दिया जायगा। प्रशिक्षण की कुल अवधि लगभग 15 मास होगी। प्रशिक्षण की अवधि तथा स्वरूप में सरकार परिवर्तन कर सकती है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की "पाठ्य-क्रम संपूर्ति परीक्षा" (एंड आफ-द-कोर्स-टैस्ट) भारतीय लोक संचार संस्थान की प्रथम और द्वितीय विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा में भाषा-ज्ञान की परीक्षा भी सम्मिलित रहेगी। विभागीय परीक्षा में असफल होने पर उम्मीदवार को सेवा मुक्त किया जा सकता है अथवा उस स्थायी पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है जिस पर उसकी पदधारिता हो।

(ii) परख अवधि की समाप्ति पर, यदि स्थायी पद उपलब्ध हो तो सरकार सीधे भर्ती होने वाले अधिकारियों को, वर्तमान नियमों के अनुसार, उनकी नियुक्ति में पक्का कर सकती है। यदि परखाधीन अधिकारी का कार्य और आचरण संतोषजनक न रहा तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है या परख की अवधि उतने समय के लिये बढ़ायी जा सकती है जितना कि सरकार ठीक समझे। यदि उसका कार्य और आचरण से उसके कार्य कुशल होने की संभावना न हो तो उसे तत्काल सेवा मुक्त किया जा सकता है।

(iii) परिवीक्षाधीनों को प्रारम्भ में ग्रेड II के वेतनमान में न्यूनतम वेतन मिलेगा। प्रथम विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद परिवीक्षाधीनों का वेतन बढ़ा कर केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड II के वेतनक्रम में रु० 450 कर दिया जायेगा। द्वितीय विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर उसका वेतन रु० 480 से अधिक वृद्धि तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि वह अपनी सेवा के 4 वर्ष पूरे नहीं कर लेता अथवा अन्य आवश्यक समझी गई शर्तों को पूरा नहीं कर लेता। यदि कोई परिवीक्षाधीन राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की "पाठ्यक्रम-संपूर्ति-परीक्षा" में उत्तीर्ण नहीं हुआ तो उसकी प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि को, जिस तारीख को यह मिली होती उससे एक वर्ष के लिये अथवा विभागीय विनियमों के अधीन दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि अर्जित होने की तारीख तक, दोनों में से जो भी पहले हो, रोक दिया जायेगा।

(iv) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा।"

(ङ) सरकार इस सेवा के किसी भी सदस्य को किसी विशिष्ट अवधि तक, संघ राज्य क्षेत्र के प्रचार संगठन में किसी पद पर रख सकती है।

(च) सरकार किसी अधिकारी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत किसी भी संगठन में किसी क्षेत्रीय पद पर रख सकती है।

(छ) जहां तक छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों को श्रेणी I और श्रेणी II के अन्य अधिकारियों के समान समझा जायेगा।

परिवीक्षाधीनों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि उनकी नियुक्ति केन्द्रीय सूचना सेवा के गठन में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझकर किये जानेवाले प्रत्येक परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा।

8. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा

9. भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा

10. भारतीय रक्षा लेखा सेवा

(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी। परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है यदि परखाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके, अपने आपको पक्का किये जाने (Confirmation) के योग्य सिद्ध न किया हो। यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जायेगी।

(ख) यदि, यथा-स्थिति, सरकार या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राय में, परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुये उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, यथास्थिति, सरकार या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है/सकता है या यदि यथास्थिति, सरकार या नियंत्रक और महा-लेखा-परीक्षक की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती/सकता है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती/सकता है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में, पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(घ) लेखा परीक्षा के लेखा सेवा में अलग किये जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुये, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकते हैं और

कोई उम्मीदवार जो इस सेवा के लिये चुना जाय इस परिवर्तन से होने वाले परिणाम के आधार पर कोई दावा नहीं करेगा और उसे अलग किये गये केन्द्रीय और राज्य सरकार और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षा कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत अलग किये गये लेखा कार्यालयों के संवर्ग में अन्तिम रूप से रहना पड़ेगा।

(ङ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र-सेवा (फील्ड-सर्विस) पर भारत में या भारत से बाहर भी भेजा जा सकता है।

(च) वेतन-मान--

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा--

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा का समय-मान--

रु० 400-400-450-30-510-द० रो०-700-40-1100-50-2-1250।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड--रु० 1300-60-1600।

महालेखापाल--रु० 1800-100-2000-125-2250।

नोट 1--परखाधीन अधिकारियों की सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के समय-मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, उनकी सेवा कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जायेगी।

नोट 2--परखाधीन अधिकारियों को 400 रु० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वे समय-समय पर विहित नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेंगे।

नोट 3--परखाधीन अधिकारियों की सेवा, ग्रेड II के समय-मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी। यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो उसकी रु 450 तक ले जाने वाली वेतन-वृद्धि एक साल के लिये उसकी वेतन-वृद्धि की तारीख स्थगित कर दी जायेगी अथवा विभागीय नियमों के अनुसार उसकी दूसरी वेतन-वृद्धि जब पड़ने वाली हो और इन दोनों में से जो पहले पड़े तब तक वेतन-वृद्धि स्थगित रहेगी।

नोट 4--जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा।

भारतीय सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा

अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, क्लास-I, सहायक कलक्टर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सहायक कलक्टर, सीमाशुल्क।	रु० 400-400-450-30-510-द० रो०-700-40-1100-50/2-1250।
डिप्टी कलक्टर, सीमा-शुल्क डिप्टी कलक्टर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अतिरिक्त कलक्टर अपिलेट कलक्टर।	रु० 1100-50-1300-60-1600।
कलक्टर, सीमा-शुल्क कलक्टर, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	रु० 1800-100-2000-125-2250।

(क) नियुक्तियां 2 वर्ष के लिये परिवीक्षा के आधार पर की जायेंगी, किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करके स्थायीकरण का हकदार नहीं हो जाता तो उक्त अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। तीन वर्ष की अवधि में विभागीय प्रतियोगिताओं को उत्तीर्ण न कर लेने पर नियुक्ति रद्द भी की जा सकती है।

(ख) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य अथवा आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उसके सक्षम अधिकारी बनने की संभावना नहीं है तो सरकार उसे तुरन्त सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर सरकार उसकी नियुक्ति को स्थायी कर सकती है अथवा यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो सरकार या तो उसे सेवामुक्त कर सकती है अथवा उसके परिवीक्षाकाल में अपनी इच्छानुसार वृद्धि कर सकती है किन्तु अस्थायी रिक्तियों पर नियुक्ति किये जाने पर स्थायीकरण सम्बन्धी उसका कोई दावा नहीं स्वीकार किया जायेगा।

(घ) भारतीय सीमा-शुल्क तथा उत्पादन शुल्क सेवा, क्लास-I के अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी होगी तथा भारत में ही 'फील्ड सर्विस' भी करनी होगी।

नोट 1--एक परिवीक्षाधीन अधिकारी को प्रारम्भ में रु० 400-400-450-30-510-द० रो०-700-40-1100-50/2-1250 के समय वेतन में न्यूनतम वेतन मिलेगा तथा वार्षिक वृद्धि के लिये अपने सेवा-काल को वह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मानेगा।

नोट 2--परिवीक्षाधीन अधिकारी को समय-वेतनमान में रु० 400 से अधिक वेतन तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह, समय-समय पर निर्धारित किये जानेवाले नियमों के अनुसार निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर लेता/लेती।

नोट 3--जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन कर सेवा, श्रेणी 1 में नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सावधिक

पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22-ख(1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा।

नोट 4—परिवीक्षा की अवधि मे अधिकारी को विभागीय प्रशिक्षण के लिये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग सीमा-शुल्क विभाग मादक पदार्थ (नारकोटिक्स) विभाग में तथा बुनियादी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण (फाउंडेशन कोर्स ट्रेनिंग) के लिये राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में नियुक्त किया जायेगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त कर लेने पर उसे "पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा" उत्तीर्ण करनी होगी। उसे विभागीय परीक्षा के खण्ड I और खण्ड II में भी सफलता प्राप्त करनी होगी। पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा और विभागीय परीक्षा के किसी एक खण्ड में उत्तीर्ण हो जाने के बाद, उसका वेतन पहली अग्रिम वेतन-वृद्धि देकर, रु० 450 कर दिया जायेगा। विभागीय परीक्षा के दोनों खण्डों में उत्तीर्ण हो जाने पर उसका वेतन दूसरी अग्रिम वेतन वृद्धि देकर रु० 480 कर दिया जायेगा। वेतन मे रु० 480 से अधिक वृद्धि तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि वह अपनी सेवा के चार वर्ष पूरे नहीं कर लेता अथवा अन्य आवश्यक समझी जानेवाली शर्तों को पूरा नहीं कर लेता।

यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी "पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा" उत्तीर्ण नहीं करता तो उसके प्रथम अग्रिम वेतन वृद्धि को, जिस तारीख से वह मिली होती उससे एक वर्ष के लिये अथवा विभागीय विनियमों के अधीन दूसरी अग्रिम वेतन वृद्धि अर्जित होने की तारीख तक, दोनों में से जो भी पहले हो, रोक दिया जायेगा।

नोट 5—परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि उनकी नियुक्ति भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा, क्लास-I के गठन में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझ कर किये जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा :

समय-मान:—

रु० 400—400—450—480—कु० रो०—700—40—1100—1100—1150—1150—1200—1200—1250।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—

रु० 1300—60—1600।

रु० 1600—100—1800 (सलेक्शन ग्रेड)।

सीनियर प्रशासनिक ग्रेड—

रु० 1800—100—2000—125—2250।

रक्षा लेखा महानियंत्रक—रु० 2750 (नियत)।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा, समयमान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन वृद्धि के प्रयोजन से, उनकी कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जायेगी।

जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22—ख(1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को 400 रु० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेंगे; इसके अलावा यदि कोई भी अधिकारी, जो राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा नहीं पास करता उसकी पहली वेतन वृद्धि जो उसे विभागीय परीक्षा का खण्ड पास कर लेने पर प्राप्त होती उसकी तिथि एक वर्ष के लिये स्थगित कर दी जायेगी अथवा खण्ड II पास कर लेने के बाद जो उसे दूसरी वेतन वृद्धि मिलती और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

11. **भारतीय आयकर सेवा, श्रेणी**—I(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी। परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, यदि परखाधीन अधिकारी, निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके अपने आपको पक्का किये जाने (Confirmation) के योग्य सिद्ध न कर सके। यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जायेगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है; परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में, पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(घ) यदि सरकार ने सेवा मे नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हैं तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) वेतनमान :—

आय-कर अधिकारी, श्रेणी-I

रु० 400–400–450–30–510–कु० रो०–700–40–1100–50/2–1250 ।

आयकर सहायक आयुक्त—रु० 1100–50–1300–60–1600 ।

आयकर आयुक्त—रु० 1800–100–2000–125–2250 ।

परखाधीन अवधि में अधिकारी को राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी मसूरी तथा आयकर प्रशिक्षण कालेज नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उसे पाठ्य-क्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी। इसके अतिरिक्त परखाधीन अवधि में विभागीय परीक्षा खण्ड I और खण्ड II भी पास करने होंगे। पाठ्य-क्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा खण्ड I पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर 450 रु० कर दिया जायेगा। विभागीय परीक्षा खण्ड II पास कर लेने पर वेतन बढ़ा कर रु० 480 कर दिया जायेगा। रु० 480 के स्तर के ऊपर वेतन तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि उस अधिकारी की सेवा 4 वर्ष पूरी न हो चुकी हो या दूसरी ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो आवश्यक समझा जाय।

यदि वह एकादमी की पाठ्य-क्रमान्त परीक्षा पास नहीं कर लेता तो एक वर्ष के लिये उसकी वेतन वृद्धि स्थगित कर दी जायेगी अथवा उस तारीख तक जब कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे दूसरी वेतन वृद्धि मिलनेवाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

नोट 1—परखाधीन अधिकारी को 400 रु० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक वह समय-समय पर विहित नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेगा।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को भलीभांति समझ लेना चाहिये कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आय-कर सेवा श्रेणी-I के गठन में किये जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाद भारत सरकार द्वारा किया जायेगा और वे उस प्रकार के परिवर्तनों के फल-स्वरूप प्रतिकार का दावा नहीं कर सकेंगे।

12. भारतीय डाक सेवा

(क) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा जिसकी अवधि, आम तौर पर, दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस अवधि में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी प्रशिक्षणाधीन अधि-कारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परखावधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोष-जनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परखावधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में, पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधि-कारी ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) वेतनमान:—

समय-मान रु० 400–400–450–30–510 कु० रो०–700–40–1100–50/2–1250 ।

(प्रशिक्षणाधीन अधिकारी इस समय-मान में वेतन लेंगे)।

डाक सेवा निदेशक—रु० 1300–60–1600 ।

महापोस्ट मास्टर—रु० 1800–100–2000–125–2250 ।

सदस्य, डाक-तार बोर्ड—रु० 2250–125/2–2750 ।

Senior Members, Posts & Telegraphs Board : Rs. 3000.

(च) भारतीय डाक सेवा श्रेणी I के परखाधीन अधिकारी—रु० 400–400–450–30–480–510–कु० रो०–700–40–1100–50/2–1250 के निश्चित मान में अपना वेतन प्राप्त करेंगे। परखाधीन अवधि में उन्हें विभाग की विभिन्न शाखाओं तथा राष्ट्रीय प्रशास-निक एकादमी, मसूरी के आधारात्मक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी। विभागीय नियमों के अन्तर्गत विहित विभागीय परीक्षाएं भी उन्हें पास करनी होंगी।

पाठ्यक्रमांत परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा पास कर लेने पर उनके वेतन बढ़ा कर रु० 450 कर दिया जायेगा। दो वर्ष की परखाधीन अवधि समाप्त कर लेने और स्थायी किये जाने के बाद उनका वेतन 480 रु० के स्तर पर निश्चित कर दिया जायेगा। समयमान के अन्तर्गत उनकी स्थिति के अनुसार इसके बाद उनका वेतन निश्चित होता रहेगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशास-निक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन-वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिये

स्थगित कर दी जायेगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े, तब तक स्थगित रहेगी ।

(छ) परखाधीन अधिकारियों को यह भलीभांति समझ लेना चाहिये कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक सेवा श्रेणी I, के गठन में किये जानेवाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाद, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकार का दावा नहीं कर सकेंगे । चुने गये उम्मीदवारों को, सरकार के निदेशानुसार, सैन्य डाक सेवा के अन्तर्गत भारत अथवा विदेश में कार्य करना होगा ।

13. भारतीय रेलवे लेखा सेवा

(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी । इस अवधि में दोनों में से किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी । परख-अवधि बढ़ाई जा सकेगी, यदि परखाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके अपने आपको पक्का करने के योग्य सिद्ध नहीं करेगा ।

सरकार ऐसे परखाधीन अधिकारी की नियुक्ति खत्म कर सकती है जो अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर सभी विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेता ।

(ख) भारतीय रेलवे लेखा सेवा के परखाधीन अधिकारियों को भी रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा में प्रशिक्षण लेना होगा और कालेज प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित परीक्षा पास करनी होगी । इस कालेज में परीक्षा देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अवसर तभी मिल सकता है जबकि अपवादिक परिस्थितियां हों और अधिकारी का कार्य ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती हो । हालांकि, दो वर्ष का प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा करने पर, उन्हें किसी कार्यकारी पद (Working Post) पर लगाया जा सकता है परन्तु उन्हें तब तक पक्का नहीं किया जाता जब तक कि वे रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा, की परीक्षा और ऊंची तथा नीची विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेते ।

(ग) परखाधीन अधिकारियों को देवनागरी लिपि में हिन्दी की अनुमोदित स्तर की एक परीक्षा पहले ही या परख-अवधि में पास कर लेनी चाहिये । यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली, द्वारा संचालित 'प्रवीण' हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो । किसी भी परखाधीन अधिकारी को तब तक पक्का नहीं किया जा सकता या उस का वेतन 450 रु० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह यह परीक्षा पास नहीं कर लेता । ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है । इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती ।

(घ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए भारतीय रेलवे लेखा सेवा के अधिकारी (परखाधीन) भी (क) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे, और (ख) समय-समय पर संशोधित राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान रहित) के नियमों के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे ।

(ङ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए अधिकारी भारतीय रेलवे अधिकारियों पर उस समय लागू होने वाले छुट्टी के नियमों के अनुसार छुट्टी पाने के पात्र होंगे । परन्तु वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, छुट्टी के नियमों में परिवर्तन किए जा सकते हैं । उन्हें वर्तमान छुट्टी नियमों को अपनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि सरकार ऐसा निर्णय करेगी ।

(च) यदि किसी ऐसे कारण से जो कि उसके वश के बाहर न हो, भारतीय रेलवे लेखा सेवा का कोई परखाधीन अधिकारी परख या प्रशिक्षण में ही छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परख-अवधि में उसे दी गई सब रकमें वापस करनी होंगी ।

(छ) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है ।

(ज) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा ।

(झ) वेतनमान:—

(क) जूनियर रु० 400–400–450–30–600–35–670–कु० रो०–35–950 (प्राधिकृत मान) सीनियर रु० 700 [छटे वर्ष या पहले–40–1100–50/2–1250 (प्राधिकृत मान)] जूनियर प्रशासनिक मान रु० 1300–60–1600 (प्राधिकृत मान) ।

सीनियर प्रशासनिक मान रु० 1800–100–2000–125–2250 (प्राधिकृत मान) ।

(ख) यदि परखाधीन अधिकारी अपनी दो वर्ष की परख-अवधि में, निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर सकेगा तो रु० 400 से रु० 450 तक की उसकी वेतनवृद्धि रोक दी जाएगी और परख-अवधि बढ़ा दी जाएगी । जब वह विभागीय

परीक्षाएं पास कर लेगा और उसके बाद जब पक्का कर दिया जाएगा तो अन्तिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने की तारीख के बाद अगले दिन से उसका वेतन समय-मान में उस अवस्था (Stage) पर नियत कर दिया जाएगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उसे वेतन का बकाया नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में, भावी वेतन वृद्धियों की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परख-अवधि में परखाधीन अधिकारी ज्योंही निर्धारित परीक्षाएं पास कर लेगा, त्योंही उसको रु० 400–950 के जूनियर मान में रु० 400 से रु० 450 और रु० 450 से 480 की अग्रिम वृद्धियां मिल सकेंगी। अग्रिम वृद्धियां मिलने के बाद, सेवा के वर्ष को ध्यान में रखते हुए, अधिकारी का वेतन, वेतनमान में उसकी सामान्य स्थिति के अनुसार विनियमित कर दिया जाएगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमांत परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर मान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतनवृद्धि के प्रयोजन से, वह उनकी कार्य-ग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी। परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पास करनी होंगी और उसके बाद ही उनका वेतन समय-मान में रु० 400 प्रतिमास से रु० 450 प्रतिमास किया जा सकेगा।

नोट 2—जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में होंगे, परखाधीन अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति होने पर, उनका वेतन समय-समय पर लागू होने वाले नियमों और विनियमों के अनुसार नियत किया जाएगा।

14 सैनिक भूमि और छावनी सेवा (श्रेणी I और श्रेणी II)

(क) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परख पर रखा जाएगा जिसकी अवधि आमतौर पर 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस अवधि में उसे छावनी और भूमि प्रशासन में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा जिसकी अवधि छः महीने से कम नहीं होगी।

(ख) परख अवधि में उम्मीदवार को निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ग) (i) यदि सरकार की राय में परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे सेवा-मुक्त कर सकती है, परन्तु सेवामुक्ति का आदेश देने से पहले, उसे सेवा-मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जायेगा और लिख कर "कारण बताने" का अवसर भी दिया जायेगा।

(ii) यदि परख अवधि की समाप्ति पर, अधिकारी के ऊपर उप-पैरा (ख) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न की हो तो सरकार अपने निर्णय से या तो उसे सेवा-मुक्त कर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, उसकी परख-अवधि बढ़ानी आवश्यक हो तो वह जितना उचित समझे, परख-अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकती है।

(iii) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है। परन्तु सेवा-मुक्ति का आदेश देने से पहले, अधिकारी को सेवा-मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जायेगा और लिख कर "कारण बताने" का अवसर भी दिया जायेगा।

(घ) यदि ऊपर उप-पैरा (ग) के अन्तर्गत, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो निर्धारित परख-अवधि के बाद की अवधि में अधिकारी की नियुक्ति मास-प्रतिमास मानी जायेगी और दोनों में से किसी भी ओर से एक कलेंडर मास का लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकेगी, परन्तु अधिकारी पक्का करने का दावा नहीं कर सकेगा।

(ङ) इस सेवा के सदस्य को उसकी परख-अवधि में वार्षिक वेतन-वृद्धि देय हो जाने पर भी, तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वह विभागीय परीक्षा पास न कर लेगा। जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली होगी, वह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जायेगी।

(च) यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिये स्थगित कर दी जायेगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतनवृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

(छ) वेतन-मान इस प्रकार है :—

प्रशासनिक पद

(i) निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां।
रु० 1800–100–2000।

(ii) संयुक्त निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां।
रु० 1600–100–1800।

(iii) उपनिदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां।
रु० 1300–60–1600।

(iv) **सहायक निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां**
रु० 1100–50–1400।

श्रेणी-I

(v) उप-सहायक निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां, सैनिक संपदा अधिकारी और कार्य-पालक अधिकारी — रु० 400–400–450–30–510–कु० रो०–700–40–1100–50/2–1250।

श्रेणी-II

(vi) कार्यपालक अधिकारी — रु० 350–25–500–30–590–कु० रो०–30–800–कु० रो०–830–35–900।

(vii) सहायक सैनिक सम्पदा अधिकारी — रु० 350–25–500–30–590–कु० रो०–30–800 कु० रो०–830–35–900।

(ज) (i) श्रेणी I के अधिकारियों को, सामान्यता, उप-सहायक निदेशक, सैनिक सम्पदा अधिकारी, और श्रेणी I और श्रेणी II की उन छावनियों में कार्यपालक अधिकारी के पदों पर नियुक्त किया जायेगा जिन पर छावनी अधिनियम 1924 की धारा-13 की उपधारा—(4) के खण्ड (ङ) का उप खण्ड (i) लागू होता है।

(ii) श्रेणी II के कार्यापालक अधिकारियों को सामान्यतया उन छावनियों में नियुक्त किया जायेगा जो ऊपर (i) में उल्लिखित नहीं हैं।

(झ) (i) सभी पदोन्नतियां, इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के अनुसार, सरकार द्वारा चुन कर (By selection) की जाएंगी [वरीयता (सीनियरिटी) पर तभी विचार किया जायेगा। जबकि दो या अधिक उम्मीदवारों के दावे गुणों की दृष्टि से बराबर होंगे]। श्रेणी-II से श्रेणी-I में पदोन्नति होने पर, वेतन, मूल नियमावली (Fundamental Rules) के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

(ii) साधारणतया, किसी भी अधिकारी को श्रेणी-I में तब तक पदोन्नत नहीं किया जायेगा जब तक कि श्रेणी-II में उसकी तीन वर्ष की सेवा पूरी न हो गई हो।

(ञ) समय-समय पर संशोधित पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली, 1933 लागू होगी।

(ट) इस सेवा का कोई भी सदस्य, सरकार से पहले मंजूरी लिये बिना, कोई भी ऐसा काम अपने जिम्मे नहीं लेगा जो कि उसके सरकारी काम से संबंधित न हो।

(ठ) सैनिक भूमि और छावनी सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी सेवा ली जा सकती है, और उन्हें क्षेत्र-सेवा (Field Service) पर भी भारत के किसी भी भाग में भेजा जा सकता है।

15. भारतीय रेलवे यातायात सेवा

(क) नियुक्ति के लिये चुने गये उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे यातायात सेवा में परखाधीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जायेगा। उनकी परख-अवधि तीन वर्ष की होगी। इस अवधि में, उन्हें पैरा (ङ) में उल्लिखित प्रशिक्षण लेना होगा और कम-से कम एक वर्ष तक किसी कार्यकारी पद पर काम करना होगा। यदि किसी मामले में, संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण पूरा न करने के कारण, प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जायेगी तो उसके अनुसार परख की कुल अवधि भी बढ़ जायेगी।

(ख) यदि किसी ऐसे कारण से, जो कि उसके वश के बाहर न हो, भारतीय रेलवे यातायात सेवा का परखाधीन अधिकारी, परख या प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परख-अवधि में उसे दी गई सब रकमें वापस करनी होंगी।

(ग) इस सेवा में नियुक्तियां परख पर की जायेंगी जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी। इस अवधि में दोनों में से किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी। परखाधीन अधिकारियों को पहले दो वर्ष तक व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। जो अधिकारी इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक समाप्त कर लेंगे और अन्यथा भी उपयुक्त समझे जायेंगे, उन्हें कार्यकारी पद का कार्यभार सौंप दिया जायेगा, यदि उन्होंने निर्धारित विभागीय और अन्य परीक्षायें पास कर ली हों। ध्यान रहे कि ये परीक्षायें नियमतः प्रथम प्रयास में ही पास कर ली जायें क्योंकि विशेष ('एक्सेप्शनल') परिस्थितियों को छोड़, बाकी किसी भी हालत में, दूसरा अवसर नहीं दिया जायेगा। किसी परीक्षा में असफल होने के परिणामस्वरूप, परखाधीन अधिकारी की सेवा समाप्त की जा सकती है और उसकी वेतन-वृद्धि तो हर हालत में रुक ही जायेगी। किसी कार्यकारी पद पर एक वर्ष तक कार्य करने के बाद, परखाधीन अधिकारियों को एक अंतिम परीक्षा पास करनी होगी। यह परीक्षा व्यावहारिक और सैद्धान्तिक दोनों प्रकार की होगी। जब परखाधीन अधिकारी सब तरह से नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझ लिये जायेंगे। तो उन्हें पक्का कर दिया जायेगा। जिन मामलों में किसी कारण से परख-अवधि बढ़ाई गई हो, उनमें विभागीय परीक्षायें पास करने और पक्का होने पर, समय-समय पर लागू होने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार, पहली और बाद की वेतन-वृद्धियां ली जा सकेंगी।

(घ) परखाधीन अधिकारियों को, देवनागरी लिपि में अनुमोदित स्तर की हिंदी की एक परीक्षा पहले ही या परख-अवधि में पास कर लेनी चाहिये। यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली, द्वारा संचालित "प्रवीण" हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो।

किसी भी परखाधीन अधिकारी को तब तक पक्का नहीं किया जा सकता या उसका वेतन 450 रु० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह यह परीक्षा पास नहीं कर लेता। ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है। इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती।

(ङ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी (परखाधीन) भी :—

(क) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे, और

(ख) समय-समय पर संशोधित, राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदानरहित) के नियमों के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे।

(च) कार्यग्रहण की तारीख से ही वेतन प्रारम्भ होगा। वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से भी सेवा उसी तारीख से गिनी जाएगी।

(छ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए अधिकारी, भारतीय रेलवे अधिकारियों पर उस समय लागू होने वाले छुट्टी के नियमों के अनुसार, छुट्टी पाने के पात्र होंगे ।

वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए छुट्टी के नियमों में परिवर्तन किए जा सकते हैं । उन्हें वर्तमान छुट्टी नियमो को अपनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि सरकार ऐसा निश्चय करेगी ।

(ज) अधिकारियों को, आमतौर पर, उनकी सेवा की अवधि पर उसी रेलवे में रखा जाएगा । जिसमें वे सर्वप्रथम नियुक्त कर दिए जाएंगे । और किसी अन्य रेलवे में स्थानान्तरित होने के लिए साधिकार दावा नहीं कर सकेंगे । परन्तु भारत सरकार को यह अधिकार है कि वह उन अधिकारियों को, सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत में या भारत से बाहर किसी परियोजना (Project) या रेलवे में स्थानांतरित कर सके ।

(झ) नियुक्त किये गये अधिकारियों को आपेक्षित वरीयता (रिलेटिव सीनियरिटी) आमतौर पर, उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त हुए योग्यता क्रम (order of merit) के अनुसार निश्चित की जाएगी । यदि प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा न करने के कारण, किसी अधिकारी को प्रशिक्षण अवधि और उसके परिणामस्वरूप परख-अवधि बढ़ानी पड़े तो इससे उसकी वरीयता (सीनियरिटी) भी घट सकेगी । वैसे भारत सरकार को व्यक्तिगत मामलों में अपने निर्णय के अनुसार वरीयता निश्चित करने का अधिकार है । उसको यह भी अधिकार है कि वह प्रतियोगिता परीक्षा से अन्यथा नियुक्त अधिकारियों को, अपने निर्णय के अनुसार वरीयता सूची में कोई भी स्थान दे सकती है ।

(ञ) वेतन मान—

जूनियर—रु० 400–400–450–30–600–35–670–
कु० रो०–35–950 (प्राधिकृत मान) ।

सीनियर—रु० 700 (छठे वर्ष या पहले)—40–1100–
50/2 1250 (प्राधिकृत मान) ।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1300–60–1600
(प्राधिकृत मान) ।

माध्यमिक प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1600–100–1800
(प्राधिकृत मान) ।

सीनियर प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1800–100–2000–
125–2250 (प्राधिकृत मान) ।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, वह उनकी कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जायेगी । परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पास करनी होंगी । और उसके बाद ही उनका वेतन-मान में रु० 400 प्रतिमास से रु० 450 प्रतिमास किया जा सकेगा ।

यदि परखाधीन अधिकारी अपनी परख और प्रशिक्षण की अवधि के पहले दो वर्षों में, विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर सकेगा तो रु० 400 से 450 तक की उसकी वेतन-वृद्धि रोक दी जाएगी और परख-अवधि बढ़ा दी जाएगी । जब वह विभागीय परीक्षाएं पास कर लेगा और उसके बाद जब पक्का हो जाएगा तो अंतिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने की तारीख के बाद अगले दिन से उसका वेतन समय-मान में उस अवस्था पर नियत कर दिया जायेगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उसे वेतन का बकाया नहीं मिलेगा, ऐसे मामलों में, भावी वेतन-वृद्धियों की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

परख-अवधि में, परखाधीन अधिकारी ज्यों ही निर्धारित परीक्षाएं पास कर लेगा, त्यों ही उसको रु० 400 से 950 के जूनियर मान में रु० 400 से रु० 450 और रु० 450 से रु० 480 की अग्रिम वृद्धियां मिल सकेंगी । अग्रिम वृद्धियां मिलने के बाद, सेवा के वर्ष को ध्यान में रखते हुए, अधिकारी को वेतन-मान में उसकी सामान्य स्थिति के अनुसार, विनियमित कर दिया जायेगा ।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहले वेतन-वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी ।

नोट 2—जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में होंगे, परखाधीन अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति होने पर, उनका वेतन समय-समय पर लागू होने वाले नियमों और विनियमों के अनुसार नियत किया जाएगा ।

(ट) वेतन-वृद्धियां केवल अनुमोदित सेवा के लिये ही और विभाग के नियमों के अनुसार ही दी जायेंगी ।

(ठ) प्रशासनिक ग्रेडों में पदोन्नति, स्वीकृत स्थापना (establishment) में खाली जगहें होने पर ही की जायेंगी और पूर्णरूप से चुनाव (selection) के आधार पर ही की जायेंगी । एकमात्र वरीयता के आधार पर ही ऐसा पदोन्नति के लिये दावा नहीं किया जा सकता ।

(ड) भारतीय रेलवे यातायात सेवा के परखाधीन अधिकारियों के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम ।

नोट 1—जिन उम्मीदवारों ने भारत में या और कहीं प्रशिक्षण या अनुभव पहले कभी प्राप्त कर रखा हो, उनके मामले में भारत सरकार को अपने निर्णय के अनुसार प्रशिक्षण-अवधि घटाने का अधिकार है ।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को भी रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा में दो दौर में प्रशिक्षण लेना होगा । इस कालेज में परीक्षा देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अवसर तभी मिल सकता है जबकि आपवादिक परिस्थितियां हों और अधिकारी का कार्य अभिलेख ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती है । परीक्षा में असफल होने पर परखाधीन अधिकारियों की सेवा समाप्त की जा सकेगी, उनके प्रशिक्षण और परख की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ा दी जायेगी और उन्हें किसी भी हालत में तब तक पक्का नहीं किया जायेगा जब तक कि वे परीक्षाएं पास नहीं कर लेंगे ।

नोट 3—नीचे जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया गया है वह मुख्य रूप से मार्ग-दर्शन के प्रयोजन से बनाया गया है। इस में महा-प्रबन्धकों द्वारा अपने निर्णय के अनुसार स्थिति-विशेष को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किये जा सकते हैं, परन्तु, सामान्यतया प्रशिक्षण की कुल अवधि घटाई नहीं जानी चाहिए।

नोट 4—प्रशिक्षण के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारी को गार्ड, यार्ड मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फ़ोरमैन, ट्रेन परीक्षक, सहायक लोको फ़ोरमैन, सहायक नियंत्रक आदि की हैसियत से कार्य करना होगा जिसका विवरण नीचे दिया गया है। प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद जब परिवीक्षाधीन अधिकारी को किसी कार्यकारी पद पर तैनात किया जाता है तो उसे अपना कार्य करने के लिये यात्रा करनी पड़ती है तथा यात्रा के दौरान रास्ते के स्टेशनों पर "पड़ाव" की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। उसे दुर्घटना स्थलों की जांच के लिये किसी भी समय जाना पड़ता है तथा नियंत्रण कार्यालयों (Control Offices) और स्टेशनों का निरीक्षण करना पड़ता है। इस सबके लिए बहुत परिश्रम अपेक्षित होता है तथा रात को भी काम करना पड़ता है।

1. पाठ्यक्रम की अवधि—दो वर्ष

मद	अवधि
1	2
	महीने
1. राष्ट्रीय-प्रशिक्षण अकादमी, मसूरी .	4
2. बड़ौदा स्टाफ कालिज (प्रथम प्रावस्था) .	3
3. क्षेत्रीय स्कूल, रक्षक के कर्तव्य सीखने के लिए	1
4. रक्षक के रूप में कार्य करते हुए .	$\frac{3}{4}$
5. बुकिंग पार्सल आफिस, राउस रोड तथा यानांतरण रोड . .	1
6. यातायात खाते तथा खातों का याजिक निरीक्षक . .	$1\frac{1}{4}$
7. क्षेत्रीय स्कूल में सहायक स्टेशन मास्टर की अर्हता प्राप्त करने के लिए .	1
8. गार्ड मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, गार्ड फोरमैन तथा ट्रेन ऐग्जामिनर के रूप में कार्य . .	3
9. ऐसिस्टेंट लोको फोरमैन के रूप में कार्य .	$1\frac{1}{2}$
10. सहायक नियंत्रक के रूप में कार्य . .	2
11. (क) क्षेत्रीय कार्यालय में प्रशिक्षण .	1
(ख) विद्युत नियंत्रक का प्रशिक्षण .	$\frac{1}{2}$
12. बड़ौदा स्टाफ कालिज (द्वितीय प्रावस्था) .	$1\frac{1}{2}$
13. कार्यालय पूर्वी रेलवे मुख्यालय (संचालन) .	$1\frac{1}{2}$
14. कार्यालय, पूर्वी रेलवे मुख्यालय (वाणिज्य)	$1\frac{1}{2}$
	$23\frac{1}{2}$

1	2
	महीने
प्रशिक्षण की विभिन्न पदों के लिए ज्वाइनिंग टाइम तथा अनिवार्य छुट्टी के लिए सुरक्षित रखी गई समयावधि	$\frac{1}{2}$
	24

टिप्पणी—3 से 11 तक मदें जिन का समय 1 वर्ष होगा आसनसोल डिवीजन में होंगी।

(2) यदि परखाधीन अधिकारी अपने दो वर्ष के प्रशिक्षण के अन्त में परीक्षा पास कर लेगा तो उसे अगले एक वर्ष के लिये किसी कार्यकारी पद का भार परख कर सौंप दिया जायेगा। परीक्षा, आवश्यकता अनुसार, पाठ्यक्रम पूरा होने पर तथा प्रशिक्षण-अवधि में निश्चित समय पर ली जायेगी।

नोट—किसी परखाधीन अधिकारी को, स्वतन्त्र रूप से, गार्ड, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमैन, सहायक लोकोमोटिव फोरमैन या सहायक नियंत्रक का काम सौंपने से पहले यह आवश्यक है कि प्रशासन के किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा उक्त प्रत्येक पद के कार्य के सम्बन्ध में उसकी परीक्षा ली जाए और योग्य घोषित किया जाये।

16. केन्द्रीय सचिवालय, सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड, श्रेणी-II

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं :—

ग्रेड	वेतनमान
सलैक्शन ग्रेड उप-सचिव या समकक्ष	रु० 1100—50—1300—60—1600—100—1800
ग्रेड-I अवर सचिव	रु० 900—50—1200
अनुभाग अधिकारी ग्रेड-I	रु० 350—25—500—30—590—कु० रो०—30—800—कु० रो० 30—830—35—900
सहायक ग्रेड	रु० 210—10—270—15—300—कु०रो०—15—450—कु० रो० 20—530

सलैक्शन ग्रेड और ग्रेड का नियंत्रण अखिल-सचिवालय आधार पर गृह मंत्रालय करता है और अनुभाग अधिकारी/सहायक ग्रेड, मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं।

केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड में ही सीधी भर्ती की जाती है।

(ख) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर रखा जायेगा। इस परख-अवधि में उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी, यदि परखाधीन

अधिकारी प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया जायेगा ।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है ।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी उपर्युक्त खण्डों में वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतया "अनुभागों" का अध्यक्ष बनाया जायेगा और ग्रेड-I के अधिकारियों को, सामान्यतया शाखाओं का कार्यभार सौंपा जायेगा, जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे ।

(च) अनुभाग अधिकारी इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ग्रेड-I में पदोन्नति पा सकेंगे ।

(छ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के अधिकारी, केन्द्रीय सचिवालय में सलैक्शन ग्रेड की सेवा में और अन्य ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे ।

(ज) जहां तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, वे अन्य श्रेणी-I और II के अधिकारियों के समान ही समझे जायेंगे ।

17. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, श्रेणी II

(क) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में निम्नलिखित पद और वेतनमान हैं :—

सेवा	वेतनमान
(i) सहायक निदेशक अवर सचिव	रु० 900—50—1250
(ii) अनुभाग अधिकारी	रु० 350—25—500—30—590—कु० रो०—30—800 कु० रो०—30—830—35—900 ।
(iii) सहायक	रु० 210—10—270—15—300—कु० रो०—15—450 कु० रो०—20—530 ।

अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के पदों पर सीधी भर्ती की जाती है ।

(ख) अनुभाग अधिकारियों के रूप में सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर रखा जायेगा । इस परख अवधि में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । यदि परखाधीन अधिकारी प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया जायेगा ।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है ।

(घ) यदि सरकार ने नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतया अनुभागों का अध्यक्ष बनाया जायेगा और सहायक निदेशक/अवर सचिव को सामान्यतया शाखाओं का कार्यभार सौंपा जायेगा जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे ।

(च) अनुभाग अधिकारी, इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार, सहायक निदेशक अवर सचिव के रूप में पदोन्नति पा सकेंगे ।

(छ) सहायक निदेशक/अवर सचिव रेलवे बोर्ड सचिवालय में ऊंचे पदों पर नियुक्ति पाने के लिये पात्र होंगे ।

(ज) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, रेलवे मंत्रालय तक ही सीमित है और इसके अधिकारी अन्य मंत्रालय को स्थानान्तरित नहीं किये जा सकते जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी किये जा सकते हैं ।

(झ) रेलवे मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों को, रेलवे अधिकारियों के समान ही, पास और सुविधा टिकट आदेश (Privilege Ticket Orders) लेने की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(ञ) इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती किये गये रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारी (परखाधीन अधिकारी भी)

(क) रेलवे पेंशन रूल से अधिशासित होंगे, और

(ख) समय-समय पर संशोधित राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान-रहित) के नियमों के अन्तर्गत, इस निधि में अभिदान कर सकेंगे ।

(ट) जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों को रेलवे के श्रेणी I और II के अन्य अधिकारियों के समान समझा जायेगा परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामलों में, वे उन नियमों से शासित होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उन अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में हैं ।

18. सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा प्रधीक्षक ग्रेड श्रेणी II

(क) सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा में फिलहाल निम्नलिखित ग्रेड हैं :—

ग्रेड	वेतनमान
वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी	1100—50—1400 रु०
सिविलियन स्टाफ अधिकारी	740—30—800—50—1150 रु० ।

ग्रेड	वेतनमान
अधीक्षक ग्रेड	350–25–500 –30–590–द० अ० –30–800 रु०
सहायक ग्रेड	210–10–270–15–300 द० अ०–15–450–द० अ०–20–530 ।

उपरोक्त सेवा सशस्त्र सेवा मुख्यालय तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तरसेवा संगठनों के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति करती है।

सीधी भर्ती केवल अधीक्षक ग्रेड तथा सहायक ग्रेड में ही की जाती हैं।

(ख) सीधी भर्ती वाले व्यक्ति अधीक्षक ग्रेड पर 2 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। इस अवधि में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ सकता है अथवा परीक्षाएं पास करनी पड़ सकती हैं। प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न होने अथवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण न हो पाने के फलस्वरूप परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से निकाल दिया जायेगा।

(ग) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार चाहे तो सम्बन्धित अधिकारी को उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दे अथवा यदि उसका कार्य अथवा आचरण सरकार के विचार में संतोषजनक न रहा हो तो उसे सेवा से निकाल दे या परिवीक्षा की अवधि को उतने काल तक के लिए बढ़ा दे जितना सरकार उचित समझे।

(घ) यदि सेवा में नियुक्तियां करने का अधिकार सरकार द्वारा किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाये तो वह अधिकारी उपर्युक्त अनुच्छेदों में वर्णित सरकार की शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है।

(ङ) रक्षा मंत्रालय के सशस्त्र सेवा मुख्यालय तथा के अंतर सेवा संगठनों में अधीक्षक सामान्यतः अनुभागों के प्रमुख होंगे जबकि सिविलियन स्टाफ अधिकारी एक या एकाधिक अनुभागों के कार्यभारी होंगे।

(च) अधीक्षक समय-समय पर तत्सम्बन्धी प्रचलित नियमों के अनुसार सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के हकदार होंगे।

(छ) सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ अधिकारी समय-समय पर तत्सम्बन्धी प्रचलित नियमों के अनुसार सेवा के वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड में तथा अन्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के हकदार होंगे।

(ज) जहां तक छुट्टी, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, उनका नियंत्रण सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारी समय-समय पर सेवाओं के व्यय में से वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए लागू विनियमों तथा आदेशों द्वारा होगा।

19. सीमाशुल्क मूल्यांकक सेवा, क्लास II

(क) मूल्यांकक ग्रेड में रु० 350–25–500–30–590–द० रो०–30–800–द० रो०–830–35–900 के वेतनमान में भरती की जाती हैं। नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर की जाती हैं तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी, यदि चाहे तो, बढ़ा भी सकता है। परिवीक्षा काल में उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। उन्हें रु० 375 से ऊपर का वेतन तब तक नहीं लेने दिया जायेगा जब तक वे निर्धारित विभागीय परीक्षा पूर्ण रूप से पास नहीं कर लेते।

(ख) यदि परिवीक्षा की मूल अथवा परिवर्द्धित अवधि की समाप्ति पर नियोक्ता प्राधिकारी यह समझता है कि चयन किया गया उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है अथवा परिवीक्षा की उक्त मूल अथवा परिवर्द्धित अवधि के दौरान, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है, अथवा, जो उचित समझे, वह आदेश दे सकता है।

(ग) परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर तथा विभागीय परीक्षाएं पास कर लेने के बाद अधिकारियों को संबद्ध ग्रेड में स्थायी करने पर विचार किया जाएगा।

(घ) मूल्यांकक की हैसियत से पांच वर्ष सेवा कर लेने के बाद उम्मीदवार मुख्य मूल्यांकक (Principal Appraiser) के अगले उच्च ग्रेड (रु० 600–35–950) में पदोन्नति के पात्र हो जायेंगे। उसके बाद वे सहायक कलेक्टर के अगले उच्च ग्रेड (रु० 400–1250) में पदोन्नति के पात्र हो जायेंगे।

(ङ) अवकाश, पेंशन आदि के मामले में इन अधिकारियों पर केन्द्रीय सरकार के अन्य क्लास II अधिकारियों पर लागू होने वाले नियम ही लागू होंगे। जहां तक उनकी सेवा की अन्य शर्तों का प्रश्न है, उन पर सीमा शुल्क मूल्यांकक सेवा, क्लास II की भरती नियमावली की व्यवस्थाएं लागू होंगी। इन नियमों में यह विशेष रूप से निर्दिष्ट है कि इस सेवा के अधिकारियों को "केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड" के अधीन किसी भी समान या उच्च पद पर भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

20. दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा, श्रेणी-II

(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी, जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा। परख पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) जब यह घोषित कर दिया जायेगा कि अमुक अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अपनी परख-अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में पक्का कर दिया जायेगा। यदि सरकार की राय में

उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) उस सेवा के अधिकारी को, दिल्ली प्रशासन, हिमाचल प्रदेश या अण्डेमान निकोबार द्वीप समूह में इन क्षेत्रों में प्रशासन/सरकार के अन्तर्गत सेवा करनी होगी।

(ङ) वेतनमान :—

ग्रेड I (सिलैक्शन ग्रेड) 900—50—1250 रु०

ग्रेड II समय-मान 400—25—500—30—590—द० अ०—30—800 द० अ० 30—830—35—900।

विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किया जाने वाला व्यक्ति आरम्भ में ग्रेड II के सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ वेतन-मान वाले पदों के लिए पदोन्नति के हकदार होंगे।

(च) सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हक होगा।]

(छ) महंगाई भत्ता के अतिरिक्त, इस सेवा के अधिकारियों को, प्रतिकर (नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहन-सहन के बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिये अन्य भत्ते दिये जायेंगे, यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थानों पर भेजा जायेगा और जिन स्थानों के लिये ये भत्ते अनुमत्य होंगे।

(ज) इस सेवा के अधिकारियों पर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अन्दमान निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा नियमावली 1965 और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा बनाये जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे। जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिये गये आदेशों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले तदनुरूप (Corresponding) अधिकारियों पर लागू होते हैं।

21. मणिपुर सिविल सेवा, क्लास II

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जाएंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा। परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जाएगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा। यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा।

(ङ) वेतनमान:—

ग्रेड I (चयन ग्रेड)—रु० 1000—40—1200/—

ग्रेड II —रु० 350-30-500-द० रो०-30-650-द० रो०-35-1000/—

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरती किए गए व्यक्ति का वेतन ग्रेड II के वेतनमान के न्यूनतम से प्रारम्भ होगा।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955, के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर मणिपुर सिविल सेवा नियमावली, 1965, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए बनाए गए अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किए गए आदेश लागू होंगे।

22. गोआ, दमन तथा दियु सिविल सेवा, क्लास II

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जाएंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा। परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को गोआ, दमन तथा दियु संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जाएगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण करली है उसे सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा। यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को गोआ, दमन तथा दियु संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा।

(ङ) वेतनमान :—

ग्रेड I (चयन ग्रेड) रु० 700-40-1100-50/2-1250

ग्रेड II रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800-द० रो०-30-830-35-900/-

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरती किए गए व्यक्ति का वेतन ग्रेड II के वेतनमान के न्यूनतम से प्रारम्भ होगा।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955, के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर गोआ, दमन तथा दियु सिविल सेवा नियमावली, 1967, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए बनाए गए अन्य विनिमय या प्रशासक द्वारा जारी किए गए आदेश लागू होंगे।

23. पांडिचेरी सिविल सेवा, क्लास II

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जाएंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा। परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जाएगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा। यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परीक्षा की अवधि जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा।

(ङ) वेतनमान :—

ग्रेड I—रु० 375-25-800/-

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरती किए गए व्यक्ति का वेतन इस सेवा के वेतनमान के न्यूनतम से प्रारम्भ होगा।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955, के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर पांडिचेरी सिविल सेवा नियमावली, 1967, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिये बनाए गए अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किए गए आदेश लागू होंगे।

24. त्रिपुरा सिविल सेवा, क्लास II

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जाएंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा। परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है।

(ग) जिस अधिकारी के लिए यह घोषित हो जायगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा। यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा।

(ङ) वेतनमान :—

ग्रेड I (चयन ग्रेड)—रु० 1175/(नियत)

ग्रेड II (समय वेतनमान)—रु० 325-30-475-35-545-द० रो०-35-825-35-1000/-

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरती किए गए व्यक्ति का वेतन ग्रेड II के वेतनमान के न्यूनतम से प्रारम्भ होगा।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955, के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर त्रिपुरा सिविल सेवा नियमावली, 1967, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिये बनाए गए अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किए गए आदेश लागू होंगे।

परिशिष्ट IV

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

टिप्पणी—1. ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और इसलिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि उनका शारीरिक स्तर अपेक्षित तक का है। इन अधिनियमों का यह भी ध्येय है कि स्वास्थ्य परीक्षकों को ऐसे उम्मीदवारों को जो अधिनियमों में निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण न करता हो स्वास्थ्य परीक्षकों द्वारा अरोग्य घोषित न हो जाए मार्ग दर्शा सकें। तथापि, यह जानते हुए कि उम्मीदवार इन अधिनियमों में दी हुई शर्तों के अनुसार अरोग्य नहीं है स्वास्थ्य बोर्ड को आज्ञा होगी कि भारत सरकार को स्पष्ट रूप से कारण सिफारिश करें जिस से वह बिना असुविधा के सेवा में भर्ती किया जा सकता है।

2. तथापि, यह भी स्पष्टतया समझ लेना चाहिए कि स्वास्थ्य बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् भारत सरकार को किसी भी उम्मीदवार को स्वीकार करने तथा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है।

विभिन्न सेवाओं का वर्गीकरण दो श्रेणियों "तकनीकी तथा अतकनीकी" के अधीन इस प्रकार से होगा :—

(क) **तकनीकी**

(1) भारतीय रेलवे यातायात सेवा,

(2) भारतीय पुलिस सेवा।

(ख) प्रतकनीकी

आई० ए० एस०, आई० एफ० एस०, आई० ए० और ए० एस०, भारतीय सीमा-शुल्क सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा श्रेणी I के सभी अन्य पद भारतीय रक्षा लेखा सेवा, आयकर अधिकारी (श्रेणी I) सेवा, भारतीय डाक सेवा (श्रेणी I), सैनिक भूमि और छावनी सेवा, श्रेणी I और II, के तकनीकी अधिकारी।

1. नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिये यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. (क) भारतीय (एंग्लो-इंडियन समेत) जाति के उम्मीदवारों की आयु, कद और छाती के घेर के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्ग-दर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाए। यदि वजन, कद और छाती के घेर में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का एक्स-रे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को योग्य अथवा अयोग्य करेगा।

(ख) निश्चित सेवाओं के लिये कद और छाती के घेर का कम-से-कम मान नीचे दिया जाता है जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को मंजूर नहीं किया जा सकता।

	कद	छाती का घेर (पूरा फैला कर)	फैलाव
(1)	(2)	(3)	(4)
	सें० मी०	सें० मी०	सें० मी०
(1) रेलवे इंजीनियरी सेवा सिविल, विद्युत, यांत्रिक तथा सिग्नल परिवहन (यातायात तथा वाणिज्य विभागों) रेलवे सुरक्षा दल और विभागों के पदों पर और समुद्र-पार संचार सेवा की इंजीनियरी शाखा की श्रेणी I और II के पदों में	152	84	5 (पुरुषों के लिए)
	150	79	5 (स्त्रियों के लिए)
(2) भारतीय पुलिस सेवा	165	84	5 (पुरुषों के लिए)
	150	79	5 (स्त्रियों के लिए)
(3) भारतीय वन सेवा	163	84	5 (पुरुषों के लिए)
	150	79	5 (स्त्रियों के लिए)

"गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैण्ड आदिम जातियों आदि से सम्बन्धित उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम निर्धारित कद की लम्बाई में छूट दी जा सकेगी जिनकी औसत कद की लम्बाई दूसरों से छोटी होती है।"

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में नापा जायेगा :—

वह अपने जूते उतार देगा और और उसे माप-दण्ड (स्टैंडर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जायेगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वज़न, सिवाए एड़ियों के पांवों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिंडलियां, नितम्ब और कंधे माप-दण्ड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीची रखी जायेगी ताकि सिर का स्तर (वर्टैक्स आफ दि हैड लेवल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आ जाए। कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में नापा जायेगा।

(4) उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भांति सीधा खड़ा किया जायेगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह से लगाया जायेगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा असफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर-एंगल्स) से लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिजेंटल प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचे किया जायेगा और इन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जायेगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न किये जाएं जिससे कि फीता न हिले। अब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जायेगा और छाती का अधिक-से-अधिक फैलाव गौर से नोट किया जायेगा और कम-से-कम और अधिक-से-अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जायेगा, 84-89, 86—93.5 आदि। नाप को रिकार्ड करते समय आधे सेंटीमीटर से कम के भिन्न फ्रेक्शन को नोट नहीं करना चाहिये।

5. उम्मीदवार का वजन भी लिया जायेगा और उसका वज़न किलोग्रामों में रिकार्ड किया जायेगा। आधे किलोग्राम से कम के फ्रेक्शन को नोट नहीं करना चाहिये।

6. (क) उम्मीदवार की नज़र की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जायेगी। प्रत्येक जाँच का परिणाम रिकार्ड किया जायेगा :—

(ख) चश्मे के बिना नज़र (नेकेड आई विज़न) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक केस में

मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जायेगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्फार्मेशन) मिल जायेगी।

(ग) विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा।

सेवा की श्रेणी	दूर की नजर		नज़दीक की नजर	
	अच्छी आंख (ठीक की हुई दृष्टि)	खराब आंख	अच्छी आंख (ठीक की हुई दृष्टि)	खराब आंख
वर्ग I और II				
(i) तकनीकी	6/6 या 6/9	6/12 6/9	जे० 1	जे० II
(ii) अतकनीकी	6/9	6/12	जे० I	जे० II

(घ) आयोगिता के प्रत्येक मामले में, फंडस परीक्षा की जानी चाहिए और उसका परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिए। व्याधिकृत दशा मौजूद होने पर जो कि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की दक्षता पर प्रभाव डाल सकती है, उसे अयोग्य घोषित किया जाए।

(ङ) **दृष्टिक्षेत्र**—सभी सेवाओं के लिए सम्मुखन विधि (कन्फ्रंटेशन मैथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोष जनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि-क्षेत्र को परिभाषी (पैरामीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(च) **रतौंधी (नाइट ब्लाइंडनेस)**—साधारणतया रतौंधी दो प्रकार की होती है, (1) विटामिन 'ए' की कमी होने के कारण और (2) रेटीना के शारीरिक रोग के कारण रेटीनीटिस पिगमेन्टोसा होता है। जिसका सामान्य कारण ऊपर बताई गई (1) की स्थिति में फंडस में प्रसामान्य होता है, साधारणतया छोटी आयु वाले व्यक्तियों में और कम खुराक पाने वाले व्यक्तियों में दिखाई देता है और अधिक मात्रा में विटामिन 'ए' के खाने से ठीक हो जाता है। ऊपर बताई गई (2) की स्थिति में फंडस में खराबी होती है और अधिकांश मामलों में केवल फंडस की परीक्षा से ही स्थिति का का पता चल जाता है। इस श्रेणी का रोगी प्रौढ़ होता है और खुराक की कमी से पीड़ित नहीं होता है। सरकार में ऊंची नौकरियों के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति इस वर्ग में आते हैं।

उपर्युक्त (1) और (2) दोनों के लिए अंधेरा अनुकूलन परीक्षा से स्थिति का पता चल जाएगा। उपर्युक्त (2) के लिए विशेषतया जब फंडस खराब न हो तो इलेक्ट्रो-रेटीनोग्राफी किए जाने की आवश्यकता होती है। इन दोनों जांचों में (अंधेरा अनुकूलन और रेटीनोग्राफी) में समय अधिक लगता है और विशेष प्रबन्ध और सामान की आवश्यकता होती है और इसलिए साधारण चैकित्सिक जांच के लिए यह समय नहीं है। अतकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय/विभाग को चाहिए कि वे बताएं कि रतौंधी के लिए इन जांचों का करना अनिवार्य है या नहीं। यह इस बात पर निर्भर होगा कि पद से सम्बन्ध काम की आवश्यकता क्या है और जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाने वाली उनकी ड्यूटी जिस तरह की होगी।

(छ) **कलर विजन**—उम्मीदवारों को स्वास्थ्य परीक्षा के लिए सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग को भेजते समय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड को यह सूचना देनी होगी कि उम्मीदवार तकनीकी सेवा के लिए है (जिसमें क्षेत्र सेवा भी शामिल है) और कलर विजन परीक्षा की आवश्यकता है या अतकनीकी सेवा के लिए है और कलर विजन परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। सभी तकनीकी सेवाओं में कलर विजन परीक्षा आवश्यक नहीं हो सकती है और सम्बोधित मंत्रालय/विभाग को यह निर्णय करना होगा और स्वास्थ्य परीक्षा के समय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड को सूचित करना होगा। रेलवे मेडिकल और सुरक्षा दल सेवा में नियुक्त होने वाले वर्ग I और वर्ग II के सभी उम्मीदवारों को कलर विजन जांच में पास होना आवश्यक है।

(ज) **दृष्टि की पकड़ से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आक्यूलर कंडीशन्स)** :—

(i) आंख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई वर्तन त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिफ्रेक्टेव एरर) को, जिस के परिणामस्वरूप दृष्टि की पकड़ के कम होने की संभावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ii) **भेंगापन (स्किवट)**—तकनीकी सेवाओं में, जहां द्विनेत्री (बाइनाकुलर) दृष्टि का होना अनिवार्य हो, दृष्टि की पकड़ निर्धारित स्तर की होने पर भी भेंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए। यह रेलवे सुरक्षा दल के उम्मीदवारों के लिए भी लागू होगा। दृष्टि की पकड़ निर्धारित स्तर की होने पर भेंगापन को अन्य सेवाओं के लिए अयोग्यता के कारण नहीं समझना चाहिए।

(iii) **एक आंख वाले व्यक्ति**—एक आंख का साधारण प्रभाव यह होता है कि यह स्ट्रेओस्कोपिक विजन या ग्रहण शक्ति की गहराई पर प्रभाव डालती है। इस प्रकार की नजर (बहुत से सिविल पदों के लिए आवश्यक नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड ऐसे एक आंख वाले व्यक्तियों को सिफारिश कर सकता है जिन के लिए उसे संतोष है कि वह सब कार्यों को कर सकता है जिस विशेष नौकरी के लिए वह उम्मीदवार है यद्यपि उसकी काम करने वाली आंख की दृष्टि पकड़ 6/6 दूर की नजर के लिए और 0–6 नजदीक की नजर के लिए हो और वर्तनत्रुटि (रिफ्रेक्टिव एरर) 4–00 डी० से कम या अधिक न हो।

(2) **कोन्टेक्ट लेंस** (Contact Lenses) :—उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कोन्टेक्ट लैंस के प्रयोग की आज्ञा नहीं होगी। आंख की जांच करते समय यह आवश्यक है कि दूर की नजर के लिए टाइप किए हुए अक्षर 16 फुट से प्रकाशित हों।

7. ब्लड प्रेशर

ब्लड प्रेशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा। नार्मल उच्चतम सिस्टालिक प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है।

(i) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100+आयु होता है।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में आधी आयु जोड़ दी जाय। यह तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दीजिये—सामान्य नियम के रूप में 140 से ऊपर के सिस्टालिक प्रेशर को और 90 से ऊपर के डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिये, और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहराने के सम्बन्ध में अपनी अन्तिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिये कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखे। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिये कि घबराहट (एक्साइटमेन्ट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक (आर्गेनिक बीमारी) है [ऐसे सभी केसों में हृदय की एक्स-रे और विद्युत् हृल्लेखी (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक)] परिक्षाएं और रक्त यूरिया निकास (लोयरेंस) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अन्तिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका

नियमतः पारेवाले दाबमापी (मर्करी मेनोमीटर) किस्म का आला (इंस्ट्रुमेन्ट) इस्तेमाल करना चाहिये। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिये। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो। कुछ-कुछ हारिजंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भुजा को आराम से सहारा दिया जाता है। भुजा पर से कंधे तक कपड़े उतार देने चाहिए। कफ में से पूरी तरह हवा निकालकर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर रख कर और इसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फुल कर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी (ब्रैकिअल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूंढा जाता है और तब इस के ऊपर बीचों-बीच स्टैथस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 m.m. Hg. हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है। जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई-सी लुप्त प्राय हो जाएं, वह डायस्टालिक प्रेशर है। ब्लड-प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफल के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकार होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाता है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। (कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर वे गायब हो जाती हैं और निम्नतर स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं। इस "साइलेन्ट गेप" से रीडिंग में गलती हो सकती है)।

8. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी चाहियें और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिये। जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके दूसरे सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायाबीटीज) के द्योतक चिह्नों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज मेह (ग्लाइकोसूलिरआ) के सिवाय, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मेह अमधुमेही (नान डायबेटिक) हो और बोर्ड केस को मेडिसिन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टैण्डर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबारेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की 'फिट' या 'अनफिट' की अन्तिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिये बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख रेख में रखा जाय।

9. जो स्त्री उम्मीदवार जांचों के फलस्वरूप 12 सप्ताह या उससे अधिक अवधि की गर्भवती पाई जाए उसे तब तक के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाए जब तक उसकी गर्भावस्था समाप्त न हो जाए। गर्भावस्था के समाप्त होने के 6 सप्ताह बाद यदि वह पंजीकृत चिकित्सक के स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दे तो आरोग्य प्रमाण-पत्र के लिए उसकी फिर से जांच की जाए।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए:—

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिह्न है या नहीं। यदि कोई कान की खराबी हो तो इसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य-क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। रेलवे सेवाओं के लिए यह बात लागू नहीं है।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता है या नहीं।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं; और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं। (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा)।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नही तथा उसका दिल और फेफड़े ठीक हैं या नहीं।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं।

(च) उसे रप्चर (हार्निया या फटन) है या नहीं।

(छ) उसे हाइड्रोसील, बढ़ी हुई वेरिकोसील वेरिकोज शिरा (वेन) या बवासीर है या नही।

(ज) उसकी शाखाओं, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नही और उसकी संधियां भली भांति स्वतंत्र रूप से हिलती हैं या नहीं।

(झ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं।

(ञ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नही।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नही। जिनसे कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं।

11. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, सभी केसों में नेमी रूप से छाती की एक्स-रे परीक्षा की जानी चाहिए।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं।

12. जहां तक मिली-जुली प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों का सम्बन्ध है, उनके लिए ऊपर पैरा 11 के नीचे की टिप्पणी में बताई गई अपील करने की कार्यविधि लागू नहीं होती। इस परीक्षा के उम्मीदवारों को अपील की शुल्क 50 रु० भारत सरकार के इस सम्बन्ध में निर्धारित ढंग से जमा करना होता है। यह फीस केवल उन उम्मीदवारों को वापस मिलेगी जो अपीलीय स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड द्वारा आरोग्य घोषित किए जाएंगे। शेष दूसरों के मामलों में यह जब्त कर ली जाएगी। यदि उम्मीदवार चाहे तो अपने आरोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वस्थता प्रमाण-पत्र संलग्न कर सकते हैं। उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपीलें पेश करनी चाहिए अन्यथा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अपीलीयर स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई दिल्ली में ही होगी और इसका खर्च उम्मीदवारों को ही देना पड़ेगा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के सम्बन्ध में की जाने वाली यात्राओं के लिए कोई यात्रा-भत्ता या दैनिक-भत्ता नहीं दिया जाएगा। अपीलों के निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीली या स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य-परीक्षा के प्रबन्ध के लिए गृह मंत्रालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैण्डर्ड में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा-काल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिये योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को, यह तसल्ली नही होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिसे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही सम्बद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय-पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट किया जाए कि यहां प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा (इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस) के उम्मीदवारों को भारत में और भारत से बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) करनी होगी। ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के योग्य है या नहीं।

डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्यौरा नही दिया जा सकता।

ऐसे मामलों में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वहां डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाय तो एक दूसरे डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र है।

यदि कोई उम्मीदवार स्थाई तौर से अयोग्य करार दिया जाये तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम-से-कम छः महीने से कम नहीं होनी चाहिए। मिश्रित अवधि के बाद जब

दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवारों को और आग की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के सम्बन्ध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अन्तिम रूप से दिया जाना चाहिए।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा :

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेन्ट देना चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहियें। नीचे दिये गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशष रूप से ध्यान देना चाहिए।

1. अपना पूरा नाम लिखें.............
(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं

"2(क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैण्ड आदिम जातियों आदि से सम्बन्धित हैं जिनका औसत कद दूसरों से छोटा होता है। 'हां' या नहीं' में उत्तर दीजिए और यदि उत्तर 'हां' में है तो उस जाति का नाम बताइए।"

3. (क) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरी बुखार, ग्रंथियों (ग्लैंड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रुमैटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है ?

अथवा

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है ?

4. आपको चेचक आदि का अन्तिम टीका कब लगा था ?

5. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई है ?

6. अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्योरा दें।

7. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ? ....

8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर 'हां' हो तो बताइए किस सेवा/सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी? ......

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ?......

10. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ ?........

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो। ......

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर........

मेरे सामने हस्ताक्षर किए।

बोर्ड के चेयरमैन के हस्ताक्षर

नोट—उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा। जान-बूझ कर किसी सूचना को छुपाने से वह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाय तो वार्धक्य निवृत्ति भत्ता (सुपरएनुएशन अलाउंस) या उपदान (ग्रेच्युटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा।

(ख).....की शारीरिक परीक्षा की/
मेडीकल बोर्ड की रिपोर्ट

1. सामान्य विकास : अच्छा.....बीच का....कम...
पोषण : पतला.......औसत........मोटा........
कद (जूते उतार कर).............वजन........
अत्युत्तम वजन.............कब था ?..........
वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन..............
तापमान.............

छाती का घेर.............
(1) पूरा सांस खींचने पर..................
(2) पूरा सांस निकालने पर.................

2. त्वचा—कोई जाहिरी बीमारी...................

यदि पिता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि पिता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि माता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय उसकी आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

3. नेत्र

(1) कोई बीमारी.......................

(2) रतौंधी ....

(3) कलर विज्ञन का दोष..................

(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विज़न)............

(5) दृष्टि की पकड़ (विजुअल एक्विटी)..........

दृष्टि की पकड़		चश्मे के बिना	चश्मे से	चश्मे की पावर गोल	सिलि०	अक्ष
दूर की नजर	दा० ने०					
	बा० ने०					
पास की नजर	दा० ने०					
	बा० ने०					
हाइपरमेट्रोपिया (व्यक्त)	दा० ने०					
	बा० ने०					

4. कान : निरीक्षण..................सुनना : दायां कान.............बांया कान.....

5. ग्रंथियां ....थाइराइड...........

6. दांतों की हालत...............

7. श्वसन तंत्र (रेस्पिरेटरि सिस्टम) क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में किसी विलक्षणता का पता लगा है ? यदि पता लगा है तो विलक्षणता का पूरा ब्यौरा दें ?

8. परिसंचरण तंत्र (सर्क्युलेरटी सिस्टम)

(क) हृदय : कोई आंगिक क्षति (आगनिक लीज़न) ? ......

गति (रेट) :

खड़े होने पर :

25 बार कुदाए जाने के बाद..........

कुदाए जाने के 2 मिनट बाद...........

(ख) ब्लड प्रेशर......सिस्टालिक...डायस्टालिक.. ....

9 उदर (पेट) : घेर........दाब वेदना (टेंडरनेस) हर्निया....................

(क) दबा कर मालूम पड़ना, जिगर....तिल्ली.... गुर्दे.........ट्यूमर ....

(ख) बवासीर के मस्से........फिस्चुला........

10. तांत्रिक तंत्र (नर्वस सिस्टम) तंत्रिका या मानसिक अशक्तता का संकेत......

11. चाल तंत्र (लोकोमोटर सिस्टम)

कोई विलक्षणता...........

12. जनन-मूत्र तंत्र (जेनिटो यूरिनरी सिस्टम)/हाइड्रोसील, वेरिकोसील आदि का कोई संकेत।

मूत्र परीक्षा

(क) कैसा दिखाई पड़ता है

(ख) स्पेसिफिक ग्रेविटी (अपेक्षित गुरुत्व)

(ग) एलब्युमेन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ठ

(च) कोशिकाएं (सेल्स)

13. छाती की एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य म कोई ऐसी बात है जिससे वह उस सेवा को दक्षतापूर्वक निभाने के लिये अयोग्य हो सकता है जिसके लिए वह उम्मीदवार है ?

15. (i) उन सेवाओं का उल्लेख करें जिनके लिए उम्मीदवार की परीक्षा की गई है :—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा, मणिपुर पुलिस सेवा तथा त्रिपुरा पुलिस सेवा।

(ग) केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी I और II.............

(ii) क्या वह निम्नलिखित सेवाओं में दक्षतापूर्वक और निरन्तर काम करने के लिये सब तरह से योग्य पाया गया है :—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा, मणिपुर पुलिस सेवा तथा त्रिपुरा पुलिस सेवा (कद, छाती का घेर, नजर, रंग दिखाई न देना और चाल, खास तौर से देखें)।

(ग) भारतीय रेलवे के परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग (कद, छाती, नजर, रंग दिखाई न देना, खास तौर से देखें)।

(घ) दूसरी केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी I/II

(iii) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिये योग्य है ?

नोट—बोर्ड को अपना जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिये।

(i) योग्य (फिट)

(ii) अयोग्य (अनफिट) जिसका कारण..........

(iii) अस्थायी रूप से अयोग्य, जिसका कारण.........

स्थान..............अध्यक्ष (प्रेसिडेंट)..........

तारीख.............. सदस्य...............

सदस्य...............

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 1968

संकल्प

विषय :—भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद (भा० स० वि० अनु० प०) की स्थापना।

सं० एफ० 9–50/68 प्लान—समाज विज्ञान अनुसंधान तथा नियोजित राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों के मार्गदर्शन के लिए उसकी उपयोगिता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, आयोजना आयोग ने, कुछ समय पूर्व, डा० वी० के० आर० वी० राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति का कार्य देश में समाज विज्ञानों में अनुसंधान कार्य से संबंधित वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण करना और भविष्य में उसके विकास की योजनाओं के बारे में तथा उसकी प्रगति को तेज करने के लिए संगठनात्मक तथा अन्य आवश्यक कदमों की सिफारिश करना था। समिति की मुख्य सिफारिश यह है कि समाज विज्ञानों में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने तथा समन्वय स्थापित करने के प्रयोजन हेतु एक स्वायत्तशासी संगठन के रूप में भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना की जाए और उसके लिए आवश्यक धन तथा सुविधाओं की व्यवस्था की जाए, ताकि वह अपनी जिम्मेदारी भली भांति निबाह सके।

2. सामाजिक अनुभूतियों और मानव स्वभाव को समझने के लिए, और सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए नीति तैयार करने तथा वैज्ञानिक और टक्नोलोजी संबंधी घटनाओं के उपयोग व सम्पादन के लिए एक समर्थ गतिशील सोसायटी के निर्मान के लिए सामाजिक प्रक्रिया और उसके निर्धारक सिद्धान्तों की जानकारी आवश्यक है। इस लिए, भारत सरकार का ऐसा विचार है कि एक राष्ट्रीय समाज विज्ञान अनुसंधान नीति तैयार करना आवश्यक है तथा उसकी कार्यान्विति के लिए एक राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की आवश्यकता है जो निम्नलिखित कार्य कर सके

—समाज वैज्ञानिकों को एकत्रित करना तथा उनके बीच विचार विनिमय के लिए मंच तैयार करना ;

—समाज विज्ञानों को समेकित करना; उनको बढ़ावा देना तथा उनके अनुसंधान कार्य में समन्वय करना ;

—समाज विज्ञान अनुसंधान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना ; और

—सभी संबंधित व्यक्तियों का इसके लिए समर्थन तथा मान्यता प्राप्त करना।

सरकार ने, तद्नुसार, यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना स्वायत्तशासी संगठन के रूप में की जाय।

3. भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद (जो इसके बाद परिषद कहलाएगी) का गठन, इस प्रकार होगा :—

1. भारत सरकार द्वारा नामजद कोई प्रमुख समाज वैज्ञानिक .. .. अध्यक्ष

2-16. विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञता-प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा संगठनों से, भारत सरकार द्वारा नामजद 15 समाज वैज्ञानिक।

17-22. सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 व्यक्ति, जिनमें शिक्षा और वित्त मंत्रालय के एक-एक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

23. परिषद द्वारा नियुक्त सदस्य-सचिव।

4. (1) अध्यक्ष की पदावधि 5 वर्ष होगी ; और सदस्यों की पदावधि 3 वर्ष होगी।

(2) निवृतमान अध्यक्ष तथा सदस्य, पुर्ननियुक्ति के पात्र होंगे। किन्तु, कोई भी अध्यक्ष अथवा सदस्य लगातार दो बार से अधिक नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(3) परिषद का अध्यक्ष अवैतनिक होगा। सदस्य-सचिव, परिषद का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। उसकी नियुक्ति, परिषद द्वारा की जाएगी। किन्तु, सदस्य-सचिव, पहले पहल भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और परिषद द्वारा विधिवत सदस्य-सचिव नियुक्त किये जाने तक पद धारण करेगा। सदस्य-सचिव को पारिश्रमिक, सेवा शर्तों, अधिकार और कर्त्तव्यों का निर्धारण, भारत सरकार की अनुमति से परिषद द्वारा किया जाएगा।

(4) परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके द्वारा परिषद की बैठकों अथवा उसकी समितियों में भाग लेने अथवा परिषद द्वारा उन्हें सौंपे गये कर्तव्यों के पालन करने के लिए यात्रा और दैनिक भत्ते दिये जाएंगे। यात्रा और दैनिक भत्ते, भारत सरकार की अनुमति से परिषद द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार दिये जाएंगे।

5. परिषद को, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, स्थायी समिति अथवा अन्य कोई समिति नियुक्त करने का अधिकार होगा और अपने तथा अपनी समितियों के काम-काज को चलाने के लिये नियम बनाने का भी अधिकार होगा।

6. परिषद के निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(1) समाज विज्ञान अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करना और सरकार में अथवा उसके बाहर इसके प्रयोगकर्त्ताओं को सलाह देना ;

(2) समाज विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रमों तथा अनुसंधान प्रयोजनाओं को प्रायोजित करना और समाज विज्ञानों में अनुसंधान के लिए संस्थाओं तथा व्यक्तियों को अनुदान देना तथा ऐसी विज्ञान संस्थाओं, मानक पत्रिकाओं और संस्थाओं अथवा संगठनों को, जो समाज विज्ञान अनुसंधान में लगे हों अथवा उसे प्रायोजित करते हों, वित्तीय सहायता देना।

(3) व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा समाज विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रमों को तैयार करन और अनुसंधान प्रायोजनाओं को अभिकल्पित करने के लिये तकनीकी सहायता का प्रबन्ध करना और अनुसंधान कार्यपद्धति में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा संस्थात्मक प्रबन्धों की सहायता करना ;

(4) समय-समय पर ऐसे क्षेत्रों और विषयों का सुझाव देना, जिनमें, समाज विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके और उपेक्षित अथवा नए क्षेत्रों में अनुसंधान के विकास के लिए विशेष उपाय काम में लाए जा सकें;

(5) समाज विज्ञानों के क्षेत्र में समाज विज्ञान अनुसन्धान कार्यकलापों का समन्वय करना और अन्तर-विषयक अनुसन्धान को बढ़ावा देना;

(6) प्रलेख-पोषण सेवा के केन्द्रों को विकास तथा उनकी सहायता करना, आंकड़े रखना तथा उनको सप्लाई करना, चालू समाज विज्ञान अनुसन्धान की तालिका बनाना और समाज वैज्ञानिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करना;

(7) अनुसन्धान कार्य को बढ़ावा देने अथवा समाज विज्ञान अनुसन्धान के उपयोग के लिये सेमिनारों, वर्कशापों, अध्ययन सर्किलों, कार्यकारी दलों, पार्टियों और सम्मेलनों का आयोजन करना;

(8) समाज विज्ञान अनुसन्धान कार्य के प्रकाशन के लिए अनुदान देना और ऐसे अनुसन्धान के डाइजेस्टों, पत्रिकाओं तथा जनरलों को प्रकाशित करना;

(9) भारत में और विदेशों में विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा अन्य अनुसन्धान कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए समाज विज्ञान अनुसन्धान के लिए छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों तथा अवार्ड शुरू करना अथवा देना, और विशेषकर, समाज विज्ञान में अनुसन्धान के लिए ऐसी वरिष्ठ अधिछात्रवृत्तियां देना, जिससे विश्वविद्यालय के कार्यकर्त्ता अपनी रुचि के विषयों में और जिन विषयों में वे विशेष रूप से योग्य हों, प्रकाशन के लिए अपने अनुसन्धान कार्य पूरा कर सकें।

(10) भारत सरकार द्वारा समय समय पर उसको भेजे गए समाज विज्ञान अनुसन्धान से सभी संबंधित विषयों पर जिनमें, विदेशी एजेन्सियों से समाज विज्ञान अनुसन्धान में सहयोगात्मक प्रबन्ध भी शामिल हैं, भारत सरकार को सलाह देना।

(11) आमतौर पर, समाज विज्ञान अनुसन्धान को बढ़ावा देने तथा देश में उसके उपयोग के लिए, ऐसे सभी उपाय काम में लाए जाएं, जो समय समय पर आवश्यक समझे जाएं।

7. परिषद की नीति, समाज विज्ञान में मूलभूत और व्यावहारिक दोनों प्रकार के अनुसन्धानों को प्रोत्साहित करना होगी। यह विश्वविद्यालयों में समाज विज्ञानों में अनुसन्धान कार्य को विशेष रूप से बढ़ावा देने का प्रयत्न करेगी। यह, भारतीय, समाज वैज्ञानिकों को विदेशों में अनुसन्धान का विकास करने में भी सहायता देगी।

8. परिषद, समाज वैज्ञानिकों में मेधावी नवयुवकों का एक दल बनाने तथा विश्वविद्यालयों और अन्य अनुसंधान संगठनों के युवक अध्यापकों में अनुसंधान प्रतिभा तलाश करने तथा उसे प्रोत्साहित करने के लिये विशेष कदम उठाएगी।

9. परिषद का कार्यालय दिल्ली में स्थित होगा अथवा परिषद द्वारा तय किया गया अन्य किसी स्थान पर।

10. परिषद्, भारतीय रजिस्ट्रेशन सोसायटीज अधिनियम, 1860 के अधीन एक रजिस्टर्ड सोसायटी होगी और संस्था के ज्ञापन-पत्र, नियमों, विनियमों और उप नियमों के अनुसार एक स्वायत्तशासी संगठन के रूप में कार्य करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सर्वसाधारण की सूचना के लिए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

जी० के० चन्दीरामाणी, सचिव

सूचना, प्रसारण तथा संचार मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 5 मार्च 1969

सार्वजनिक सूचना

फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

सं० 7/12/69—एफ० आई० (एन० ए०)—फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियों की अन्तिम तारीख जो कि पहले 7 मार्च अधिसूचित की गई थी (देखिए सार्वजनिक सूचना संख्या 7/12/69—एफ० आई० (एन० ए०) तारीख 7 फरवरी, 1969) अब यह 29 मार्च, 1969 तक बढ़ा दी गई है।

हरिबाबू कंसल, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 6th March 1969

No. 10-*Pres./69*.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police :—

Name of the officer and rank

Shri Kharak Singh Thapa,
Subedar,
'F' Company, 5th Battalion,
Central Reserve Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Shri Kharak Singh Thapa was posted in the 'F' Company of the 5th Battalion Central Reserve Police at Chhingchhip in Mizo Hills. On the 11th November 1967, information was received that a party of hostiles was moving from village Raldan with the intention of attacking the Central Reserve Police post. Shri Thapa immediately set out with a platoon of his men and laid an ambush on both sides of the track to Chhingchhip from Raldan. At about 17.20 hours 20 armed hostiles approached the place of the ambush in two groups. Shri Thapa ordered his LMG gunner to open fire. The hostiles replied with heavy fire on the police party and assaulted the LMG post. Seeing the danger, Shri Thapa led his men in a charge on the hostiles. In this encounter, four hostiles were killed and some arms and ammunition and valuable documents were recovered.

Shri Kharak Singh Thapa showed outstanding initiative and conspicuous personal courage in this operation.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 11th November, 1967.

V. J. MOORE, Dy. Secy to the President

MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING, WORKS HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

(Department of Family Planning)

New Delhi, the 22nd February 1969

RESOLUTION

No. 25-8/68-*MEM*(*FP*).—The Government of India are pleased to appoint Internal Financial Adviser, Ministry of Health, Family Planning and Urban Development as a member of the Films Committee constituted *vide* Ministry of Health, Family Planning and Urban Development Resolution No. 25-8/68-MEM(FP), dated 31-12-1968 in place of Dy. Financial Adviser, Ministry of Health, Family Planning and Urban Development.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. N. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

New Delhi, the 12th December 1968

RESOLUTION

SUBJECT: *Establishment of the Indian Council of Social Science Research (ICSSR).*

*No. F.*9-50/68-*Plg.*—Realising the importance of social science research and its utility in guiding programmes of planned national development, the Planning Commission appointed, some time ago, a Committee under the Chairmanship of Dr. V. K. R. V. Rao to survey the current situation in relation to research in social sciences in the country and to make recommendations regarding its future lines of development and the organizational and other steps necessary to accelerate its progress. The main recommendation of the Committee is that an Indian Council of Social Science Research be established as an autonomous organisation for the purpose of promoting and coordinating research in the social sciences and be provided with the necessary funds and facilities to enable it properly to discharge its responsibility.

2. Understanding of social phenomena and human behaviour knowledge about the social process and its determinants are essential for designing policies to promote social change and to produce a dynamic society capable of performing and utilising the scientific and technological developments. The Government of India, therefore, are of the view that it is imperative to enunciate a National Social Science Research Policy, and for its implementation, to create a national organisation which could

—bring social scientists together and provide a forum for exchange of views between them;

—add, promote and coordinate research in social sciences;

—function as a spokesman for social science research; and

—elicit support and recognition for it from all concerned.

Government has, therefore, accepted the recommendation that an Indian Council of Social Science Research be established as an autonomous organisation.

3. The composition of the Indian Council of Social Science Research (hereinafter referred to as the Council) shall be as follows :—

1. An eminent social scientist nominated by the Government of India.—*Chairman*

2-16. Fifteen Social Scientists nominated by the Government of India from the Universities and specialised research institutions or associations.

17-22. Six persons to represent Government which shall include one representative each of the Ministry of Education and the Ministry of Finance; and

23. Member-Secretary appointed by the Council.

4. (1) The term of office of the Chairman shall be five years; and the term of office of the members shall be three years.

(2) The outgoing Chairman and members shall be eligible for reappointment. However, no Chairman or member shall be appointed for more than two consecutive terms.

(3) The Chairman of the Council shall be honorary. The Member-Secretary shall be a whole-time officer of the Council. He will be appointed by the Council. However, the first Member-Secretary will be appointed by the Government of India and shall hold office till a Member-Secretary has been duly appointed by the Council. The remuneration, terms and conditions of service, powers and duties of the Member-Secretary shall be determined by the Council with the approval of the Government of India.

(4) While attending the meetings of the Council or its committees or performing any duties entrusted to them by the Council, the Chairman and the Members of the Council shall be paid travelling and daily allowances in accordance with the rules framed by the Council with the approval of the Government of India.

5. The Council shall have power to appoint a Standing Committee or any other Committee for discharge of its responsibilities and also to frame rules for the regulation of its business as well as that of its committees.

6. The functions of the Council shall be as given below :—

(1) To review the progress of social science research and to give advice to its users in Government or outside;

(2) To sponsor social science research programmes as well as research projects, and administer grants to institutions and individuals for research in social sciences and to give financial support to learned associations, standard journals and institutions or organisations engaged in the conduct or sponsoring of social science research;

(3) To provide technical assistance for the formulation of social science research programmes and designing of research projects by individuals or institutions, and to organise and support institutional arrangements for training in research methodology;

(4) To indicate periodically areas and topics on which social science research is to be promoted and to adopt special measures for the development of research in neglected or new areas;

(5) To coordinate social science research activities in the field of social sciences and to encourage programmes of inter-disciplinary research;

(6) To develop and support centres for documentation, service, maintenance and supply of data, inventory of current social science research and preparation of national register of social scientists;

(7) To organise, sponsor and finance seminars workshops, study circles, working groups/parties, and conferences for promoting research or utilisation of social science research;

(8) To give grants for publication of social science research work and to undertake publication of digests, periodicals and journals devoted to such research;

(9) To institute and administer scholarships, fellowships and awards for social science research by students, teachers and other research workers in India or outside, and in particular, to award senior fellowships for research in social science that will enable workers in universities to complete their research work for publication or undertake whole-time research for a defined period on topics in which they are specially interested and for doing research on which they are specially qualified;

(10) To advise the Government of India on all such matters pertaining to social science research as may be referred to it by the Government of India from time to time, including collaborative arrangements in social science research with foreign agencies; and

(11) Generally to take all such measures as may be found necessary from time to time to promote social science research and its utilisation in the country.

7. It shall be a policy of the Council to encourage both fundamental and applied research in social sciences. It will strive specially to promote social sciences research in the universities. It will also assist Indian Social Scientists to develop research outside India.

8. The Council shall take special steps to develop a group of talented young social scientists and to identify and

encourage research talent among the young teachers in the universities and other research organisations.

9. The office of the Council shall be located in Delhi or at any place determined by the Council.

10. The Council shall be registered as a society under the Indian Registration Societies Act, 1860, and function as an autonomous organisation subject to its memorandum of association, rules, regulations and by-laws.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments and Administrations of Union Territories and to all Ministries of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

G. K. CHANDIRAMANI, Secy.

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

CORRIGENDUM

New Delhi-1, the 27th February 1969

No. 4-*E*(23)/67.—The following amendments are made in the Rules for the Engineering Services (Electronics) Examination, 1969 published, *vide* Department of Communications' Notification No. 4-E(23)/67 dated the 9th November 1968 :—

S. No.	Reference	Amendments
1.	Page 735, Col. 1, 2nd Sub-para of N.B. (ii) of para 5, line 4.	*After* the word 'post', *insert* 'for which he', would have been eligible but for his transfer.
2.	Page 735, Col. 2, para 12, line 5.	*For* the word 'reporting' *read* 'resorting'.
3.	Schedule to Appendix-I page 737 Col. 2, sub-para 3, under (10) *Transmission lines and Networks*, line 1.	*For* the word 'Attention', *read* 'Attenuation'.
4.	Appendix II, page 739, Col. I, cage under para 2 (b).	Between the words 'Chest' and 'Expansion' *insert* the word 'Girth'.
5.	Appendix II, page 739, Col. I, cage under para 2 (b).	*For* the figures '146' and '74' *read* '150' and '79' respectively.
6.	Appendix II, page 740, Col. 1, cage under item (ii) under para 6, line 2.	*For* the Figures '1 ·3' *read* '13'.
7.	Appendix III page 743, Col. 2, item (i) under 2. Assistant Technical Officers (Class II) lines 3 and 4.	*Delete* the words 'connected with the Defence Service or post' appearing between the word 'post' and 'connected'.

S. C. JAIN, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

NATIONAL AWARDS FOR FILMS

New Delhi-1, the 7th February 1969

RESOLUTION

No. 7/1/69-*FI*(*NA*).—In supersession of the Resolution of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 7/1/67-FI(NA), dated the 4th May 1968 as amended by Resolution No. 7/1/67-FI(NA) dated the 27th July, 1968 the following Rules are notified for regulating the National Awards for Films :—

1. These rules shall be called Rules for the National Awards for Films.

2. The object of these awards is to encourage the production of films of a high aesthetic and technical standard and of social, educational and cultural value.

3. The following categories of awards will be available under these Rules :—

I. FILM AS ART

(a) (i) *National best feature film award* :

President's Gold Medal for the national best feature film of the year and a cash prize of Rs. 20,000 to the producer and Rs. 5,000 and a plaque to the director.

(ii) *Special award for the second best feature film* :

Cash prize of Rs. 5,000 and a medal to the producer and Rs. 2,000 and a plaque to the director.

(iii) *Special award for the best feature film on family planning* :

Cash prize of Rs. 5,000 and a medal to the producer and a cash prize of Rs. 2,000 and a plaque to the director.

(iv) *Special award for the best feature film on national integration* :

Cash prize of Rs. 5,000 and a medal to the producer and a cash prize of Rs. 2,000 and a plaque to the director.

(v) *Regional Awards* :

Cash prize of Rs. 5,000 to the producer and a medal to the director of the best feature film in each regional language.

(b) *Award for excellence in direction* :

Cash prize of Rs. 5,000 and a plaque to the best director of the year.

(c) *Award for excellence in cinematography* :

(i) Cash prize of Rs. 5,000 and a plaque to the best cameraman of a black and white film; and

(ii) Cash prize of Rs. 5,000 and a plaque to the best cameraman of a colour film.

(d) *Best actor of the year award* :

"BHARAT AWARD" in the form of a figurine to the best actor.

(e) *Best actress of the year award* :

"URVASHI AWARD" in the form of a figurine to the best actress.

(f) *Best child actor/actress of the year award* :

A plaque to the best child actor or actress who is not more than 16 years in age.

(g) *Best male play-black singer of the year award* :

A plaque to the best play-back singer.

(h) *Best female play-back singer of the year award* :

A plaque to the female play-back singer.

(i) *Best music director of the year* :

An award to recognise the originality of score :

Cash prize of Rs. 5,000 and a plaque to the best music director.

(j) *Best screen-play of the year award* :—

Cash prize of Rs. 5,000 and a plaque to the best script writer.

(k) *Best children's film of the year award* :

A medal and cash prize of Rs. 7,500 to the producer and Rs. 2,500 and a plaque to the director.

II. FILM AS COMMUNICATION

(a) *Best information film* (*documentary*)

Cash prize of Rs. 5,000 and a medal to the producer and Rs. 2,000 and a plaque to the director.

(b) *Best educational/instructional film* :

Cash prize of Rs. 5,000 and a medal to the producer and Rs. 2,000 and a plaque to the director.

(c) *Best social documentation film* :

(dealing with an objective analysis and presentation of a contemporary social problem).
Cash prize of Rs 5,000 and a medal to the producer and Rs. 2,000 and a plaque to the director.

(d) *Best promotion film* (*two awards*) :

(i) *for the best commercial promotion film*

(advertisement)
A medal to the producer and a plaque to the director.

(ii) *for the best non-commercial film* :

(untouchability, co-operation development, agriculture practices etc.)

A medal for the producer and a plaque to the director.

III. SPECIAL SHORT FILMS CATEGORY

(a) *Best experimental film* :

Cash prize of Rs. 5,000 and a medal to the producer and Rs. 2,000 and a plaque to the director.

(b) *Best animation film* :

Cash prize of Rs. 5,000 and a medal to the producer and Rs. 2,000 and a plaque to the director.

EXPLANATION :

The term 'producer', 'director', 'cameraman', 'actor', 'actress', 'child actor/actress', 'playback singer', 'music director', 'screen play writer/script writer', used in these rules will be construed as referring to the 'producer', 'director', 'cameraman', 'actor', 'actress', 'child actor/actress', playback singer', 'music director', 'screen play writer/script writer', as the case may be, as given in the credit titles of the film duly certified by the Central Board of Film Censors.

4. (a) No award will be given to the producer or director of a film in a category for which the number of entries received is less than two.

(b) Government may, at its discretion, give the cash prize in the form of National Defence Certificates and Defence Deposit Certificates or any other similar certificates issued by the Government of India.

(c) The producer of a feature film produced in a language other than Hindi which wins an award under category I(a) of rule 3 will be granted by the Central Government an additional sum of Rs. 2,000 on his getting that film sub-titled in Hindi.

5. All Indian films certified for public exhibition by the Central Board of Film Censors in the preceding calendar year will be eligible for entry. A declaration to that effect shall be made by the producer or any other duly authorised person in the form contained in the schedule hereto annexed.

Provided that a film will be entered for awards only in one of the categories mentioned under Rule 3 *viz.* best feature film, best family planning film, best national integration film, best social documentation film, best children's film, best information film, best educational/instructional film, best promotion film, best experimental film and best animation film.

6. (a) Entries for the awards will be invited every year by a date to be specified by the Central Government in a notification to be published in the Gazette of India.

(b) Every application for entry shall be made on the form contained in the Schedule to these Rules and be accompanied by an entry fee of Rs. 100 in the case of films exceeding 1000 metres in length in 35 mm and 400 metres in 16 mm and Rs. 50 in the case of films shorter in length than the above mentioned limit. This fee shall not be refundable.

(c) Each entrant will submit, at his cost, to such Regional Officer of the Central Board of Film Censors or to any other authority as may be specified :

(i) a print of the film as certified by the Central Board of Film Censors at the time and place indicated by such Regional Officer or authority;

(ii) twenty copies of the synopsis, together with an English or Hindi rendering thereof and an equal number of copies of the songs, if any, together with their free translation in English or Hindi.

(d) The entrant of a film selected for viewing by the Central Committee will submit, at his cost, the required number of copies of the detailed dialogue, 6 stills, script in English or Hindi as well as publicity material relating thereto, in addition to the print and 15 additional copies of the synopsis of the film.

(e) The decision of the Government of India whether a film is eligible to be entered for the awards and whether any film is a feature film, family planning film, national integration film, children's film, information film, educational/instructional film, social documentation film, promotion film, experimental film or animation film for the purpose of entry for the awards, will be final.

(f) A film which is dubbed version, retake or an adaptation of a film which has already been entered into a State/National Films Awards Competition instituted by the Central Government will not be eligible for entry; nor will it be eligible for entry with subsequent additions, alterations or deletions.

(g) The producer of a film made in more than one language version can enter only one of the versions of that film.

(h) The maximum length of a children's film for the purpose of entry for the award shall be 3,400 metres in 35 mm or 1,360 metres in 16 mm. The maximum length of a film to be entered under categories II and III of rule 3 shall be 1000 metres in 35 mm or 400 metres in 16 mm.

(i) The last date of entry may be relaxed at the discretion of the Government of India in exceptional cases.

7. All transport costs on the consignment and return of the films and publicity material will be payable by the entrant.

8. All films will be submitted at the owner's risk and while the Government will take every reasonable care of the films submitted, it can not accept responsibility for loss or damage to the film while in its possession.

9. There will be a Primary Committee consisting of not more than 5 members, including the Chairman, appointed by Government for each of the languages indicated below :—

Assamese, Bengali, English, Gujarati, Hindi (including Urdu and Hindustani and connected dialects like Bhojpuri, Rajasthani, Maithili), Kannada, Kashmiri, Malayalam, Marathi (including Konkani), Oriya, Punjabi, Sindhi, Tamil and Telugu.

If the number of entries in a particular language is not more than 3, no Primary Committee for that language will be constituted and such entries will be viewed direct by the Regional Committee concerned. The members including the Chairman of the Primary Committees will be nominated by the Government and will consist of persons distinguished in the fields of art or literature who are qualified to judge the aesthetic and technical standard of the films.

10. Each Primary Committee will recommend to the Regional Committee in order of merit upto three feature films for award under categories I(a)(i) or I(a)(v) in Rule 3. Similarly they will recommend in order of merit upto three feature films each for awards under categories I(a)(iii) and (iv) in Rule 3. They will also recommend to the Regional Committee a film each for execellence in direction, excellence in cinematography and best screen-play and suggest films, not exceeding one in each case, which include best actor, best actress, best child actor/actress, best male play-back singer, best female play-back singer and best music director.

11. The following Regional Committees appointed by the Government will examine feature films recommended by the Primary Committees as well as films recommended in the categories under Rule 3, I(b) to (j). They will also examine films in the languages in which the number of entries is not more than three.

(i) Regional Committee at Bombay—Hindi (including Urdu, Hindustani, and connected dialects like Bhojpuri, Rajasthani and Maithili), Marathi including Konkani), Punjabi, Kashmiri, Gujarati, Sindhi and English.

(ii) Regional Committee at Calcutta—Bengali, Assamese and Oriya.

(iii) Regional Committee at Madras—Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam.

12. Each Regional Committee will be composed of :

(a) A Chairman, nominated by Government.

(b) Not more than 6 persons distinguished in the fields of film appreciation, art of literature, nominated by Government (Care will be taken to ensure that all the languages of the regions are represented in the selection of these persons.)

(c) Persons not exceeding three, qualified to judge technical standard, presentation, direction and treatment values of films, nominated by Government from a panel of names representing the industry.

13. The Regional Committee will recommend in order of merit not more than three feature films in each of the categories under Rule 3. I(a)(i), (iii) & (iv). In addition, they will also recommend one film each entitled for the award for excellence in direction, excellence in cinematography and also nominate best actor, best actress, best child actor/actress, best male play-back singer, best female play-back singer, best music director and best screen play writer/script writer for consideration by the Central Committee for all India Awards. These recommendations will be made irrespective of the languages of the film.

14. (1) The Regional Committee will also recommend to the Central Government a feature film in each language for the Regional Awards except in the case of a language in which only one film may have been entered.

(2) In case a film recommended for regional award is also recommended for all-India award, the Regional Committee in that event, will recommend two films in order of merit for regional award.

(3) If the feature film of a particular language recommended by the Regional Committee for an all-India award fails to win an award under category I(a)(i) or I(a)(ii) of Rule 3, the film will then be deemed to have been recommended by the Regional Committee as the best feature film of that language.

15. Entries under the categories of Information Films (Documentary), Educational/Instructional Films and Social Documentation Films (dealing with contemporary problems) with a membership not exceeding five including the Chairman, appointed by the Government with a membership not exceeding five including the Chairman. The Committee will recommend to the Central Committee in order of merit upto three films in each of the above mentioned categories.

16. Entries under the categories of Promotion Films, Experimental and Animation Films will be initially examined by the Short Films Committee appointed by the Government with a membership not exceeding five including the Chairman. The Committee will recommend to the Central Committee in order of merit upto three films in each of these categories.

17. Entries under the category of Children's films will be examined by the Central Committee direct.

18. The Central Committee will be composed of :—

(a) A Chairman nominated by the Government.

(b) Not more than six distinguished persons in the fields of film appreciation, art or literature nominated by Government.

(c) Persons, not exceeding three, qualified to judge presentation, direction and treatment values of films, nominated by Government from a panel of names representing the industry.

19. (1) Notwithstanding anything contained in Rules 12 and 18 Government may co-opt on the Central or a Regional Committee such number of additional members as may, in its opinion, be considered necessary to ensure adequate availability of members knowing each language in which films are to be adjudged or having specialised background.

(2) For viewing the Children's films the Central Government may co-opt on the Central Committee one or two members having special background of children's education or children's problems.

(3) Nothing contained in Rules 15 and 16 shall preclude co-option of an additional member or members with specialised background to assist the Documentary Films Committee and Short Films Committee. The co-opted members shall have all the rights of an ordinary member.

20. The membership of the Central, Regional, Primary, Documentary Films Committee and Short Films Committee will be honorary but members may be allowed such travelling and conveyance allowances as may be sanctioned by Government from time to time.

21. The Central Committee and the Regional Committees will have the power to call for any film not recommended by the Regional Committees or the Primary Committees as the case may be, for re-examination and consider such film(s) for an All-India or a Regional Award respectively.

22. The Central Committee will consider Children's Films and the recommendations of the Regional Committees, Documentary Films Committee and Short Films Committee and submit its recommendations to the Central Government in respect of the Awards mentioned in Rule 3 excepting the Regional Awards.

23. The Primary Committees, the Regional Committees, the Documentary Films Committee, the Short Films Committee and the Central Committee may determine their own procedure for the examination of films.

24. The quorum of the Primary Committees, the Regional Committees, the Documentary Films Committee, the Short Films Committee and the Central Committee shall not be less than half the number of members including the co-opted members.

25. Nothing contained herein shall be construed as restricting the discretion of a Primary Committee, a Regional Committee, Documentary Films Committee, Short Films Committee or the Central Committee from making a recommendation that none of the films in a particular language or category or that none of the screenplay writer, director, cameraman, actor, acrtess, child actor, play-back singers, music director, of the feature films examined by a Primary Committee, Documentary Films Committee, Short Films Committee is of a standard adequate for an Award.

26. The Central Government will decide the All-India and the Regional Awards after considering the Recommendations submitted by the Central Committee and the Regional Committees as the case may be.

27. The Primary Committees, the Regional Committees, the Documentary Films Committee, the Short Films Committee and the Central Committee will examine films at such place and time as may be considered feasible.

28. Government shall be entitled to retain without payment the print of the film entered for the Awards and which receives an award in the form of a medal, plaque and or cash.

29. The Awards will be made annually at a function for the presentation of the awards which will be held at such place and on such date as Government may determine.

30. Canvassing in any form in respect of an entry will render that entry liable to be disqualified. Any member of the Central Committee, the Documentary Films Committee the Short Films Committee, he Regional Commitees or the Primany Committees found canvassing for a particular film is liable to be disqualified for membership of the Committee.

31. If the producer and director of an award-winning film happen to be the same person and eligible for award in both capacities, he will be given an award either as a producer or a director and not both.

32. The decisions of the Government of India in respect of the award and of interpretation of these rules shall be final and no appeal shall lie against them.

33. A person who participates in the National Awards for Films under these Rules shall be deemed to have accepted these Rules.

SCHEDULE TO THE NATIONAL AWARDS FOR FILMS RULES

To

The Regional Officer,
Central Board of Film Censors,
Bombay/Calcutta/Madras

ENTRY FOR NATIONAL AWARDS FOR FILMS

1. I wish to enter the following film for the National Awards for Flms for the year—

(i) Title of the film,

(ii) *Classification* : Feature/children's/documentary/educational/instructional/social documentation, promotional (commercial)/promotional (non-commercial)/experimental/animation film.

(iii) Language of the film.

(iv) Length, gauge and running time of the film.

(v) Number of reels.

(vi) Black & White/colour.

(vii) Name and full address of the producer (with telephone number and telegraphic address, if any).

(viii) Name and full address of the director.

(ix) Name and full address of the screen-play writer/script writer.

(x) (a) Name and full address of the leading male artist, leading female artist.

(b) Name and full address of the child artist (if any) of an age not exceeding 16 years.

(xi) Name and full address of the playback singer. (a) Male singer (b) female singer.

(xii) Name and full address of the cameraman.

(xiii) Name and full address of the music director.

(xiv) Number and date of certificate of exhibition issued by the Central Board of Film Censors.

(xv) Date of release.

(xvi) If the film is a dubbed version, an adaptation or a retake of another film, particulars of the film of which it is a dubbed version, adaptation or retake.

2. I have read the rules governing these awards and agree to abide by the same.

3. I declare that I have been duly authorised by the producer of the film to make this entry (to be made in case the person making the entry is not the producer).

4. I certify that the film is not a dubbed version, a retake or an adaptation of a film which has already been entered earlier for a State/National Award and the print which is being submitted as entry is exactly in the form in which it has been certified by the Central Board of Film Censors.

5. I further certify that the statements made above are true to the best of my knowledge and belief.

6. I hereby agree to the Government retaining the print of the film without payment of cost, in the event of its receiving an award in the form of a medal, plaque and/or cash.

7. I have no objection to the special screening of the film for the general public in the national festival of films that Government may organise after the National Awards function. I also understand that the proceeds of tickets for these screenings will be credited to the Government revenues.

Date :

Place :

Signature :

Address :

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

H. B. KANSAL, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION, BROADCASTING AND COMMUNICATIONS

New Delhi-1, the 5th March 1969

PUBLIC NOTICE

NATIONAL AWARDS FOR FILMS

No. 7/12/69-*FI(NA)*.— The last date for receipt of entries for National Awards for Films previously notified as 7th March, 1969 *vide* Public Notice No. 7/12/69-FI(NA), dated 7th February, 1969, has been extended upto 29th March 1969.

H. B. KANSAL, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969